वार्षिक रिपोर्ट 2017-18
ANNUAL REPORT 2017-18

स्पाइसेस बोर्ड
भारत

स्पाइसेस बोर्ड भारत
SPICES BOARD INDIA

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
Ministry of Commerce & Industry
भारत सरकार
Government of India
कोचिन / Cochin – 682 025

स्पाइसेस बोर्ड
भारत

स्पाइसेस बोर्ड

वार्षिक रिपोर्ट
2017-18

स्पाइसेस बोर्ड

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत सरकार
सुगंध भवन, पी बी नं. 2277
कोचीन-682025

टेली : 0484-2333610-616, 2347965
इ-मेइल : mail.sboard@gov.in
वेबसाइट : www.indianspices.com

संकलन और संपादन

1. **श्री नितिन जो**
   उप निदेशक (यो. व स.)

2. **श्री टी.पी. प्रत्यूष**
   सहायक निदेशक (प्रचार)

3. **डॉ. जी. उषाराणी**
   सहायक निदेशक (रा.भा.)

तकनीकी समर्थन

1. **श्रीमती एम.एन. गीता**
   वैयक्तिक सहायक

2. **श्री बिजू डी षेणाइ**
   कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक

3. **श्री आर. जयचंद्रन**

   ई डी पी सहायक

विषय सूची

	कार्यकारी सरांश	:	5-6
1.	संघटन और प्रकार्य	:	7-8
2.	प्रशासन	:	9-14
3.	वित्त और लेखाठ	:	15
4.	निर्यातोन्मुख उत्पादन	:	16-21
5.	निर्यात विकास और संवर्धन	:	22-35
6.	प्रचार एवं संवर्धन	:	36-39
7.	कोडेक्स कक्ष और हस्तक्षेप	:	40-41
8.	इ-स्पाइस बाज़ार	:	42-43
9.	गुणवत्ता सुधार	:	44-49
10.	निर्यातोन्मुख अनुसंधान	:	50-52
11.	सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक आंकडा प्रक्रमण	:	53-54
12.	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का कार्यान्वयन	:	55
	परिशिष्ट - 1	**:**	**56-63**

कार्यकारी सारांश

स्पाइसेस बोर्ड भारतीय मसालों के विकास और विश्वव्यापी संवर्धन का अग्रणी संगठन है। बोर्ड, वैश्विक मसाला बाजार के औद्योगिक, फुटकर और खाद्य सेवा खंडों को साफ़ और मूल्य वर्द्धित मसालों तथा शाकों का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंस्करण हब और प्रमुख आपूर्तिकर्ता बनने के विशन को पाने में भारतीय मसाला उद्योग को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से, भारतीय मसालों की उत्कृष्टता हेतु कार्यकलापों की अगुवाई करता है। बोर्ड ने अपने विकास और संवर्धनात्मक गतिविधियों केलिए आधारशिला के रूप में गुणवता और स्वच्छता को अपनाया है।

वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय मसालों के निर्यात ने मूल्य के तौर पर अपना बढता रुख ज़ारी रखा और मात्रा और मूल्य दोनों में सर्वकालिक कीर्तिमान दर्ज किया है। परिमाण में आठ प्रतिशत, मूल्य में रुपए के तौर पर एक प्रतिशत और डोलर के तौर पर छह प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2016-17 के 17664.61 करोड रुपए (2633.29 दशलक्ष यू एस डोलर) मूल्यवाले 9,47,790 टन के मुकाबले में देश से 17929.55 करोड रुपए (2781.46 दशलक्ष यू एस डोलर) मूल्यवाले कुल 10,28,060 टन मसाले व मसाले उत्पादों का निर्यात किया गया। वर्ष 2017-18 के 17665.10 करोड रुपए (2636.58 दशलक्ष यू एस डोलर) मूल्य के 10,23,000 टन के लक्ष्य की तुलना में परिमाण के हिसाब से लब्धि 100 प्रतिशत और मूल्य के हिसाब से लब्धि 101 प्रतिशत और डोलर के हिसाब से 105 प्रतिशत रही।

वर्ष 2016-17 की तुलना में परिमाण व मूल्य दोनों में वर्ष 2017-18 के दौरान, छोटी इलायची, जीरा, लहसुन आदि के निर्यात ने वृद्धि दर्ज की है। करी पाउडर/पेस्ट एवं मसाले तेल व तैलीराल जैसे मूल्यवर्द्धित उत्पादों के निर्यात ने वर्ष 2016-17 की अपेक्षा परिमाण और मूल्य दोनों में वृद्धि दिखाई है।

बोर्ड द्वारा प्रस्तुत "निर्यात संवर्धन एवं मसालों में गुणवता सुधार तथा इलायची के अनुसंधान व विकास केलिए एकीकृत योजना" को स्थाई वित्त समिति (एस एफ़ सी) द्वारा 491.78 करोड रुपए के कुल परिव्यय को, मध्यम अवधि ढांचा योजना (2017-18 से 2019-20 तक) के अंतर्गत मंजूर किया गया है। वर्ष 2017-18 में, बोर्ड को 90.96 करोड रुपए की निवल राशी का अनुदान दिया गया था। और कुल व्यय 102.23 करोड रुपए का था।

स्पाइसेस बोर्ड ने, मसाला उद्योग के पणधारियों को, खासकर कृषि समुदाय को, सशक्त बनाने हेतु आम अवसंरचना और प्रसंस्करण सुविधाएं प्रदान करते हुए प्रमुख उत्पादन/विपणन केंद्रों में फ़सल विशेष मसाला पार्कों की स्थापना की है। बोर्ड ने छिन्दवाडा, मध्य प्रदेश; पुट्टडी, केरल; जोधपुर, राजस्थान; गुना, मध्यप्रदेश; गुण्टूर, आन्ध्र प्रदेश और शिवगंगा, तमिल नाडु में मसाला पार्कों की स्थापना पूरी की है। राजस्थान के कोटा और उत्तर प्रदेश के राय बरेली में मसाला-पार्कों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और उद्घाटन केलिए तैयार है।

वर्ष के दौरान कोच्ची, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, गुण्टूर, तूतिकोरिन और कांडला की गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं ने चयनित मसालों के निर्यात परेषणों की विश्लेषणात्मक सेवाएं और अनिवार्य परीक्षण व प्रमाणन कार्य ज़ारी रखे। कोलकत्ता की गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला का काम प्रगति पर है। बोर्ड की सभी क्षेत्रीय गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाएं ए एस आई डी ई योजना के तहत स्थापित की गई हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान, प्रयोगशालाओं ने एफ़्लाटोक्सिन, अवैध रंजक, नाशीजीवनाशी अवशेष, सालमोनेल्ला आदि सहित विभिन्न पैरामीटरों केलिए 1,17,474 नमूनों का विश्लेषण किया है।

वार्षिक कार्य योजना (ए ए पी) 2017-18 के अंतर्गत एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एम आई डी एच), कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने फसलोत्तर प्रबंधन

एवं एच आर डी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन केलिए राष्ट्रीय स्तर के एजेंसी के रूप में स्पाइसेस बोर्ड का चयन किया है और बोर्ड ने, एम आई डी एच से प्राप्त निधियों का उपयोग करते हुए, खेत स्तर पर मसालों के उत्पादन हेतु तकनीकियों का प्रदर्शन, मानव संसाधन विकास, बागवानी मशीनीकरण, मूल्य श्रृंखला सर्वेक्षण आदि केलिए कार्यक्रम चलाया है।

स्पाइसेस बोर्ड भारत ने डिजिटल मंच-ई-स्पाइस बाजार-विकसित करने के लिए पहल की जो मसाले के किसानों और निर्यातकों / खरीददारों की जरूरतों को पूरा करता है। वेब पोर्टल, www.espicebazaar.com का, 25 फरवरी, 2018 को विशाखपट्टणम में माननीय केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री सुरेश प्रभु और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन. चंद्रबाबु नायडु द्वारा औपचारिक तौर पर लॉन्च किया गया था। वेब पोर्टल में सभी किसानों, उनके खेतों, उर्वरक और नाशीजीवनाशक के प्रयोगों सहित कृषि प्रथाओं का विवरण शामिल है; उन कंपनियों पर जानकारी जो खरीददार, किसान निर्माता संगठन (एफपीओ) आदि के रूप में पंजीकृत हैं।

स्पाइसेस बोर्ड, प्रमुख मसाला उत्पादक क्षेत्रों में क्रेता-विक्रेता बैठक (बीएसएम) आयोजित कर रहा है ताकि मसाला उत्पादकों और निर्यातकों के बीच प्रत्यक्ष बाजार संबंध स्थापित करने के लिए एक मंच प्रदान किया जा सके। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, बोर्ड ने देश भर में आठ बीएसएम आयोजित किए। स्पाइसेस बोर्ड ने, मसालों के उत्पादन और फसलोत्तर प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में हाल में हुई विकास का प्रसार करने, खेती में अंतराल की पहचान करने, मसालों के प्रसंस्करण और विपणन तथा उत्तर पूर्वी राज्यों में मसालों के विकास के लिए एक रोड मैप तैयार करने के उद्देश्य के साथ, 21 फरवरी 2018 को असम के गुवाहटी में उत्तर-पूर्वी राज्यों पर स्थान केंद्रित करते हुए मसालों पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया।

बोर्ड ने 26 अप्रैल, 2017 को इटानगर, अरुणाचल प्रदेश में मसाला कृषक उत्पादक कंपनी (एसएफपीसी) को प्रचालित करने के लिए एक अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसका उद्घाटन, माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री किरेन रिजजू की उपस्थिति में माननीय केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (भूतपूर्व) श्रीमती निर्मला सीतारामन ने किया था। इसके अलावा, बोर्ड ने अरुणाचल प्रदेश के ज़िरो और नमसाई में एसएफपीसी गठन अभियान आयोजित किए थे। इसके बाद, नमसाई में एसएफपीसी कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कर दी गई है और ज़ीरो में एसएफपीसी पंजीकरण के अंतिम चरण में है।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) ने मसालों की खेती और प्रसंस्करण में लगे किसानों के सशक्तीकरण के लिए बोर्ड की परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना, भारत के अठारह राज्यों में, करीब 18,000 लाभार्थियों को शामिल करते हुए लागू की जाएगी जहां मसालों को बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। इससे जुड़कर, वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय कृषि कौशल परिषद (एएससीआई) द्वारा आयोजित प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम में भाग लेने के बाद बोर्ड के 120 पदाधिकारियों को "प्रमाणित प्रशिक्षकों'' के रूप में सूचीबद्ध किया गया।

1. संघटन और प्रकार्य

अ) स्पाइसेस बोर्ड का संघटन

संसद द्वारा अधिनियमित स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम, 1986 (1986 की सं. 10) में इलायची की खेती एवं उससे जुडे मामलों के नियंत्रण सहित मसालों के निर्यात के विकास तथा इलायची उद्योग के नियंत्रणार्थ बोर्ड के गठन का प्रावधान है। सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्रीय सरकार ने स्पइसेस बोर्ड का गठन किया, जो 26 फरवरी 1987 ले अस्तित्व में आ गया।

आ) स्पाइसेस बोर्ड की सदस्यता में:

क) अध्यक्ष

ख) संसद के तीन सदस्य, जिनमें से दो लोकसभा से और एक राज्य सभा से चुने होते हैं

ग) केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित मंत्रालयों के प्रतिनिधि तीन सदस्यः

- वाणिज्य
- कृषि ; एवं
- वित्त;

घ) मसाले कृषकों के प्रतिनिधि छह सदस्य*;

ङ) मसाले निर्यातकों के प्रतिनिधि दस सदस्य;

च) प्रमुख मसाले उत्पादक राज्यों के प्रतिनिधि तीन सदस्य;

छ) निम्नलिखित प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करनेवाले चार सदस्य;

- योजना आयोग (संप्रति नीति आयोग);
- भारतीय पैकेंजिंग संस्थान, मुंबई;
- केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान, मैसूरु;
- भारतीय मसाला फसल अनुसंधान संस्थान, कोषिक्कोड;

ज) मसाले श्रमिकों के हितों का प्रतिनिधि एक सदस्य

⋆ वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. 157 (ई) दिनांक 2 फरवरी 2018 के अनुसार संशोधित।

झ) बोर्ड के कार्य

स्पाइसेस बोर्ड अधिनिय, 1986, के मुताबिक स्पाइसेस बोर्ड को निम्नलिखित काम सौंप दिए गए हैं:-

क) बोर्ड :

(i) मसालों का विकास, प्रचार एवं निर्यात-नियमन करें;

(ii) मसालों के निर्यात केलिए प्रमाणपत्र प्रदान करें;

(iii) मसालों के निर्यात को बढ़ाया देने के लिए कार्यक्रम व परियोजना चलाएं;

(iv) मसालों के प्रसंस्करण, ग्रेडिंग व पैकेजिंग की गुणवत्ता तकनीक के सुधार केलिए अनुसंधान व अध्ययन कार्य को सहायता एवं प्रोत्साहन प्रदान करें;

(v) निर्यातार्थ मसालों के मूल्य के स्थिरीकरण की दिशा में प्रयास करें;

(vi) उपयुक्त गुणवत्ता प्रतिमानों का विकास तथा निर्यातलायक मसालों का 'गुणवत्ता-चिह्नाँकन' द्वारा गुणवत्ता-प्रमाणीकरण करें;

(vii) निर्यातार्थ मसालों की गुणवत्ता का नियंत्रण करें;

(viii) निर्यातार्थ मसालों के विनिर्माताओं को निर्धारित निबंधनों व शर्तों के आधार पर अनुज्ञप्ति प्रदान करें;

(ix) निर्यात बढ़ाने केलिए आवश्यकता महसूस होने पर किसी भी मसाले का विपणन करें;

(x) मसालों केलिए विदेशों में भंडागार सुविधाएं प्रदान करें;

(xi) संकलन एवं प्रकाशनार्थ मसाले विषयक साँख्यिकी इकट्ठा करें;

(xii) केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से बिक्री केलिए किसी भी मसाले का आयात करें; तथा

(xiii) मसालों के आयात-निर्यात संबंधी बातों पर केंद्रीय सरकार को सलाह दे दें।

ख) साथ ही, बोर्ड:-

(i) इलायची कृषकों के बीच सहकारी प्रयासों को बढाया दें;

(ii) इलायची कृषकों को लाभकारी पारिश्रमिक सुनिश्चित करें;

(iii) इलायची खेती और प्रसंस्करण के सुधरे तरीकों, इलायची पुनरोपण तथा इलायची खेती इलाकों के विस्तारण केलिए वित्तीय एवं अन्य सहायता प्रदान करें;

(iv) इलायची की बिक्री को विनयमित तथा उसके मूल्य को स्थिर रखें;

(v) इलायची की जाँच तथा उसके ग्रेड मानदण्डों को स्थिर करने का प्रशिक्षण प्रदान करें;

(vi) इलायची के उपभोग को बढ़ावा दें तथा उसके प्रचार-प्रसार को ज़ारी रखें;

(vii) इलायची के (नीलामकर्ताओं सहित) दलालों एवं इलायची का धंधा करनेवाले लोगों को पंजीयन और अनुज्ञप्ति दें;

(viii) इलायची के विपणन में सुधार करें;

(ix) इलायची उद्योग से जुडे किसी विषय पर कृषकों, व्यापारियों या ऐसे अन्य विनिर्दिष्ट लोगों से आँकडा इकट्ठा करें और उनको या उनके अंश को या उनके सारांश को प्रकाशित करें;

(x) श्रमिकों केलिए बेहतर कार्यकारी परिस्थितियों और सुविधाओं की व्यवस्था तथा प्रोत्साहन को भी सुनिश्चित करें और

(xi) वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय तथा आर्थिक अनुसंधान कार्य चलाएं, उनकेलिए प्रोत्साहन या सहायता प्रदान करें।

ई बोर्ड के अधिकार क्षेत्र के अधीन आनेवाले मसाले

स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित 52 मसाले आते हैं:-

1	इलायची	19	कोकम	37	जूनिपर बेरी
2	कालीमिर्च	20	पुदीना	38	बे-पत्ता
3	मिर्च	21	सरसों	39	लूवेज
4	अदरक	22	अजमोद	40	मर्जोरम
5	हल्दी	23	अनारदाना	41	जायफल
6	धनिया	24	केसर	42	जावित्री(मेस)
7	जीरा	25	वैनिला	43	तुलसी
8	बडी सौंफ	26	तेजपात	44	खसखस
9	मेथी	27	पीपला	45	ऑलस्पाइस
10	सेलरी	28	स्टार एनीज़	46	रोज़मेरी
11	सौंफ	29	घोड बच (स्वीट फ्लैग)	47	सेज
12	अजोवन	30	महा गलेंजा	48	सेवरी
13	काला जीरा	31	होर्स-रैडिश	49	थाइम
14	सोआ	32	केपर	50	ओरगेनो
15	दालचीनी	33	लौंग	51	टेरागन
16	अमलतास (कैसिया)	34	हींग	52	इमली
17	लहसुन	35	केंबोज		
18	करी पत्ता	36	हिस्सप		

2. प्रशासन

अ) प्रशासन

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान डॉ. ए. जयतिलक भ.प्र.से. अध्यक्ष, एम पी ई डी ए ने, अध्यक्ष, स्पाइसेस बोर्ड का अतिरिक्त भार ग्रहण किया और 13.03.2018 से लेकर सचिव, स्पाइसेस बोर्ड का अतिरिक्त भार भी ग्रहण किया। श्री एस. सिद्दरामप्पा, 12.03.2018 तक सचिव के रूप में कार्यरत रहे और निदेशक(वित्त) के अतिरिक्त भार भी ग्रहण किया। श्री पी.एम. सुरेषकुमार रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, निदेशक(विपणन) के रूप में कार्यरत रहे। डॉ. रमा श्री ए.बी. निदेशक(अनुसँधान) के रूप में ज़ारी रहे और रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान निदेशक(विकास) का अतिरिक्त भार भी ग्रहण किया।

जैसेकि 31 मार्च 2018 को है, स्पाइसेस बोर्ड की स्टाफ संख्या 403 थी, जिसमें 6 विभागीय कैंटीन कर्मचारियों सहित 85 वर्ग 'क', 129 वर्ग 'ख' और 189 वर्ग 'ग' अधिकारी शामिल हैं।

क) नियुक्तियों एवं पदोन्नतियों में अ.जा/अ.ज.जा/ अ.पि.व. केलिए आरक्षण

बोर्ड अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व. केलिए पद-आधारित आरक्षण रोस्टर का उचित रूप से कार्यावयन करता है। सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में ज़ारी अनुदेशों का भी कडाई से अनुपालन किया जा रहा है। जैसेकि 31 मार्च, 2018 को है, अ.जा/अ.ज.जा और अ.पि.व.की श्रेणियों में 223 कर्मचारी थे। मितोपभोग उपायों के चलते, वाणिज्य विभाग के निदेश के अनुसार रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान कर्मचारियों को न कोई पदोन्नति दी गईं और न ही कोई नियुक्ति हुई है।

ख) महिला कल्याण

जैसेकि 31 मार्च 2018 को है, बोर्ड की 'क', 'ख' व 'ग' श्रेणियों की महिला पदाधिकारियों की कुल संख्या 121 है। महिला पदाधिकारियों की शिकायतों पर समय पर और उचित तौर पर ध्यान दिया जाता है। बोर्ड की वर्ग 'क' स्तर की एक महिला अधिकारी को 'महिला कल्याण अधिकारी' के रूप में नियुक्त किया गया है, ताकि महिलाओं की परेशानियों/समस्याओं, यदि कोई हो, तो उन्हें जानने और संभव समाधान केलिए सुझावों के साथ उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जा सकें।

ग) अ.जा/अ.जा/अ.पि.व. कल्याण

बोर्ड द्वारा अ.जा./अ.जा व अ.पि.व. के कर्मचारियों के कल्याण की देखभाल हेतु और उनकी समस्याओं के समाधान हेतु समितियों का गठन किया जा चुका है। बोर्ड द्वारा अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व. से संबंधित आरक्षण मामलों केलिए एक संपर्क अधिकारी को पदनामित किया जा चुका है।

घ) दिव्यांग व्यक्तियों का कल्याण

बोर्ड द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों से जुडे आरक्षण मामलों के लिए एक संपर्क अधिकारी को पदनामित किया है और विकलांग व्यक्तियों का आरक्षण रोस्टर बनाए रखा जाता है।

ङ) आंतरिक लेखापरीक्षा

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान इस्टिट्यूट ऑफ ऑडिटेर्स ऑफ इंडिया (आई पी ए आई) ने बोर्ड की आंतरिक लेखापरीक्षा से संबंधित मामलों में परामर्शदाता सेवाएं प्रदान करने का काम ज़ारी रखा।

च) बोर्ड की बैठकें

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, फरवरी 2017 को बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने के कारण कोई बोर्ड बैठकों का आयोजन नहीं हुआ और बोर्ड का पुनर्गठन भी नहीं हुआ। बोर्ड के सदस्यों की सूची का प्रारूप वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया है, जिसके अंतिमरूप/अनुमोदन की प्रतीक्षा की जाती है।

छ) बोर्ड के कार्यालय

बोर्ड का मुख्यालय कोच्ची में स्थित है। आगे, बोर्ड के देश भर 105 कार्यालय हैं जिनमें 30 निर्यात संवर्धन कार्यालय, छोटी व बडी इलायची केलिए 60 अनुसंधान व विकास कार्यालय, सात गुणवत्ता मूल्याँकन प्रयोगशालाएँ (गु.मू.प्र.) और आठ मसाला पार्क शामिल हैं।

(i) निर्यात संवर्धन कार्यालयः

क्रम सं	स्थान	राज्य/संघ शासित प्रदेश
1	पडेरू	आंध्र प्रदेश
2	खम्मम	आंध्र प्रदेश
3	वारंगल	आंध्र प्रदेश
4	गुवाहटी	असम
5	पाटना	बिहार
6	जगदलपुर	छत्तीसगढ
7	पोंडा	गोवा
8	अहमदाबाद	गुजरात
9	सुरेंद्र नगर	गुजरात
10	ऊँझा	गुजरात
11	उना	हिमाचल प्रदेश
12	श्रीनगर	जम्मु व काश्मीर
13	राँची	झारखंड
14	बंगलूरु	कर्नाटक
15	नागपुर	महाराष्ट्र
16	साँगली	महाराष्ट्र
17	चुराचंदपुर	मणिप्पुर
18	शिलाँग	मेघालय
19	ऐज़ल	मिज़ोरम
20	नई दिल्ली	नई दिल्ली
21	कोरापुट	उडीसा
22	चंडीगढ	पंजाब/हरियाणा
23	नागरकोविल	तमिल नाडु
24	निज़ामाबाद	तेलंगाना
25	हैदराबाद	तेलंगाना
26	अगर्तला	त्रिपुरा
27	बाराबंकी	उत्तर प्रदेश
28	साँबल	उत्तर प्रदेश
29	देहरादून	उत्तराखंड
30	कोलकाता	पश्चिम बंगाल

(ii) अनुसंधान व विकास कार्यालय/फार्म

छोटी इलायची का अनुसंधान व विकास

क्रम सं	स्थान	राज्य/शासित प्रदेश
1	अडिमाली	केरल
2	एलप्पारा	केरल
3	कल्पेट्टा	केरल
4	कट्टप्पना	केरल
5	कुमली	केरल
6	मैलाडुम्पारा	केरल
7	नेडुंकण्डम	केरल
8	पांपाडुम्पारा	केरल
9	पीरमेडु	केरल
10	पुट्टडी	केरल
11	राजाक्काड	केरल
12	राजकुमारी	केरल
13	शांतनपारा	केरल
14	उडुंबनचोला	केरल
15	बत्लगुंडू	तमिलनाडु
16	बोडिनायकन्नूर	तमिलनाडु
17	कोयंबत्तूर	तमिलनाडु
18	ईरोड	तमिलनाडु
19	सेलम	तमिलनाडु
20	तडियनकुडिश्शी	तमिलनाडु
21	आइगूर	कर्नाटक
22	बागमंडला	कर्नाटक
23	बेलगोला	कर्नाटक
24	बेलिगेरे	कर्नाटक

25	बेट्टडामने	कर्नाटक
26	चिकमगलूर	कर्नाटक
27	डोनिगल	कर्नाटक
28	हावेरी	कर्नाटक
29	कोप्पा	कर्नाटक
30	मडिक्केरी	कर्नाटक
31	मुडिगेरे	कर्नाटक
32	सकलेशपुर	कर्नाटक
33	शिवमोगा	कर्नाटक
34	सिरसी	कर्नाटक
35	सोमवारपेट	कर्नाटक
36	वनगूर	कर्नाटक
37	विराजपेट	कर्नाटक
38	येसलूर	कर्नाटक

बडी इलायची का अनुसंधान व विकास

क्रम सं	स्थान	राज्य/शासित प्रदेश
1	आलो	अरुणाचल प्रदेश
2	बोमडिला	अरुणाचल प्रदेश
3	चांगलांग	अरुणाचल प्रदेश
4	इटानगर	अरुणाचल प्रदेश
5	नमसाई	अरुणाचल प्रदेश
6	पसीघाट	अरुणाचल प्रदेश
7	रोइंग	अरुणाचल प्रदेश
8	तेज़ू	अरुणाचल प्रदेश
9	ज़िरो	अरुणाचल प्रदेश
10	तिनसुकिया	असम
11	दीमापुर	नागालैंड
12	कोहिमा	नागालैंड
13	मोकोकचुंग	नागालैंड
14	गांतोक	सिक्किम
15	गेयसिंग	सिक्किम
16	जोरथांग	सिक्किम
17	काबी	सिक्किम
18	मंगन	सिक्किम
19	पांगथांग	सिक्किम
20	तादोंग	सिक्किम
21	कलिंपोङ	पश्चिम बंगाल
22	सुखियापोखरी	पश्चिम बंगाल

(iii) गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाएं (क्यू ई एल)

1	गुंटूर	आंध्र प्रदेश
2	काण्डला	गुजरात
3	कोच्ची	केरल
4	मुम्बई	महाराष्ट्र
5	नरेला	नई दिल्ली
6	चेन्नई	तमिलनाडु
7	तुतिकोरिन	तमिलनाडु

(iv) मसाला पार्क

1	गुंटूर	आंध्र प्रदेश
2	पुट्टडी	केरल
3	छिंदवाडा	मध्य प्रदेश
4	गुना	मध्य प्रदेश
5	जोधपुर	राजस्थान
6	रामगंज मंडी(कोटा)	राजस्थान
7	शिवगंगा	तमिलनाडु
8	राय बरेली	उत्तर प्रदेश

ज) विभाग से जुडी वाणिज्य-संबंधी संसदीय स्थाई समिति का स्पाइसेस बोर्ड का दौरा

विभाग से जुडी वाणिज्य-संबंधी संसदीय स्थाई समिति ने स्पाइसेस बोर्ड के कार्यकलापों और कार्यकरण तथा दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ के साथ व्यापार पर अध्ययन हेतु 19-25 अप्रैल, 2017 अवधि के दौरान विजयवाडा, हैदराबाद, चेन्नई और मुंबई का दौरा किया। समिति ने 1-4 जुलाई, 2017 के दौरान गुवाहटी और कोलकाता का भी दौरा किया और मसाला क्षेत्र के पणधारियों के साथ बैठकों का अयोजन किया।

आ) राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान राजभाषा अनुभाग के प्रमुख कार्यकलाप एवं उपलब्धियाँ नीचे दिए जाते हैं:

क) अनुवाद

किए गए प्रमुख अनुवाद कार्य (अंग्रेज़ी से हिंदी में तथा उल्टे) निम्नानुसार हैं:

- राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अधीन आनेवाले दस्तावेज़ जैसेकि सामान्य आदेश (परिपत्र), टेंडर, दस्तावेज़, विज्ञापन, प्रेस विज्ञप्तियाँ, अधिसूचनाएं, वी आई पी संदर्भ आदि
- वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट 2016-17 और संसद के सामने प्रस्तुत बोर्ड की अन्य प्रशासनिक रिपोर्टें
- बोर्ड के दौरे/निरीक्षण केलिए आई विभिन्न संसदीय समितियों केलिए बैक ग्राउण्ड नोट, भरी हुई प्रश्नावली और अन्य सामग्री
- बोर्ड द्वारा आयोजित विभिन्न समारोहों केलिए द्विभाषी सामग्री (बैनर, बैकड्रोप, आमंत्रण कार्ड, कार्यक्रम शीट आदि)
- हिंदी पत्रिका 'स्पाइस इण्डिया' केलिए सामग्री
- हिंदी में प्राप्त पत्र और उनका जवाब
- सेवारत पदाधिकारियों केलिए विज़िटिंग कार्ड, रबड-मोहर और बोर्ड की सेवाओं से सेवानिवृत्त पदाधिकारियों केलिए मेमेंटो
- बडी इलायची पर प्रस्तावित "रिवाइस्ड लार्ज कार्डमम गाइड" के लिए सामग्री
- हिंदी में बोर्ड के कार्यकलापों पर पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण

ख) राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

1) राजभाषा कार्यान्वयन समिति बैठकों का आयोजन

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, चार बैठकें (हर तिमाही में एक), क्रमशः 17-04-2017 (अप्रैल-जून 2017 के लिए), 18-08-2017 (जुलाई-सितंबर 2017 केलिए), 18-12-2017 (अक्तूबर-दिसंबर 2017 के लिए), और 13-3-2018 (जनवरी-मार्च 2018 केलिए), का आयोजन किया गया। अध्यक्ष, स्पाइसेस बोर्ड या उनकी अनुपस्थिति में सचिव प्रभार ने इन बैठकों की अध्यक्षता की।

2) राजभाषा कार्यान्वयन समिति के निर्णयों पर अनुवर्ती कार्य सुनिश्चित करना

राजभाषा अनुभाग ने कार्यान्वयन समिति में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्य सुनिश्चित किया है। प्रमुख कदम निम्नानुसार है:

- स्टाफ के विवरण/वेतन चिट्ठे का द्विभाषी रूप तैयार किया गया
- रजिस्टरों में हिन्दी में प्रविष्टियां और प्रेषक रजिस्टर को द्विभाषी रखा जाना सुनिश्चित किया
- राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन सुनिश्चित किया
- प्रादेशिक कार्यालयों के बीच राजभाषा कार्यान्वयन कार्य का विकेन्द्रीकरण किया गया

3) हिन्दी कार्यशाला

- 26 जुलाई, 2017 को नए रंगरूट स्टाफ सदस्यों केलिए एक हिन्दी कार्यशाला का

आयोजन किया गया और राजभाषा नीति तथा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु बोर्ड के कार्यकलाप की जानकारी देने केलिए हिन्दी में एक पावर पॉइंट प्रसेंटेशन तैयार किया गया

- आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा उडीसा राज्यों में कार्यरत बोर्ड के स्टाफ़ सदस्यों केलिए 26-02-2018 को प्रादेशिक कार्यालय, स्पाइसेस बोर्ड, गुंटूर (आन्ध्र प्रदेश) में एक-दिवसीय क्षेत्रीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। श्री नागराजु, हिन्दी अधिकारी, मंडल रेलवे, गुंटूर इस कार्यशाला के संकाय सदस्य रहे, जिसमें 18 स्टाफ़ सद्स्यों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया

4) सेवा-कालीन हिन्दी प्रशिक्षण

- स्पाइसेस बोर्ड के सात स्टाफ़ सदस्यों को केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली के अधीन पत्राचार पाठ्यक्रम के ज़रिए सेवाकालीन हिन्दी प्रशिक्षण (प्रबोध-2/प्रवीण-4/प्राज्ञ-1) केलिए मनेनीत किया गया।
- वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक ने 24-28 जुलाई, 2017 के दौरान, हिन्दी शिक्षण योजना, कोच्ची द्वारा एन आई सी, काक्कनाड में 'कंप्यूटर पर हिन्दी में काम करने केलिए आयोजित पांच-दिवसीय बेसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम' में भाग लिया
- वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक ने 19-23 मार्च, 2018 के दौरान, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली में आयोजित पंच-दिवसीय राजभाषा अभिमुखीकरण कार्यक्रम में भाग लिया

5) हिन्दी समाचार पत्र/पत्रिकाओं केलिए चंदा

स्पाइसेस बोर्ड ने, हिन्दी अखबार 'हिन्दी मिलाप' और 'सरिता' व 'वनिता' नामक हिन्दी पत्रिकाओं केलिए चंदा देना ज़ारी रखा।

6) राजभाषा निरीक्षण

- राजभाषा अनुभाग ने वर्ष 2017-18 के दौरान, मुख्यालय के अनुभागों के अलावा, सात बाहरी कार्यालयों, नामतः गुंटूर, गांतोक,वारंगल, जोधपुर, मुंबई, गुना और कलिंपोङ का राजभाषाई निरीक्षण किया। निरीक्षण रिपोर्टों की पुनरीक्षा की गई और संबंधित पदाधिकारियों को कमियों की सूचना दी गई और कमियों को दूर करने केलिए आवश्यक मार्गनिर्देश दिए गए

7) हिन्दी दिवस/पखवाडा समारोह-2017

- 14 सितंबर, 2018 को स्पाइसेस बोर्ड के सभी कार्यालयों में हिन्दी दिवस के रूप में मनाया गया और श्री एस. सिद्दरामप्पा, सचिव प्रभार ने स्पाइसेस बोर्ड मुख्यालय, कोच्ची में हिन्दी पखवाडा समारोह 2017 का उद्घाटन किया। राजभाषा अनुभाग ने स्टाफ सदस्यों केलिए विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। साथ ही, हिन्दी पखवाडा समारोह 2017 के सिलसिले में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन केलिए बाहरी कार्यालयों को आवश्यक सहायता प्रदान की गई
- 17 जनवरी, 2018 को स्पाइसेस बोर्ड, मुख्यालय, कोच्ची में हिन्दी पखवाडा समारोह 2017 का समापन समारोह आयोजित किया गया। अध्यक्ष, स्पइसेस बोर्ड ने समारोह की अध्यक्षता की जिसमें डॉ. ईशा प्रिया भा.प्र.से., सहायक जिलाधीश, एरणाकुलम मुख्यातिथि रही
- मुख्यालय के स्टाफ़ केलिए आयोजित विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं के विजेताओं, हिन्दी में स्टाफ़ द्वारा किए गए सराहनीय काम तथा राजभाषा प्रतिभा पुरस्कार केलिए ट्रोफियां/नकद पुरस्कार/प्रमाणपत्र, मुख्यालय के अनुभागों केलिए राजभाषा रोलिंग ट्रोफ़ी, सेवा-कालीन

हिन्दी प्रशिक्षण परिक्षाओं में विजयी होने पर स्टाफ़ सदस्यों केलिए प्रमाणपत्र आदि का वितरण अध्यक्ष और मुख्यातिथि द्वारा वितरित किया गया

8) कोच्ची नराकास द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में प्रतिभागिता

- स्पाइसेस बोर्ड ने संयुक्त राजभाषा समारोह 2017 से जुडे खर्च की पूर्ति केलिए कोच्ची नराकास को सहायता प्रदान की
- 8 नवंबर, 2017 को संपन्न नराकास की बैठक में स्पाइसेस बोर्ड के निदेशक (अनु.व विकास) तथा सहायक निदेशक (रा.भा.) ने भाग लिया
- वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक ने 11-15 नवंबर, 2017 के दौरान आयोजित पाँच-दिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया
- कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक नें 16 जनवरी, 2018 को कोच्ची में आयोजित राजभाषा पर तकनीकी कार्यशाला में भाग लिया
- 6 मार्च, 2018 की नराकास बैठक में प्रभारी सचिव, सहायक निदेशक (रा.भा.) और कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक ने भाग लिया सहायक निदेशक (रा.भा.)ने राजभाषा नीति के कार्यान्ययन से जुडे बोर्ड के कार्यकलापों पर हिन्दी में एक पावर पॉइंट प्रेसेंटेशन प्रस्तुत किया

ग) स्पाइस इण्डिया (हिन्दी)

राजभाषा अनुभाग ने सितंबर, 2017 तक स्पाइस इण्डिया (हिन्दी) के प्रकाशन से संबंधित सामग्री एकत्रित करना, संपादन करना आदि कार्य किया है। प्रेस पूर्व कार्य के आउटसोर्स किए जाने के बाद, राजभाषा अनुभाग ने अक्तूबर, 2017 से प्रूफ़ रीडिंग, मान्य ग्राहकों, प्रकाशन केलिए मूल सामग्रियों के लेखकों से संपर्क, लेखकों को परिश्रमिक का प्रबंध करना, मुद्रण चार्ज का भुगतान आदि कार्य ज़ारी रखा।

घ) उपलब्धियां/पुरस्कार

(i) वाणिज्य विभाग से राजभाषा ट्रोफ़ी

स्पाइसेस बोर्ड को, वर्ष 2016-17 केलिए वाणिज्य विभाग द्वारा स्थापित राजभाषा शील्ड (तृतीय पुरस्कार) प्रदान की गई। अध्यक्ष, स्पाइसेस बोर्ड ने वाणिज्य सचिव, भारत सरकार से शील्ड ग्रहण की।

(ii) कोच्ची नराकास से राजभाषा ट्रोफ़ी

वर्ष 2017-18 के लिए कोच्ची नगर राजभाषा कार्यान्ययन समिति (कोच्ची नराकास) द्वारा स्थापित राजभाषा ट्रोफ़ी (तृतीय पुरस्कार) स्पाइसेस बोर्ड को प्रदान की गई। निदेशक (अनु. व विकास), स्पाइसेस बोर्ड ने ट्रोफ़ी ग्रहण की।

इ. पुस्तकालय और प्रलेखन सेवा

बोर्ड के पुस्तकालय में कंप्यूटरीकृत ग्रंथसूची दित्ताबेस साहित पुस्तकों व पत्रिकाओं का एक अच्छा संग्रहण है। पुस्तकालय व सूचना केंद्र को मज़बूत बनाने का कार्य नई पुस्तकों व पत्रिकाओं को जोडकर ज़ारी रखा गया। वर्ष 2017-18 के दौरान, 150 पत्रिकाओं केलिए चंदा ज़ारी रखने के साथ-साथ 81 नई पुस्तकें जोड दी गईं। इसके अलावा, पुस्तकालय ने दस्तावेज़ों व पत्रिकाओं का परिचालन, दस्तावेज़ सुपुर्दगी सेवाएं, करंट एवेयरनेस सेर्विसेस, दैनिक सूचना सेवाएं, सी डी - रोम सर्च, रिप्रोग्राफिक सेवाएं, मसालों व कोंडीमेंट्स पर समाचार लेखों को एकत्रित करके वितरीत करना जैसी नियमित सेवाएं ज़ारी रखीं। विविध विश्वविद्यालयों के करीब 50 छात्रों तथा शोधकर्ताओं को मार्गदर्शन सहित संदर्भ सुविधाएं प्रदान की गईं। पुस्तकालय ने, इंटरनेट सक्षम कंप्यूटर टर्मिनल के ज़रिए, उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन समाचार पत्रों तथा जर्नलों तक एक्सेस प्रदान किया है। पुस्तकालय के पुस्तकों को बारकोड स्कैनर सुविधा सहित कोहा पुस्तकालय प्रबंधन सोफ्ट्वेयर (कोहा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सोफ्टवेयर) के ज़रिए पुस्तकों को ज़ारी किया जाता है और ऑनलाइन पब्लिक ऐक्सेस कैटलोग (ओ पी ए सी) सुविधा की स्थापना करते हुए पुस्तकालय दस्तवेज़ों को आसानी से प्राप्त करने की सुविधा सक्षम बनाई गई है।

3. वित्त और लेखा

बोर्ड की योजनाओं, परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों केलिए वित्तीय व्यवस्था भारत सरकार से प्राप्त अनुदान एवं इमदाद द्वारा की जाती है। प्रशासन के खर्च मुख्यतः सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान और बोर्ड के विविध कार्यकलापों से बननेवाले आन्तरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधन (आई ई बी आर) के ज़रिए चुकाए जाते हैं।

वर्ष 2017-18 के दौरान बोर्ड केलिए अनुमोदित बजट 9700.00 लाख रुपए है। वर्ष 2017-18 के दौरान भारत सरकार की तरफ़ से अनुदान केलिए 4521.00 लाख रुपए, इमदाद केलिए 3638.00 लाख रुपए, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र केलिए उपबन्ध के रूप में 690.00 लाख रुपए और एस सी उप-प्लान केलिए उपबन्ध के रूप में 850.00 लाख रुपए बोर्ड को प्राप्त हुए, जिनमें से 604.00 लाख रुपए एस सी उप-प्लान के लिए प्राप्त अनुदान के मुकाबले में अव्ययित शेष के रूप में सरकार को लौटाए गए। बोर्ड ने 2017-18 के दौरान गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं द्वारा प्रदान की गई गुणवत्ता जांच-सेवाओं के विश्लेषण चार्ज, प्रयोगशाला से पादपों, अनुसंधान फ़ार्मों के फ़ार्म-उत्पादों की बिक्री, चंदा एवं विश्लेषण शुल्क, निर्यातकों का रजिस्ट्रीकरण शुल्क, कर्मचारियों को दिए गए अग्रिमों की वापसी, अग्रिम पर ब्याज, अल्पकालीन जमा पर ब्याज आदि से 1688.61 लाख रुपए का आई ई बी आर जमाया। वर्ष 2017-18 के दौरान, प्लान एवं नॉन-प्लान के अधीन का कुल व्यय 10223.20 लाख रुपए था, जिसका ब्यौरा नीचे दिया जाता है:-

लेखा शीर्ष	**बजट अनुदान (लाख रुपयों में)**	**व्यय (लाख रुपयों में)**
निर्यातोन्मुख उत्पादन	2662.00	3124.81
निर्यात विकास एवं संवर्धन	2452.00	2791.07
निर्यातोन्मुख अनुसंधान	621.00	651.93
गुणवत्ता सुधार	1114.00	1261.97
एच आर डी व निर्माण कार्य	2247.00	2393.43
कुल	**9096.00**	**10223.21**

बोर्ड अन्य सरकारी विभागों एवं राष्ट्रीय अभिकरणों, जैसेकि एम आई डी एच, आई सी ए आर, ए एस आई डी ई आदि से प्राप्त अनुदानों से कुछ अन्य चालू परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों का कार्यान्वयन भी करता आ रहा है। वर्ष 2017-18 के दौरान की ऐसी परियोजनाओं, प्राप्त अनुदानों एवं किए गए व्यय का ब्यौरा नीचे दिया जाता है:-

कार्यक्रम	अनुदान (लाख रुपयों में)	व्यय* (लाख रुपयों में)
एम आई डी एच	150	77.43
ए एस आई डी ई	75	751.6
आर के वी वाई - आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना	5.6	17.82
आई सी ए आर- ए आई सी आर पी एस	10.7	10.7
आर के वी वाई-असम	8.48	6.41
औषधीय पौधों का गुणवत्ता मानक	6.39	5.16
आई पी सी	0.64	0.64
डी यू एस जांच केंद्र	–	1.3
क्षेत्रव्यापी आई पी एम कालीमिर्च	–	3.68
इ-स्पाइस बाज़ार परियोजना	–	15.4
डब्ल्यू टी ओ-एस टी डी एफ़	–	2.74
कुल	**256.81**	**892.88**

*व्यय में पिछले सालों में एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान उपयोग में लाए गए अनुदान शामिल है।

स्पाइसेस बोर्ड पर वैधानिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट 2017-18 के अनुच्छेदों को परिशिष्ट-I के रूप में रखा गया है।

4. निर्यातोन्मुख उत्पादन

स्पाइसेस बोर्ड, इलायची (छोटी और बड़ी) के उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार तथा समग्र विकास के लिए उत्तरदायी है। बोर्ड, निर्यात हेतु गुणवत्तायुक्त मसालों के उत्पादन के लिए फसल कटाई के पश्चात् सुधार कार्यक्रम भी कार्यान्वित कर रहा है। बोर्ड के विभिन्न विकास कार्यक्रमों और फसल की कटाई के पश्चात् के गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों को निर्यातोन्मुख उत्पादन के अंतर्गत शामिल किया गया है।

विकास कार्यक्रम बोर्ड के विस्तार नेटवर्क के माध्यम से कार्यान्वित किए जाते हैं, जिनमें क्षेत्रीय कार्यालय, विभागीय कार्यालय और क्षेत्र कार्यालय शामिल हैं। बोर्ड ने मसाला उत्पादकों की गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर्नाटक के प्रमुख इलायची उत्पादक क्षेत्रों में पांच विभागीय पौधशालाएं बनाई रखी जाती हैं।

स्पाइसेस बोर्ड ने मसालों के विकास और विपणन को बढ़ावा देने और राज्य में उगाए जानेवाले मसालों के अनुसंधान, उत्पादन, विपणन, गुणवत्ता में सुधार और निर्यात कार्यक्रमों को लागू करने में विभिन्न राज्य, केंद्र और संबद्ध एजेंसियों/संस्थानों के साथ बेहतर समन्वय करने के लिए निम्नलिखित 11 मसाला विकास एजेंसियों (एसडीए) की स्थापना की है।

- गुवाहटी एसडीए
- गांतोक एसडीए
- उत्तर प्रदेश एसडीए
- गुना एसडीए
- उंझा एसडीए
- जोधपुर एसडीए
- मुंबई एसडीए
- गुंटूर एसडीए
- हावेरी एसडीए
- ईरोड एसडीए
- वारंगल एसडीए

संबंधित राज्य के मुख्य सचिव एसडीए के अध्यक्ष हैं तथा प्रत्येक एसडीए में मसाला उत्पादकों, निर्यातकों, व्यापारियों, राज्य बागवानी/कृषि विभाग, राज्य कृषि विश्वविद्यालय, संयुक्त डीजीएफटी, कृषि मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय आदि का प्रतिनिधित्य करने वाले 17 सदस्य हैं। बोर्ड के संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी एसडीए के सदस्य हैं। एसडीए ने बैठकें आयोजित की हैं और एसडीए बैठकों में लिए गए निर्णयों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

स्पाइसेस बोर्ड ने जम्मू-कश्मीर में केसर के विकास, विपणन, गुणवत्ता, निर्यात और घरेलू खपत को बढ़ावा देने के लिए श्रीनगर में केसर उत्पादन और निर्यात विकास एजेंसी (एसपीईडीए) की स्थापना की है। वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सचिव और जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव एसपीईडीए की सह-अध्यक्षता करेंगे।

मसालों का निर्यातोन्मुख उत्पादनः

वर्ष 2017-18 के दौरान 'मसालों का निर्यातोन्मुख उत्पादन योजना के अंतर्गत लागू किए गए विभिन्न कार्यक्रमों का नीचे उल्लेख किया गया हैः

इलायची मुख्य रूप से केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के पश्चिमी घाटों में उगाई जाती है। इलायची उत्पादन के अधिकांश जोत छोटे और मामूली हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान कुल 69,330 हेक्टेयर (हेक्टेयर) क्षेत्र में छोटी इलायची उगाई गई थी और अनुमानित उत्पादन 20650 मीट्रिक टन था। छोटी इलायची के विकास के लिए निम्नलिखित कार्यक्रमों को कार्यान्यित किया गया हैः

(क) पुनःरोपण

इस कार्यक्रम का उद्देश्य केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में छोटी इलायची के पुराने, जीर्ण और अलाभकर बागानों के मामलो को संबोधित करना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छोटे और सीमांत कृषकों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें पुराने, जीर्ण और अलाभकर बागानों के

पुनःरोपण लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। केरल और तमिलनाडु में उत्पादकों को प्रति हेक्टेयर 70,000 रुपए और कर्नाटक में प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपए के अनुदान की पेशकश की जाती है, जो पक्वनावधि के दौरान प्रतिस्थापन और रखरखाव की लागत का 33.33 प्रतिशत है, यह दो समान वार्षिक किस्तों में देय है। आठ हेक्टेयर तक के पंजीकृत छोटे और सीमांत इलायची कृषक इस योजना के अंतर्गत लाभ के लिए पात्र हैं।

वर्ष 2017-18 के दौरान, बोर्ड ने 388.77 हेक्टयर पर इलायची के पुनःरोपण के लिए सहायता प्रदान की थी और 123.54 लाख रुपए की इमदाद की व्यवस्था की गई थी, जिससे 964 कृषक (महिलाः 153; अजाः 28; अजजा; 1) लाभान्वित हुए।

(ख)गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री का उत्पादन और वितरण

बोर्ड की विभागीय पौधशालाओं द्वारा रोगमुक्त, स्वस्थ और गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री का उत्पादन और वितरण किया गया। पांच विभागीय पौधशालाओं में उत्पादित रोपण सामग्री न-लाभ-न-हानि के आधार पर उत्पादकों को वितरीत की गई थी। वर्ष 2017-18 के दौरान, कर्नाटक में बोर्ड की पांच विभागीय पौधशालाओं में 1,51,894 इलायची रोपण सामग्री, 3,37,023 मूल लगाई कालीमिर्च की कतरनें, 32,645 कालीमिर्च न्यूक्लियस रोपण सामग्री, 1,905 झाड़ीदार कालीमिर्च रोपण सामग्री, 470 टर्मिनल कालीमिर्च रोपण सामग्री और 1,676 वैनिला रोपण सामग्री का उत्पादन किया गया और उन्हें 1135 कृषकों (महिलाः 34; अजा; 37; अजजाः14) को वितरित किया गया था।

आ) उत्तर पूर्व के लिए विकास कार्यक्रम

(क)इलायची (बडी)

बडी इलायची मुख्य रूप से सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कलिंपोंङ जिलों के उप-हिमालयी इलाकों में उगाई जाती है। वर्ष 2017-18 के दौरान सिक्किम और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कलिंपोंङ जिलों में कुल 26617 हेक्टयर जमीन पर बडी इलायची उगाई गई थी और अनुमानित उत्पादन 5905 टन था। गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री की अनुपलब्धता, जीर्ण, पुराने और अलाभकर पौधों की विद्यमानता तथा अंगमारी(चित्ती) रोगों के प्रकोप बडी इलायची के उत्पादन को प्रभावित करनेवाली प्रमुख चुनौतियां हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने बडी इलायची के लिए निम्नलिखित कार्यक्रमों को लागू किया।

(i) बडी इलायची - पुनःरोपण

बडी इलायची मुख्य रूप से समाज के कमजोर वर्गों के छोटे और सीमांत किसानों द्वारा उगाई जाती है। इस योजना का उद्देश्य उत्पादकों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उन्हें व्यवस्थित तरीके से पुनःरोपण करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इलायची उगाने वाले किसान उच्च निवेश के कारण प्रतिस्थापन/नई रोपण की लागत को पूरा कर पाने की स्थिति में नहीं हैं। गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में नए रोपण की लागत का 33.33 प्रतिशत और परंपरागत क्षेत्रों में प्रतिस्थापन के साथ-साथ पक्वनावधि (यानि 1 और 2 वर्ष) के दौरान रखरखाव लागत की इमदाद के रूप में प्रति हेक्टेयर अधिकतम 28000 रूपए बोर्ड प्रदान करता है, जो दो समान वार्षिक किस्तों में देय है।

वर्ष 2017-18 के दौरान, बोर्ड ने 1072.9 हेक्टेयर बडी इलायची के पुनःरोपण/नए रोपण के लिए सहायता प्रदान की और इमदाद के रूप में 149.78 लाख रुपए आबंटित किए गए, जिससे 2631 कृषक (महिला, 635; अजा; 20; अजजा; 2189) लाभान्वित हुए।

इ) फसल कटाई के पश्चात् मसालों का सुधार

क) बीजीय मसाला थ्रेशर

आम तौर पर बीजीय मसाला उत्पादकों द्वारा अपनाई जानेवाली कटाई और फसल कटाई के पश्चात् की प्रथाएं अस्वास्थ्यकर होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप उत्पाद डंठल, गंदगी, रेत, तनों के टुकडे इत्यादि बाहरी सामग्री से संदूषित होते हैं। बताया जाता है कि काटे गए और सूखे पौधों से बीजों को बांस के टुकड़ों से पीट कर या पौधों से रगड़कर अलग किया जाता है। बोर्ड

सूखे पौधों से बीज को अलग करने और स्वच्छ मसालों का उत्पादन करने के लिए, थ्रेशरों के उपयोग को लोकप्रिय बना रहा है, जिन्हें हाथों से या बिजली का उपयोग करके चलाया जाता है।

बोर्ड इमदाद के रूप में थ्रेशर की लागत का 50 प्रतिशत उपलब्ध कराता है, जो एक बिजली संचालित थ्रेशर के लिए अधिकतम 60,000 रूपए और हाथ से संचालित थ्रेशर के लिए 20,000 रुपए है।

वर्ष 2017-18 के दौरान, बोर्ड ने किसानों के खेतों में 48 विद्युत संचालित थ्रेशरों को स्थापित करने में सहायता प्रदान की और 28.02 लाख रुपए की कुल छूट दी गई, जिससे 48 उत्पादक (महिलाः 7; अजाः1) लाभान्वित हुए।

ख) भाप से हल्दी उबालने वाली इकाइयों की आपूर्ति

कार्यक्रम का उद्देश्य भाप से हल्दी उबालने वाली इकाइयों का उपयोग करके हल्दी प्रसंस्करण के लिए बेहतर वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने में हल्दी उत्पादकों की सहायता करना है। यह अंतिम उपज को बेहतर रंग और गुणवत्ता प्रदान करता है। स्पाइसेस बोर्ड निर्यात के लिए उपयुक्त गुणवत्तायुक्त हल्दी के उत्पादन के लिए उत्पादकों में हल्दी उबालने वाली इकाइयों के उपयोग को, बड़े पैमाने पर लोकप्रिय बना रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हल्दी उबालने वाली इकाई की वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत या 1.50 लाख रुपए में से, जो भी कम हो, का अनुदान प्रदान किया गया।

वर्ष 2017-18 के दौरान, 22.45 लाख रुपए की वित्तीय सहायता से भाप से उबालने वाली 15 हल्दी इकाइयों की आपूर्ति की गई, जिससे 15 कृषक (महिलाः 5) लाभान्वित हुए।

ग) बडी इलायची को सुखाने के लिए संशोधित भट्टी/ एसएडब्ल्यूओ ड्रायरों की आपूर्ति

इस योजना का उद्देश्य खेतीहर समुदाय को बड़ी इलायची की गुणवत्ता में सुधार के लिए वैज्ञानिक उपचार विधियां अपनाने के लिए प्रेरित करना है। 200 किग्रा और 400 किलो की क्षमता वाली संशोधित भट्टी (आईसीआरआई मॉडल) के निर्माण की कुल लागत क्रमशः27,000 रुपए और 37,500 रुपए है। इसके अलावा एसएडब्ल्यूओ ड्रायर/समकक्ष ड्रायर की कुल लागत 25,000 रुपए है। संशोधित भट्टी (आईसीआरआई मॉडल) के निर्माण या एसएडब्ल्यूओ/समकक्ष ड्रायर की खरीद के लिए कुल लागत के 75 प्रतिशत की दर से या 22,500 रुपए में से जो भी कम है, बोर्ड इमदाद प्रदान करता है।

वर्ष 2017-18 के दौरान, 23.97 लाख रुपए की वित्तीय सहायता से 115 संशोधित भट्टियों/एसएडब्ल्यूओ या समकक्ष इकाइयों को आपूर्ति की गई, जिससे 115 कृषक (महिलाः 12; अजजाः 66) लाभान्वित हुए।

घ) जायफल ड्रायर

परंपरागत रूप से, जायफल और जावित्री को धूप में सुखाने का चलन है। चूंकि जायफल की कटाई मानसून के मौसम में होती है, इसलिए धूप से जायफल और जावित्री (मेस) को सुखाना बहुत मुश्किल होता है। यह ठीक से न सूखने का कारण हो सकता है जिससे उपज में कवकीय संक्रमण हो सकता है, इससे एफ्लाटोक्सिन की वृद्धि होती है। जायफल में एफ्लाटोक्सिन की मौजूदगी जायफल के निर्यात में एक बड़ी बाधा है। जायफल को समान और स्वच्छता से सुखाने से जायफल की गुणवत्ता की चिंताओं को दूर करने में मदद मिलेगी। कुछ नवाचार पसंद किसानों ने लकड़ी, बिजली आदि वैकल्पिक ईंधन का उपयोग करनेवाले जायफल ड्रायर प्रस्तुत किए हैं, जिनसे स्वच्छ और अच्छी गुणवत्ता वाले जायफल का उत्पादन करने में मदद मिली है और सुखाने के समय में काफी कमी आई है। ये ड्रायर पर्यावरण के अनुकूल हैं, श्रम की बचत करते हैं और संचालित करने में आसान हैं। इस योजना का उद्देश्य गुणवत्तावाले जायफल और जावित्री (मेस) का उत्पादन करने के लिए उत्पादकों में यांत्रिक ड्रायर को लोकप्रिय बनाना है। बोर्ड, इमदाद के रूप में सुखाने की लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 30000 रुपए प्रदान करता है।

वर्ष 2017-18 के दौरान, बोर्ड ने 21 जायफल ड्रायरों

की स्थापना में सहायता की, जिसके लिए 4.45 लाख रुपए की कुल वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जिससे 21 कृषकों (महिलाः 4) को लाभ हुआ।

ङ) कालीमिर्च के थ्रेशरों की आपूर्ति

इस योजना का उद्देश्य कालीमिर्च के उत्पादकों को डंठलों से कालीमिर्च की फलियों को स्वच्छता के साथ अलग करने के लिए कालीमिर्च के थ्रेशर्स स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित कर, निर्यात के लिए अच्छी गुणवत्ता- वाली कालीमिर्च का उत्पादन करना है। वर्ष 2017-18 के दौरान कुल 23.67 लाख रुपए की वित्तीय सहायता से 177 थ्रेशर्स स्थापित किए गए थे, जिनसे 177 कृषकों (महिलाः 18) को लाभ हुआ।

ई) मसालों की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (क्यूआईटीपी)

बोर्ड किसानों, राज्य कृषि/बागवानी विभाग के अधिकारियों, व्यापारियों, एनजीओ के सदस्यों आदि को फसल-कटाई के पहले और बाद के उपचारों तथा भंडारण प्रौद्योगिकियों, वैज्ञानिक तरीकों और प्रमुख मसालों के लिए अद्यतित गुणवत्ता सुधार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।

वर्ष 2017-18 के दौरान 24.56 लाख रुपए के कुल व्यय से, 259 केंद्रों में कुल 11871 कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया था। वर्ष 2017-18 के दौरान बोर्ड द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के श्रेणीवार विवरण नीचे दिए गए हैं:

- 176 कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम - 7568 प्रतिभागी (महिलाः 2335; अजाः 670; अजजाः 1890)
- 22 मास्टर प्रशिक्षण कार्यक्रम-968 प्रतिभागी (महिलाः157; अजाः 112; अजजाः 189)
- 23 क्षेत्रीय सेमिनार-2001 प्रतिभागी (महिलाः 244; अजाः 72; अजजाः 275)
- 25 बाजार संपर्क कार्यक्रम-1100 प्रतिभागी (महिलाः 40; अजाः 65; अजजा145)
- 13 व्यापारी प्रशिक्षण कार्यक्रम-234 प्रतिभागी (महिलाः 9; अजाः3; अजजाः7)

3) विस्तार सलाहकार सेवा

उत्पादकता में वृद्धि और मसालों की फसल कटाई के बाद उनमें सुधार की तकनीकी जानकारी के हस्तांतरण का प्रशिक्षण उत्पादकता में वृद्धि और मसालों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। इस कार्यक्रम में निजी संपर्क, क्षेत्रीय यात्राओं, सामूहिक बैठकों और साहित्य वितरण के माध्यमों से छोटी इलायची (केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में) और बड़ी इलायची (सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्यों में) की खेती के वैज्ञानिक पहलुओं और फसल के प्रबंधन के वैज्ञानिक पहलुओं पर उत्पादकों को तकनीकी/विस्तार समर्थन देने की परिकल्पना की गई है।

बोर्ड के उत्पादन और फसल कटाई के बाद के कार्यक्रम विस्तार सलाहकार सेवा के अलावा, 'निर्यातोन्मुख उत्पादन' योजना के अंतर्गत विस्तार नेटवर्क के माध्यम से लागू किए जाते हैं।

वर्ष 2017-18 के दौरान, कुल 28,085 विस्तार दौरे आयोजित किए गए और केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और पश्चिम बंगाल के कलिंपोंड तथा दार्जिलिंग जिले के इलाकों और अन्य मसालों के लिए संबंधित उगाने वाले क्षेत्रों में छोटे और बड़े इलाके के लिए 2,938 सामूहिक बैठकें/अभियान आयोजित किए गए।

ऊ) बाहरी रूप से वित्त पोषित परियोजनाएं

क) बागवानी के एकीकृत विकास (एमआईडीएच) मिशन के अंतर्गत मसालों के कटाई-पश्चात के प्रबंधन पर परियोजना।

एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की वित्तीय

सहायता से मसाला उगाने वाले प्रमुख राज्यों में बोर्ड द्वारा मसालों की फसल की कटाई के बाद फसल प्रबंधन की यह व्यापक परियोजना लागू की गई है।

वर्ष 2017-18 के दौरान, एमआईडीएच ने कार्यक्रम को लागू करने के लिए दो किस्तों में 165.05 लाख रुपए की राशि जारी की। कुल मिलाकर 77.43 लाख रुपए खर्च किए गए थे, एमआईडीएच परियोजना के अंतर्गत 3954 किसानों को लाभ मिला था और 87.62 लाख रुपए की शेष राशि को वर्ष 2018-19 के लिए अग्रेनीत कर दिया गया है।

वर्ष 2017-18 के दौरान परियोजना के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियां नीचे सूचीबद्ध हैं:

(i) खेत स्तर पर मसालों के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन

कुल 14.57 लाख रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ, 23 मॉडल प्लॉटों में बडी इलायची, छोटी इलायची, अदरक, हल्दी, मिर्च, लहसुन, धनिया, जीरा और कालीमिर्च की उत्पादन प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया गया था, जिससे 2980 किसानों (महिलाः 195; अजाः 47; अजजाः 260) को लाभ हुआ)

(ii) मानव संसाधन विकास

क) नौ किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनका कुल वित्तीय परिव्यय 3.63 लाख रुपए था, इनसे 529 किसानों (महिलाः 39; अजजाः 65) को लाभ हुआ।

ख) तीन तकनीकी अधिकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम 0.21 लाख रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय से आयोजित किए गए, जिससे 75 अधिकारी (महिलाः 11; अजजाः 8) लाभान्वित हुए।

(iii) कार्यशाला/संगोष्ठी/सम्मेलन पाँच लाख रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय से एक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया था, जिससे 115 पणधारियों (महिलाः 27; अजाः 18; अजजाः 53) को लाभ हुआ।

(iv) बागवानी का मशीनीकरण

कार्यक्रम के अंतर्गत, निम्नलिखित मदों को खरीदने के लिए सहायता प्रदान की गई थी।

(i) दस लाख चौहत्तर हजार रुपए की वित्तीय सहायता से 115 कालीमिर्च थ्रेशर्स (महिलाः 11)

(ii) ग्यारह लाख चौंतीस हजार रुपए की वित्तीय सहायता से 27 बीजीय मसाला थ्रेशर (महिलाः 2; अजाः 1; अजजः1)

(iii) आठ लाख सैंतालीस हजार रुपए की वित्तीय सहायता के साथ 11 ड्रायर।

(iv) तेरह लाख उनसठ हजार रुपए की वित्तीय सहायता के साथ 100 जायफल ड्रायर (महिलाः 13)

(v) एक लाख 37 हज़ार रुपए की वित्तीय सहायता के साथ हल्दी पॉलिश करने वाली 2 मशीनें।

v) मूल्य श्रृंखला सर्वेक्षण/अध्ययन

कृषकों के परिप्रेक्ष्य में छोटी इलायची और बड़ी इलायची के उत्पादन, फसल कटाई के पश्चात् के प्रबंधन और विपणन के पूरे तालमेल को समझने की जरूरत महसूस की गई है। यह जमीन की स्थिति को बेहतर ढंग से समझने और मूल्य श्रृंखला में सुधार के लिए वैज्ञानिक तरीकों को विकसित करने तथा बाज़ार संबंधों और कृषकों द्वारा मूल्य प्राप्ति के अंतराल को पहचानने में मदद करेगा। यह उत्पादन, फसल कटाई-पश्चात् प्रबंधन, मूल्य श्रृंखला विकास, विपणन और छोटी और बड़ी इलायची के निर्यात को बढ़ावा देने के तंत्र तैयार करने में सहायक होगा। वित्तीय वर्ष 2017-18 में 60 लाख रुपए के कुल वित्तीय व्यय के साथ एक अध्ययन शुरू किया गया है और वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान भी इसे जारी रखा जा रहा है।

(vi) पौधशाला प्रबंधन पर कौशल कार्यक्रम

स्पाइसेस बोर्ड मसालों के पौधशाला प्रबंधन पर किसानों और ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करता आ रहा है। कौशल विकास कार्यक्रम के दायरे में

प्रचार तकनीकी (मुकुलन, कलमें बनाना, कतरन, सतह निर्माण इत्यादि जैसे बीज और वनस्पति प्रसार), मसालों की पौधाशाला का प्रबंधन और अन्य संबंधित संचालन शामिल है।

वर्ष 2017-18 के दौरान, 4.82 लाख रुपए के कुल वित्तीय व्यय के साथ 82 किसानों और ग्रामीण युवाओं को आईसीआरआई, मैलाडुंपारा और आईसीआरआई-आरआरएस, सकलेशपुर में प्रशिक्षित किया गया था। यह कार्यक्रम वर्ष 2018-19 के दौरान जारी रखा जाएगा।

ख) आंध्र प्रदेश सरकार की आरकेवीवाई परियोजना

आंध्र प्रदेश सरकार ने आरकेवीवाई के अंतर्गत बोर्ड द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है और राज्य में परियोजनाओं को स्पाइसेस बोर्ड द्वारा लागू किया जा रहा है।

- किसानों के लिए वैश्विक जीएपी प्रमाणनः परियोजना में करी पत्तियों और मिर्च के उत्पादन और प्रसंस्करण को वैश्विक जीएपी प्रमाणीकरण और निर्यात संबंध में लाने की परिकल्पना की गई है।
- कृषि के लिए गाय आधारित कार्बनिक आदान बनाने के लिए प्रदर्शन/प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र नेहरु नगर, नए गुंटूर, आंध्र प्रदेश में गोशाला के स्थानीय संसाधनों का उपयोग करने वाला एक नमूना मॉडल विकसित किया गया है।
- कल्याणदुर्ग मंडल, अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश में वर्द्धित आय और सीधे संबंधों के लिए हल्दी में फसल कटाई के पश्चात् सतत तकनीक।
- प्रकाशम, गुंटूर और कुर्नूल जिलों में बाजार से जुडाव के साथ धनिया और अजोवन की निर्यातोन्मुख खेती और उत्पादन पर प्रशिक्षण।
- कुंचनपल्ली बागवानी फार्म, विशाखापत्तनम जिला, आंध्र प्रदेश में एक मुख्य प्रौधशाला की स्थापना।
- आंध्र प्रदेश के प्रकाशम और गुंटूर जिलों में जापानी पुदीना के लिए प्रदर्शन खंड

ग) तेलंगाना सरकार की आरकेवीवाई परियोजना

तेलंगाना सरकार ने मसालों के विकास पर स्पाइसेस-बोर्ड द्वारा प्रस्तुत एकीकृत परियोजना को मंजूरी दे दी है और वर्ष 2015-16 के दौरान परियोजनाओं को तेलंगाना क्षेत्र में लागू करने केलिए आरकेवीवाई के अंतर्गत 110 लाख रुपए जारी किए हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान परियोजना के अंतर्गत 9.71 लाख रुपए की कुल सहायता प्रदान की गई थी, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः

1. हल्दी पॉलिश करने की मशीन की आपूर्ति- 1 नग 0.71 लाख-1लाभार्थी
2. हल्दी उबालने की इकाई की आपूर्ति - 6 नग - 9.00 लाख - 6 लाभार्थी। (अजजाः1)

घ) असम सरकार की आरकेवीवीई परियोजना

असम सरकार ने आरकेवीवाई के अंतर्गत असम में अदरक, हल्दी और कालीमिर्च के विकास के लिए बोर्ड द्वारा प्रस्तुत एकीकृत परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है और कार्यक्रम के मानव संसाधन विकास घटक को कार्यान्वित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 में बोर्ड को 8.48 लाख रुपए जारी किए गए थे।

ऋ) अंतर्राष्ट्रीय कालीमिर्च दिवस

मेघालय के पश्चिम गारो हिल्स जिले में आईपीसी, जकार्ता, इंडोनेशिया की वित्तीय सहायता से 6 अक्तूबर 2017 को जिला बागवानी कार्यालय, तुरा, पश्चिम गारो हिल्स में अंतर्राष्ट्रीय मिर्च दिवस-2017 का आयोजन किया गया। पूर्वोतर के विभिन्न भागों से आए हुए किसानों, निर्यातकों और व्यापारियों ने आपस में बातचीत की और किसानों ने खरीद, मूल्य इत्यादि पर प्रश्न उठाए। निर्यातकों/व्यापारियों ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कालीमिर्च के विपणन के लिए आवश्यक गुणवत्ता मानकों के बारे में बताया। कालीमिर्च दिवस आयोजित करने के लिए बोर्ड को आईपीसी से 1000 अमरीकी डॉलर (64,229.54 भारतीय रुपए के बराबर)प्राप्त हुए थे।

5. निर्यात विकास और संवर्धन

'निर्यात विकास और संवर्धन योजना के अंतर्गत लागू किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का उद्देश्य मसाला प्रसंस्करण में उच्च तकनीक को अपनाना, उच्च मूल्य वृद्धि के लिए प्रौद्योगिकियों को उन्नत करना और आयात करने वाले देशों के बदलते खाद्य सुरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए क्षमताओं को विकसित कर निर्यातकों का समर्थन करना है। वैज्ञानिक प्रथाओं और प्रक्रिया उन्नयन को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए, बोर्ड मसालों की पूरी आपूर्ति श्रृंखला में गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा पर ध्यान दे रहा है। बल दिए जाने वाले प्रमुख क्षेत्रों में मसालों के नए अनुप्रयोग और नए उत्पाद विकास, विदेश में भारतीय मसाला ब्रैंडों का प्रचार, प्रमुख मसाला बढ़ाए जानेवाले/विपणन केंद्रों में सामान्य सफाई, ग्रेडिंग, प्रसंस्करण, पैकिंग और भंडारण (मसाला पार्क) के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना, जैविक मसालों/जीआई मसालों का प्रचार आदि शामिल हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के उद्यमियों के लिए विशेष कार्यक्रम भी किए जाते है।

अ) अवसंरचना का विकास

क) अवसंरचना के विकास के लिए ब्याज समकारी योजना

बोर्ड मसाला प्रसंस्करण में उच्च-तकनीक को अपनाने, प्रौद्योगिकी और प्रक्रिया अद्यतन, इन-हाउस गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन, गुणवत्ता प्रमाणन इत्यादि के लिए, वाणिज्यिक ऋण की दर पर ध्यान न देते हुए, राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंकों से, तीन वर्ष के लिए प्रति वर्ष अधिकतम 30.00 लाख रुपए तक, तीन प्रतिशत ब्याज छूट प्रदान कर 10.00 करोड़ रुपए के आवधिक ऋण से निर्यातकों की सहायता करने का प्रस्ताव करता है। यह सहायता मशीनों, उपकरणों, उपकरणों से जुडी बिजली/संबंधित वस्तुओं, सहायक स्थापनाओं, सहायक सुविधाओं/नियंत्रण कक्ष, केबल ट्रेंचिंग, ट्रांसफोर्मर इत्यादि और स्थापना/निर्माण शुल्क जैसी वस्तुओं तक सीमित होगी। निर्यातक केवल एक परियोजना के लिए प्रति वर्ष अधिकतम 30 लाख रुपए या कई परियोजनाओं के लिए, तीन वर्ष के लिए अधिकतम 90 लाख रुपए तक पर ब्याज समीकरण सहायता का लाभ उठा सकते हैं। वाणिज्य मंत्रालय ने मध्यम अवधि की फ्रेम कार्य योजना अवधि के दौरान योजना को लागू करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है और मंजूरी के लिए विस्तृत योजना दिशानिर्देश मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए है।

ख) उच्च तकनीक, प्रौद्योगिकी और प्रक्रिया उन्नयन को अपनाने, इन-हाउस प्रयोगशाला की स्थापना और गुणवत्ता प्रमाणन के लिए सहायता-अनुदान

बोर्ड ने 22वीं योजना अवधि के दौरान सहायता-अनुदान प्रदान कर उच्च तकनीक, प्रौद्योगिकी और प्रक्रिया उन्नयन, इन-हाउस प्रयोगशाला, गुणवत्ता प्रमाणन इत्यादि की स्थापना के लिए, सामान्य क्षेत्रों में प्रति निर्यातक लागत का 33 प्रतिशत अधिकतम 1.00 करोड़ रुपए प्रदान कर योजना लागू की थी। बोर्ड ने वर्ष 2017-18 के दौरान इस योजना के अंतर्गत लंबित मामलों के भुगतान की प्रतिबद्धता को पूरा किया है।

वर्ष 2017-18 के दौरान, उच्च तकनीक प्रसंस्करण को अपनाने के अंतर्गत तीन इकाइयों को 245.1 लाख रुपए, प्रौद्योगिकी के अंतर्गत एक इकाई को 2.8 लाख रुपए और दो इकाइयों को इन-हाउस प्रयोगशाला की स्थापना/उन्नयन के अंतर्गत 35.9 लाख रुपए के हिसाब से वित्तीय सहायता दी गई है।

ग) पीपीपी मसाला पार्कों की स्थापना

प्रमुख मसालों को उगाने, निर्यात और विपणन क्षेत्रों में पीपीपी मोड के अंतर्गत मसाला पार्क स्थापित करने का बोर्ड का प्रस्ताव है। मसालों के निर्यातक (सीआरईएस) के रूप में पंजीकरण का वैध प्रमाणपत्र रखने वाली उत्पादक कृषक कंपनियां या उद्यमी इस योजना के

अंतर्गत प्रमोटर के रूप में आवेदन के लिए पात्र हैं। व्यापार संघ भी इस योजना में भाग लेने के पात्र होंगे। बोर्ड इक्विटी के रूप में मसाला पार्क स्थापित करने के लिए परियोजना की कुल लागत का 20 प्रतिशत अधिकतम 400 लाख रुपए तक प्रदान करेगा। वाणिज्य मंत्रालय ने मध्यम अवधि के फ्रेम कार्य योजना अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए योजना को मंजूरी दे दी और मंत्रालय को मंजूरी के लिए विस्तृत योजना दिशानिर्देश प्रस्तुत किए गए हैं।

घ) पूर्वोतर क्षेत्र में मसाला प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना

बोर्ड पूर्वोतर क्षेत्र में मसालों के लिए प्राथमिक प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना में सहायता करने का प्रस्ताव करता है। इस योजना के अंतर्गत दिया जानेवाला सहायता-अनुदान प्रति निर्यातक प्रसंस्करण सुविधाओं/उपकरणों की लागत का 33 प्रतिशत अधिकतम 50 लाख रुपए तक होगा। किसानों के समूहों/कृषक उत्पादक कंपनियों के संबंध में, वैध सीआरईएस होने पर, सभी प्रकार की प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए लागत के 50 प्रतिशत अधिकतम 50 लाख रुपए तक सहायता दी जाएगी। बोर्ड पूर्वोतर क्षेत्र के निर्यातकों में प्राथमिक प्रसंस्करण सुविधाओं को स्थापित करने के लिए जागरूकता उत्पन्न कर रहा है।

ङ) सामान्य प्रसंस्करण की अवसंरचना की स्थापना और रख-रखाव

स्पाइसेस बोर्ड ने किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्ति और व्यापक बाजार प्राप्त करने में सशक्त बनाने के लिए, प्रमुख उत्पादन/बाजार केंद्रों में फसल विशिष्ट मसाला पार्क सथापित किया है। पार्क का उद्देश्य खेती, कटाई पश्चात् उपचार, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन, पैकेजिंग और मसालों तथा मसाला उत्पादों के भंडारण के लिए एक एकीकृत संचालन करना है। मध्म अवधि फ्रेम कार्य योजना के दौरान, निर्यातक संघों/राज्य सरकार द्वारा जमीन को बोर्ड से अलग कर लेने पर, बोर्ड उत्पादन क्षेत्रों/विपणन केंद्रों में भाप विसंक्रमण इकाइयों, सफाई और ग्रेडिंग इकाइयों आदि जैसी सामान्य प्रसंस्करण सुविधाओं को स्थापित करने का प्रस्ताव करता है। सफाई, ग्रेडिंग, पैकिंग, भाप विसंक्रमण इकाइयों आदि सामान्य प्रसंस्करण सुविधाएं उपज की गुणवत्ता में सुधार करने में किसानों की मदद करेंगी और वैसे बेहतर मूल्य वसूली में परिणत होंगी।

प्रमुख उत्पादन/बाजार केंद्रों में बोर्ड द्वारा स्थापित फसल विशिष्ट मसाला पार्कों का विवरण नीचे दिया गया हैः

क्रम सं	स्थान/राज्य	शामिल मसाले	स्थिति
1	छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश	लहसुन और मिर्च	प्रवृत्त
2	पुट्टडी, केरल	कालीमिर्च और इलायची	प्रवृत्त
3	जोधपुर, राजस्थान	जीरा और धनिया	प्रवृत्त
4	गुना, मध्य प्रदेश	धनिया	प्रवृत्त
5	गुंटूर, आंध्र प्रदेश	मिर्च	प्रवृत्त
6	शिवगंगा, तमिलनाडु	हल्दी और मिर्च	प्रवृत्त
7	कोटा, राजस्थान	धनिया, जीरा	प्रवृत्त
8	रायबरेली, उत्तर प्रदेश	पुदीना	पूरा हो गया है

मसाला पार्क / सामान्य प्रसंस्करण सुविधाओं के रखरखाव, घटक के अंतर्गत शामिल किया जाएगा, जिसके लिए वर्ष 2017-18 के दौरान 217.30 लाख रुपए खर्च किए गए थे।

आ) व्यापार संवर्धन

क) व्यापारिक नमूनों को विदेश भेजना

बोर्ड उन निर्यातकों की सहायता करता है जो खरीददारों द्वारा अनुरोध किए गए नमूनों के आधार पर व्यापारिक लेनदेन को अंतिम रूप देने की इच्छा रखते हैं और प्रति वर्ष अधिकतम 50,000 रुपए तक के कूरियर शुल्क की प्रतिपूर्ति करते हैं। मसाला निर्यात परिदृश्य में व्यापारिक नमूने भेजना संभावित ग्राहकों को बेहतर और तेजी से ग्रहकों में रूपांतरित करने में सक्षम करता है। मध्यम फ्रेम कार्य योजना अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए सहायता-अनुदान में प्रति वर्ष एक लाख रुपए की वृद्धि के लिए बोर्ड का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है। पंजीकृत निर्यातक इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं और वर्ष 2017-18 के दौरान, योजना के अंतर्गत 0.2 लाख रुपए की सहायता प्रदान की गई थी।

ख) पैकेजिंग विकास और बार कोडिंग

इस कार्यक्रम में शेल्फ लाइफ़ को बढ़ाने और भंडारण स्थान को कम करने तथा विदेशी बाजारों में भारतीय मसालों की खोज और बेहतर प्रस्तुति स्थापित करने के लिए निर्यात पैकेजिंग के सुधार और आधुनिकीकरण की परिकल्पना की गई है। पंजीकृत निर्यातक पैकेजिंग विकास और बार कोडिंग पंजीकरण की लगत के 50 प्रतिशत की सहायता प्राप्त कर सकते हैं जो प्रति निर्यातक एक लाख रुपए तक सीमित है। वर्ष 2017-18 के दौरान, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में एक निर्यातक को 0.8 लाख रुपए की राशि वितरित की गई थी।

बोर्ड ने भारतीय पैकेजिंग संस्थान (आईआईपी), मुंबई को साबुत मसालों के पैकेजिंग विकास के लिए अनुसंधान और विकास परियोजना सौंपी है। आईआईपी ने मुंबई और बोर्ड ने वर्ष 2017-18 के दौरान परियोजना के प्रथम चरण में चार लाख रुपए जारी किए हैं।

ग) उत्पाद विकास और अनुसंधान

देश के भीतर उत्पादित मसालों से नए अंत्योपयोग और अनुप्रयोगों को प्राप्त करने की पर्याप्त गुंजाइश है। इस योजना का उद्देश्य मसलों के पौष्टिक, न्यूट्रास्यूटिकल, सौंदर्यवर्धक, औषधीय और सहज गुणों का वैज्ञानिक अधिप्रमाणन और इस अधिप्रमाणन के आधार पर नए उत्पादों का विकास करना है। पंजीकृत निर्यातक, अनुसंधान और विकास संस्थान आदि की आवश्यकता वाली सुविधाएं इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। साबुत मसालों के रूप में निर्यात करने पर इन उत्पादों और सूत्रों से उपलब्ध मूल्य की तुलना में बहुत अधिक मूल्य प्राप्त होगा। मसालों से नए उत्पादों के विकास में पौष्टिक, औषधीय और कॉस्मेटिक मूल्यों के क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान शामिल है, जो अधिकतम मूल्य प्राप्ति के साथ पेटेंट योग्य उत्पादों के निर्माण को आगे बढ़ा सकता है। यह योजना उत्पाद अनुसंधान और विकास, नैदानिक परीक्षण, गुणविशेषताओं का अधिप्रमाणन, पेटेंट करने और परीक्षण विपणन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। प्रति लाभार्थी सहायता में, सहायता-अनुदान के रूप में अधिकतम 25.00 लाख रुपए के अधीन परियोजना की लागत का 50 प्रतिशत प्रदान करने का प्रस्ताव है। यदि इसमें नैदानिक परीक्षण और पेटेंट करना शामिल हैं, तो यह सीमा 100 लाख रुपए की होगी।

वर्ष 2017-18 के दौरान, बोर्ड ने चालू परियोजनाओं के अनुदान के रूप में दो संस्थानों को 5.3 लाख रुपए जारी किए हैं।

घ) विदेश में भारतीय मसाला ब्रैंडों को बढ़ावा

कार्यक्रम का उद्देश्य गुणवत्तायुक्त भारतीय मसालों के ब्रैंडों की स्थिति को पहचानने के उपायों की एक श्रृंखला के माध्यम से विदेशी बाजारों में पहचाने जाने योग्य भारतीय ब्रैंडों के प्रवेश में सहायता करना है, जो पहचान और खाद्य सुरक्षा के स्पष्ट निशान के साथ विदेशी उपभोक्ताओं की पहुंच के भीतर हों। इस कार्यक्रम के

अंतर्गत, अपने ब्रैंड को पंजीकृत कराने वाले निर्यातकों को प्रति ब्रैंड 100 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। परियोजना के अंतर्गत और विदेशों के चुने गए शहरों के चिह्नित दूकानों में निर्दिष्ट ब्रैंडों को सुलभ करने के उद्देश्य से, स्लॉटिंग/लिस्टिंग शुल्क और प्रचार व्यय का 100 प्रतिशत और उत्पाद विकास की लागत का 50 प्रतिशत देने पर विचार किया जाएगा।

ङ) बोर्ड द्वारा बाजार अध्ययन

बोर्ड भारतीय मसालों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्पर्धियों को पहचानने और उपयुक्त तंत्रों को विकसित करने के लिए भारतीय मसालों के लिए पेशेवर एजेंसियों के माध्यम से बाजार अध्ययन कराने का प्रस्ताव रखता है। इसके अलावा, उचित मूल्य निर्धारण, प्रचार और विपणन तंत्र तैयार करने के लिए अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं का गहराई से अध्ययन किया जाना है। बोर्ड द्वारा कराये जाने वाले बाजार सर्वेक्षण से भारतीय मसालों की ताकत, कमजोरी, खतरों और अवसरों को जानने में मदद मिलेगी। अध्ययन विशेष रूप से छोटे पैमाने पर निर्यातकों और नए प्रवेशकों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें बाजार की बदलती स्थितियों और उनके निर्यात के कुशल संचालन के लिए अन्य नियमों के बारे में उचित सलाह दी जानी चाहिए। इस अध्ययन के आधार पर, निर्यातक ब्रैंड प्रचार प्रयासों का अनुसरण कर सकते हैं। बोर्ड बाजार अध्ययन के लिए पेशेवर एजेंसी के साथ एक समझौता निष्पादित करेगा और परियोजना प्रस्ताव के आधार पर 100 प्रतिशत सहायत प्रदान करेगा।

स्पाइसेस बोर्ड ने, वर्ष 2017-18 के दौरान मसालों के निर्यात संवर्धन पर अध्ययन करने और भारतीय मसालों के निर्यात हिस्से को बढ़ाने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक तंत्रों का सुझाव देने का कार्य भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी), नई दिल्ली को सौंपा है। अध्ययन प्रगति पर है और बोर्ड ने अध्ययन के लिए पहली किस्त के रूप में 8.1 लाख रुपए जारी किए है।

च) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों बैठकों और प्रशिक्षण में भागीदारी

बोर्ड भारतीय निर्यातकों और विदेशी आयातकों के बीच की एक अंतरराष्ट्रीय कड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय मसालों के प्रचार और निर्यातकों को अवसर प्रदान करने के लिए अपनी पहलुओं के हिस्से के रूप में तथा अंतर्राष्ट्रीय खरीददारों के समक्ष भारतीय मसालों की क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए बोर्ड अंतर्राष्ट्रीय मेलों, प्रदर्शनियों आदि में नियमित रूप से भाग ले रहा है। बोर्ड भारतीय व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख रेस्तरां और खाद्य श्रृंखलाओं के सहयोग से मसालों के उपयोग और अनुप्रयोगों को लोकप्रिय बनाने के लिए चुनिंदा प्रदर्शनी, खाद्य त्योहारों आदि में खाना पकाने के प्रदर्शन की भी व्यवस्था करता है। इसके अलावा, बोर्ड वार्षिक बैठकों, आईपीसी सम्मेलनों, कोडेक्स समितियों आदि में भाग लेता है। वर्ष 2017-18 के दौरान, बोर्ड ने 348.8 लाख रुपए के कुल व्यय पर 17 अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लिया है।

बोर्ड नियातकों को व्यापार उत्पन्न/विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। बोर्ड के सभी पंजीकृत निर्यातक आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी के लिए प्रतिपूर्ति के आधार पर सहायता-अनुदान के लिए पात्र हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान, कुल चार निर्यातकों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों आदि में भागीदारी के लिए 1.6 लाख रुपए के कुल व्यय की सहायता प्राप्त की।

इ) विपणन और सहायक सेवाएं

क) विपणन सेवाएं

स्पाइसेस बोर्ड भारत से मसालों और मसाला उत्पादों के निर्यात और इलायची के घरेलू विपणन को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रमों की एक श्रृंखला को कार्यान्वित कर रहा है। मसाला उत्पादन, विपणन, प्रसंस्करण, गुणवत्ता

सुधार इत्यादि के दौरान अपनी विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए बोर्ड दैनिक आधार पर पणधरियों की सहायता करता है और निर्यातकों, किसानों और राज्य सरकारों को सलाह और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

(i) पंजीकरण और लाइसेंसिंग

लाइसेंसिंग और पंजीकरण बोर्ड के नियामक कार्यों का एक हिस्सा है। बोर्ड मसालों के निर्यातकों (सीआरएस) को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करता है और इलायची (छोटी और बडी) में व्यापार के लिए नीलामी और डीलर लाइसेंस भी जारी करता है। वर्ष 2017-18 के दौरान, स्पाइसेस बोर्ड ने 808 मसाला निर्यातक (सीआरएस) पंजीकरण प्रमाण पत्र और 109 इलायची ब्यौहारी लाइसेंस जारी किए हैं।

(ii) ब्रैंड नाम का पंजीकरण

कार्यक्रम का उद्देश्य ब्रैंड नाम का पंजीकरण कर भारतीय ब्रैंड नामों के अंतर्गत उपभोक्ता पैक में मसालों/मसाला उत्पादों के निर्यात का समर्थन करना और ब्रैंडकृत उपभोक्ता पैक के तेजी से बढ़ते बाजार में बाजार हिस्सेदारी हासिल करना है। बोर्ड ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग के परामर्श से विभिन्न मसालों के लिए विभिन्न यूनिट वजन के लिए पैकिंग मानकों को निर्दिष्ट किया है और निर्यातकों को तीन वर्ष की अवधि के लिए पंजीकरण प्रदान किया जाता है।

(iii) इलायची के लिए नीलामी

वर्ष 2017-18 के दौरान, बोर्ड ने केरल के इडुक्की जिले में मसाला पार्क, पुट्टडी और तमिलनाडु में बोडिनायकन्नूर में इलायची (छोटी) की ई-नीलामी के संचालन की सुविधा जारी रखी। कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे अन्य राज्यों में इलायची (छोटी) और सिक्किम के सिंगताम और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में बड़ी इलायची के लिए मैन्युअल नीलामी आयोजित की गई।

(iv) मसालों के सीमा शुल्क नमूनों का परीक्षण

वर्ष 2017-18 के दौरान, बोर्ड ने सीमा शुल्क विभाग से प्राप्त मसालों के आयात माल के नमूने का परीक्षण किया है और कोच्ची बंदरगाह के माध्यम से श्री लंका, वियतनाम, इंडोनेशिया और इक्वाडोर से 1675 मीट्रिक टन कालीमिर्च के आयात के संबंध में परीक्षण रिपोर्ट जारी की गई थी। अग्रिम प्राधिकरण योजना के अंतर्गत तेल और तैलीराल के निष्कर्षण के लिए तैलीराल / पिपेरिन सामग्री का परीक्षण करने के बाद, आयात के संबंध में परिणाम जारी किए गए थे।

(v) मसालों का जीआई पंजीकरण

स्पाइसेस बोर्ड ने मलबार मिर्च, आलप्पी हरी इलायची, कूर्ग हरी इलायची, गुंटूर सन्नम मिर्च और ब्यादगी मिर्च के लिए जीआई पंजीकरण प्राप्त किया है। बोर्ड जीआई पंजीकृत मसालों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लोकप्रिय बना रहा है।

(vi) सिग्नेचर स्टॉल

मसालों को प्रदर्शित करने के लिए कोच्ची के लुलु मॉल में बोर्ड द्वारा एक सिग्नेचर स्टोल, स्पाइस इंडिया स्थापित किया गया है। इस स्टॉल की स्थापना मसालों और मसालों के उत्पादों की बिक्री के अलावा ऐतिहासिक पहलुओं, अपरंपरागत अनुप्रयोगों, उद्यमिता मार्ग आदि तत्वों के मिश्रण को प्रदर्शित कर भारतीय मसालों के लिए एक ब्रैंड छवि बनाने के पूर्ण उद्देश्य के साथ की गई है।

सिग्नेचर स्टॉल संचालित करने का काम, स्पाइसेस बोर्ड द्वारा प्रचारित एक कंपनी, फ्लेवरिट स्पाइस ट्रेडिंग लिमिटेड (एफएसटीएल को सौंपा गया है। एफएसटीएल बाजार बलों के साथ जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोगों के प्रयासों को सुव्यवस्थित करती है और आर्थिक और सामाजिक समावेश लाने के लिए उत्पादकों, सामूहिक और विकास उद्यमों की सहायता करती है।

ख) क्रेता-विक्रेता बैठक (बीएसएम)

स्पाइसेस बोर्ड प्रमुख मसाला उत्पादक क्षेत्रों में क्रेता-विक्रेता बैठके (बीएसएम) आयोजित कर रहा है ताकि मसाला उत्पादकों और निर्यातकों के बीच प्रत्यक्ष बाजार संबंध स्थापित करने के लिए एक मंच प्रदान किया जा सके। बीएसएम उत्पादकों और निर्यातकों दोनों को लाभकर स्थिति प्रदान करता है, जहां उत्पादकों को उनके उत्पादन के लिए लाभकारी मूल्य के साथ बाजार मिलता है, जबकि निर्यातकों को दीर्घकालिक पिछड़े संबंधों और गुणवत्ता वाले मसालों की प्रतिस्पर्धी सोर्सिंग के मामले में लाभ होता है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, बोर्ड ने देश भर में आठ बीएसएम आयोजित किए, जिनका विवरण नीचे की तालिका में दिया गया है:-

क्रम सं	स्थान	तारीख
1	इटानगर, अरुणाचल प्रदेश	26 अप्रैल, 2017
2	कोटा, राजस्थान	5 मई, 2017
3	हैदराबाद, तेलंगाना	8 जून, 2017
4	विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश	18 सितंबर, 2017
5	उंझा, गुजरात	13 अक्तूबर, 2017
6	हुबली, कर्नाटक	7 दिसंबर, 2017
7	मुंबई, महाराष्ट्र	7 जनवरी, 2018
8	गुवाहटी, असम	22 फरवरी, 2018

पूरे देश में मसाला उद्योग के पणधारियों ने इसमें काफी रुचि दिखाई है और बीएसएम में सक्रिय रूप से भाग लिया है, ताकि बाजार संबंध बनाने के लिए मंच का सबसे अच्छा उपयोग किया जा सके। लगभग 1800 किसान/किसान समूहों और 2750 मसाला निर्यातकों ने बीएसएम में सक्रिय रूप से भाग लिया था। वर्ष 2017-18 के दौरान, बीएसएम आयोजित करने का कुल व्यय 50 लाख रुपए था।

ग) व्यापार सूचना सेवा

व्यापार सूचना सेवा निर्यात, आयात, क्षेत्र, उत्पादन, इलायची की नीलामी और मसालों की घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कीमतों से संबंधित आंकड़ों का संग्रह, संकलन, विश्लेषण और प्रसार करती है।

सीमा शुल्क प्राधिकरणों द्वारा ज़ारी निर्यात की दैनिक सूची (डीएलई) भारत से मसालों के मासिक अनुमानित निर्यात का संकलन करने के लिए सूचना का प्रमुख स्रोत है। इसी तरह, सीमा शुल्क द्वारा जारी की गई दैनिक आयात सूची (डीएलआई) भारत में मसालों के मासिक आयात का अनुमान लगाने का स्रोत है। बोर्ड मसालों के निर्यात और आयात विवरण को अपने पणधारियों और मंत्रालय/विभागों को नियमित आधार पर संकलित और प्रसारित कर रहा है। बोर्ड नियमित रूप से कोचीन, जेएनपीटी, चेन्नई, तूतिकोरिन, मुंद्रा, कोलकाता, पेट्रोपोल, मोहाधिपुर, रक्सौल, अमृतसर इत्यादि सभी प्रमुख बंदरगाहों से डीएलई और डीएलआई दोनों एकत्रित कर रहा है। इसके अलावा बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से भी जानकारी एकत्र की जाती है।

स्पाइसेस बोर्ड वेबसाइटों और प्रकाशनों के माध्यम से अंतिम उपयोगकर्ताओं को नियमित आधार पर भारत और विदेशों के प्रमुख बाजारों के लिए मसालों की घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कीमतों का संकलन और प्रसार कर रहा है। भारत का कालीमिर्च और मसाला व्यापार संगठन, कृषि उत्पादन विपणन समितियां, व्यापारियों का संघ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र, जनेवा, अंतर्राष्ट्रीय कालीमिर्च समुदाय, इंडोनेशिया, एए साइया और कंपनी, यूएसए आदि मूल्य विवरण एकत्र करने की प्रमुख स्रोत एजेंसियां हैं। ये सभी जानकारियां बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की सदस्यता के माध्यम से एकत्र की जाती हैं।

स्पाइसेस बोर्ड इलायची (छोटी और बडी) के विकास के लिए ज़िम्मेदार है और बोर्ड के कार्यालय नेटवर्क द्वारा आयोजित क्षेत्र नमूना अध्ययन के आदानों का उपयोग करके, बोर्ड के व्यापार सूचना सेवा प्रभाग द्वारा इन मसालों के क्षेत्र, उत्पादन

और उत्पादकता का अनुमान किया जाता है। अन्य मसालों के क्षेत्र और उत्पादन के आंकड़े राज्य अर्थशास्त्र और सांख्यिकी/कृषि/बागवानी विभाग/डीएएसडी से संकलन के लिए एकत्र किए जाते हैं। बोर्ड के प्रकाशनों के साथ-साथ बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से पणधारियों और नीति निर्माताओं को अन्य मसालों के क्षेत्र और उत्पादन पर जानकारी प्रसारित की गई है।

स्पाइसेस बोर्ड (निर्यातकों के पंजीकरण) विनियमों के अनुसार, मसालों के सभी पंजीकृत निर्यातकों को अपना तिमाही निर्यात रिटर्न बोर्ड को जमा करना होता है। वर्ष 2014-17 की खण्ड अवधि के दौरान, लगभग 6150 निर्यातकों को बोर्ड के साथ पंजीकृत किया गया था और व्यापार सूचना सेवा ने इन निर्यातकों के त्रैमासिक निर्यात रिटर्न को संकलित किया है तथा मसालों के लिए निर्यातक वार डेटाबेस बनाए रखता है। यह बोर्ड को वेबसाइट के माध्यम से प्रत्येक मसाले के प्रमुख निर्यातकों के ब्यौरे को संकलित और प्रकाशित करने में सक्षम करता है।

स्पाइसेस बोर्ड, तमिलनाडु में बोडिनायकन्नूर और केरल के पुट्टडी में बोर्ड द्वारा विकसित ई-नीलामी केंद्रों में छोटी इलायची के व्यापार के लिए ई-नीलामी आयोजित करना है। दैनिक नीलामी मात्रा और इलायची की कीमत पर विवरण वेबसाइट के माध्यम से दैनिक आधार पर संकलित और प्रसारित किए जाते हैं और नीलामी बिक्री पर समेकित विवरण और औसत मूल्य को बोर्ड के प्रकाशनों के माध्यम से संकलित और प्रसारित किया जाता है।

उद्योग के पणधारियों के लाभ के लिए प्रमुख विदेशी बाजारों सहित विभिन्न बाजार केंद्रों में मसालों की कीमत संबंधी जानकारी, साप्ताहिक आधार पर ऑनलाइन पर 'स्पाइसेस-मार्केट' और मासिक आधार पर 'स्पाइस इंडिया' के माध्यम से एकत्रित, संकलित और प्रकाशित की जाती है।

व्यापार सूचना सेवा के अंतर्गत वर्ष 2017-18 के दौरान 0.2 लाख रुपए व्यय किए गए हैं।

(i) मसालों के क्षेत्रफ़ल और उत्पादन

वर्ष 2016-17 की तुलना में, 2017-18 के लिए छोटी व बडी इलायची का क्षेत्रफ़ल, उत्पादन और उत्पादकता तालिका-I और तालिका-II में दी गई है। वर्ष 2015-16 की तुलना में, 2016-17 के लिए अन्य मसालों के क्षेत्रफ़ल और उत्पादन तालिका-III में दिए गए हैं।

तालिका-I

इलायची (छोटी) का राज्यवार क्षेत्र व उत्पादन

(क्षेत्र हेक्टयर में, उत्पादन मे.ट.में, उत्पादकता कि.ग्रा./हे.में)

राज्य	2017-18				2016-17			
	कुल क्षेत्र	उपजवाला क्षेत्र	उत्पादन	औसतन उत्पादकता	कुल क्षेत्र	उपजवाला क्षेत्र	उत्पादन	औसतन उत्पादकता
केरल	39080	31577	18350	581	39080	31148	15650	502
कर्नाटक	25135	17628	1450	82	25117	17808	1449	81
तमिलनाडु	5115	3565	850	238	5160	3616	891	246
कुल	69330	52770	20650	391	69357	52572	17990	342

स्रोतः नमूना अध्ययन के आधार पर अनुमान।

तालिका-II
इलायची (बड़ी) का राज्यवार क्षेत्र व उत्पादन

(क्षेत्र हेक्टयर में, उत्पादन मे.ट.में, उत्पादकता कि.ग्रा./हे.में)

राज्य	2017-18				2016-17			
	कुल क्षेत्र	उपजवाला क्षेत्र	उत्पादन	औसतन उत्पादकता	कुल क्षेत्र	उपजवाला क्षेत्र	उत्पादन	औसतन उत्पादकता
सिक्किम	23312	18232	4860	266.67	23312	18137	4633	256
पश्चिम बंगाल	3305	3159	1045	330.48	3305	3129	939	300
कुल	26617	21391	5905	276.10	26617	21266	5572	263

स्रोतः नमूना अध्ययन के आधार पर अनुमान।

तालिका-III
प्रमुख मसालों का क्षेत्र व उत्पादन

(क्षेत्र हेक्टयर में उत्पादन टनों में)

मसाला	2016-17(अ)		2015-16	
	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन
कालीमिर्च	131230	57000	131790	48500
मिर्च	830770	1872010	742950	1497440
अदरक	164850	1081430	156910	1025110
हल्दी	193395	1051160	183480	967060
लहसुन	274550	1271220	295600	1603500
धनिया	662345	609350	624780	572990
जीरा	760130	485480	808230	503260
बड़ी सौंक	74660	124610	76000	129350
मेथी	218430	220160	227960	248350

स्रोतः राज्य आर्थिकी व सांख्यिकी निदेशालय/कृषि/बागवानी विभाग,
सुपारी व मसाले विकास निदेशालय, कोषिक्कोड
(अ) अनंतिम

(ii) इलायची (छोटी) की नीलाम बिक्री और कीमतें

वर्ष 2017-18 (अगस्त 2017-जुलाई 2018) और वर्ष 2016-17 (अगस्त 2016-जुलाई 2017) केलिए इलायची (छोटी) की राज्यवार नीलामी बिक्री और भारित औसत कीमतें तालिका IV में दी गई हैं।

तालिका-IV

इलायची (छोटी) की नीलाम बिक्री और मूल्य

(मात्राः टनों में, मूल्यः रु./कि.ग्रा.)

राज्य	2017-18 (अगस्त-जुलाई)(अ)		2016-17 (अगस्त-जुलाई)	
	नीलामित मात्रा	भारित औसत नीलामित मूल्य	नीलामित मात्रा	भारित औसत नीलामित मूल्य
केरल और तमिलनाडु (इ-नीलम)	27860	955.70	19777	1088.89
कर्नाटक	14	845.29	46	777.71
महाराष्ट्र	65	1033.82	37	1268.41
कुल	27939	955.82	19860	1088.50

(अ) अनंतिम

स्रोतः लाइसेंस धारी नीलमकर्ताओं से प्राप्त रिपोर्टें

(iii) इलायची (बड़ी) की कीमतें

वर्ष 2017-18 और वर्ष 2016-17 केलिए गांतोक और सिलिगुडी बाज़ारों में इलायची (बडी) औसत थोक कीमतें तालिक की राज्यवार नीलामी बिक्री और भारित औसत कीमतें तालिका-V में दी गई हैं।

तालिका-V

इलायची (बडी) की औसत थोक कीमतें

(मूल्य : रु./कि.ग्रा.)

केंद्र	ग्रेड	2017-18	2016-17
गान्तोक	बड़ादाना	599.70	973.94
सिलीगुडी	बड़ादाना	763.44	1079.82

(iv) अन्य प्रमुख मसालों की कीमतें

मुख्य विपणि केन्द्रों में प्रमुख मसालों की औसत कीमतें तालिका-VI में दी जाती हैं। इन कीमतों को गौण स्रोतों, जैसेकि चेंबर ऑफ़ कॉमर्स, इंडियन पेप्पर एंड स्पाइस ट्रेड एसोसिएशन (आई पी एस टी ए), मर्चेंट्स एसोसिएशन द्वारा तैयार की गई बाज़ार समीक्षाओं से एकत्रित किया गया है।

तालिका-VI

मुख्य विपणि केन्द्रों में प्रमुख मसालों की कीमत (मूल्यः रु./कि.ग्रा.में)

(मूल्य : रु./कि.ग्रा.)

मसाला	विपणि	2016-17	2017-18
कालीमिर्च (एम जी-1)	कोचीन	694.77	473.73
मिर्च	गुंटूर	97.68	56.39
अदरक	कोचीन	160.33	129.72
हल्दी	चेन्नई	120.87	118.60
धनिया	चेन्नई	85.03	73.32
जीरा	चेन्नई	190.76	199.88
बड़ी सौंफ़	चेन्नई	107.70	94.19
मेथी	चेन्नई	53.16	42.06
लहसुन	चेन्नई	91.08	44.74
खसखस बीज	चेन्नई	365.70	466.58
अजोवन बीज	चेन्नई	191.96	99.46
सरसो	चेन्नई	52.51	54.95
इमली	चेन्नई	111.01	131.42
केसर	दिल्ली	185479.00	143146.00
लौंग	कोचीन	749.20	671.10
जायफ़ल (बिना छिलके के)	कोचीन	399.98	329.63
जावित्री (मेस)	कोचीन	484.48	441.09

(v) भारत से मसालों का निर्यात निष्पादन

वर्ष 2017-18 के दौरान भी भारतीय मसालों के निर्यात बढते रुख को जारी रखने में सक्षम रहा हैं। इस अवधि के दौरान, भारत से 17929.55 करोड़ (2781.46 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर) मूल्य के 10,28,060 टन मसाले और मसाला उत्पादों का कुल निर्यात हुआ है, जबकि वर्ष 2016-17 के दौरान 17664.61 करोड़ (2633.29 दशलक्ष अमरीकी डॉलर) मूल्य के 9,47,790 टन मसाले का कुल निर्यात रिकॉर्ड किया गया था। इस प्रकार मात्रा में आठ प्रतिशत और मूल्य में रुपए के हिसाब से एक प्रतिशत और डॉलर के हिसाब से छह प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

वर्ष 2017-18 में, मसालों का कुल निर्यात मात्रा और मूल्य दोनों के संदर्भ में लक्ष्य से अधिक हुआ है। मात्रा में 10,23,000 टन और 17665.10 करोड़ रुपए (2636.58 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर) के मसालों के निर्यात का लक्ष्य था और मात्रा के मामले में 100 प्रतिशत और मूल्य के तौर पर रुपए में 101 प्रतिशत और डॉलर में 105 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त की गई।

वर्ष 2017-18 के दौरान, इलायची (छोटी), जीरा, लहसुन, अजोवन बीज, सरसों, सोआ बीज इत्यादि अन्य बीजों का निर्यात और करी पाउडर/पेस्ट, मसाले के तेल और तैलीराल जैसे मुल्यवर्धित उत्पादों में वर्ष 2016-17 की तुलना में मात्रा और मूल्य दोनों में वृद्धि दर्शाई है। मिर्च, धनिया, अजोवन और जायफल और जावित्री (मेस) के निर्यात में केवल मात्रा के मामले में वृद्धि दर्शाई है, जबकि पुदीने के उत्पादों के निर्यात में केवल मूल्य के संदर्भ में वृद्धि दर्शाई है।

जहां तक अलग-अलग मसालों का सवाल है, पिछले वर्ष के 421.50 करोड़ रुपए के 3,850 टन की तुलना में कुल मिलाकर 5,680 टन इलायची (छोटी) का निर्यात किया गया है जिसकी कीमत 609.08 करोड़ रुपए है, इसने मात्रा में 48 प्रतिशत और मूल्य में 45 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। यह देश से इलायची (छोटी) के निर्यात के इतिहास में एक सर्वकालिक रिकार्ड है। पिछले वर्ष के 1963.20 करोड़ रुपए के 1,19,000 टन के मुकाबले वर्ष 2017-18 के दौरान, मात्रा में 21 प्रतिशत और 23 प्रतिशत मूल्य वृद्धि दर्ज करते हुए 2418 करोड़ रुपए के कुल 1,43,670 टन जीरे का निर्यात किया गया था। वर्ष 2016-17 के 307.12 करोड़ रुपए मूल्य के 32,200 टन के मुकाबले वर्ष 2017-18 के दौरान मात्रा में 46 प्रतिशत और मूल्य में एक प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 309.36 करोड़ रुपए मूल्य पर 46,980 टन लहसुन का निर्यात हुआ था।

मूल्यवर्धित उत्पादों के मामले में, पिछले वर्ष के 599.10 करोड़ रुपए के 28,500 टन के मुकाबले 2017-18 में करी पाउडर/पेस्ट का निर्यात 30,150 टन हुआ जिसका मूल्य 616.20 करोड़ रुपए था, जिसने मात्रा में छह प्रतिशत और मूल्य में तीन प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। इसके अलावा, पिछले वर्ष के 2307.75 करोड़ रुपए मूल्य के 12,100 टन के मुकाबले वर्ष 2017-18 में 2661.72 करोड़ रुपए मूल्य के 17,200 टन मसाले के तेल और तैलीराल का कुल निर्यात हुआ, इसने मात्रा में 42 प्रतिशत की वृद्धि और मूल्य में 15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।

वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान भारत से मसालों का मदवार अनुमानित निर्यात और 2017-18 के लिए प्रस्तावित लक्ष्य के साथ, लक्ष्य की प्रतिशत-लब्धि का विवरण क्रमशः तालिका VII और तालिका VIII में दिया गया हैः

तालिका-VII

वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान भारत से मसालों का निर्यात

मद	2017-18(*)		2016-17		2017-18 में प्रतिशत परिवर्तन	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य		
	(टन)	(लाख रुपए में)	(टन)	(लाख रुपए में)	मात्रा	मूल्य
कालीमिर्च	16,840	82,078.00	17,600	114,312.50	-4%	-28%
इलायची(छोटी)	5,680	60,908.50	3,850	42,150.00	48%	45%
इलायची (बड़ी)	760	5,646.00	780	8,265.50	-3%	-32%
मिर्च	443,900	425,633.00	400,250	507,075.00	11%	-16%
अदरक	22,605	21,606.55	24,950	25,705.00	-9%	-16%
हल्दी	107,300	103,567.00	116,500	124,189.00	-8%	-17%
धनिया	35,185	27,274.70	30.300	29,207.50	16%	-7%
जीरा	143,670	241,799.50	119,000	196,320.00	21%	23%
सेलरी	6,480	5,950.40	6,250	6,246.00	4%	-5%
बड़ी सौंफ	34.550	25,906.50	35,150	30,875.50	-2%	-16%
मेथी	29,280	12,688.90	34,680	18,276.50	-16%	-31%
अन्य बीज(1)	22,175	16,045.80	18.100	15,455.00	23%	4%
लहसुन	46,980	30,936.00	32,200	30,711.50	46%	1%
जायफल & (जावित्री)मेस	5,500	22,094.30	5,070	23,641.65	8%	-7%
अन्य मसाले(2)	38,305	60,192.75	40,210	50,595.00	-5%	19%
करी पाउडर/ पेस्ट	30,150	61,619.50	28,500	59,910.00	6%	3%
पुदीना उत्पाद(3)	21,500	322,835.50	22,300	252,750.00	-4%	28%
मसाला तेल व तैलीराल	17.200	266,172.40	12,100	230,775.00	42%	15%
कुल	1,028,060	1,792,955.30	947,790	1,766,460.65	8%	1%
मूल्य दशलक्ष यूएस डॉलरों में		2781.46		2,633.29		6%

(1) में सरसों, सौंफ, अजोवन बीज, सोआ बीज, खसखस बीज आदि शामिल हैं।

(2) में इमली, हींग, कैसिया, केसर आदि शामिल हैं।

(3) में पुदीना तेल, मेंथॉळ और मेंथॉळ क्रिस्टल शामिल हैं।

स्रोतः सीमा शुल्क से प्राप्त डी एल ई, प्रादेशिक कार्यालयों की रिपोर्ट, पिछले वर्ष के निर्यात रुख आदि पर आधारित अनुमान।

(*) अनुमान

तालिका-VIII

लक्ष्य की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान भारत से मसालों का निर्यात

मद	2017-18 केलिए लक्ष्य		2017-18 केलिए उपलब्धि		2017-18 की प्रतिशत प्राप्ति	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य		
	(टन)	(लाख रुपए में)	(टन)	(लाख रुपए में)	मात्रा	मूल्य
कालीमिर्च	23,000	140,300.00	16,840	82,078.00	73%	59%
इलायची(छोटी)	5,000	55,000.00	5,680	60,908.50	114%	111%
इलायची (बड़ी)	700	6,475.00	760	5,646.00	109%	87%
मिर्च	440,000	418,000.00	443,900	425,633.00	101%	102%
अदरक	30,000	33,000.00	22,605	21,606.55	75%	65%
हल्दी	120,000	114,000.00	107,300	103,567.00	89%	91%
धनिया	30,000	24,000.00	35,185	27,274.70	117%	114%
जीरा	140,000	238,000.00	143,670	241,799.50	103%	102%
सेलरी	5,500	4,950.00	6,480	5,950.40	118%	120%
बड़ी सौंफ	35,000	28,000.00	34,550	25,906.50	99%	93%
मेथी	30,000	15,450.00	29,280	12,688.90	98%	82%
अन्य बीज(1)	20,000	18,000.00	22,175	16,045.80	111%	89%
लहसुन	32,000	22,400.00	46,980	30,936.00	147%	138%
जायफल & (जावित्री)मेस	4,750	22,657.50	5,500	22,094.30	116%	98%
अन्य मसाले(2)	44,050	68,277.50	38.305	60,192.75	87%	88%
करी पाउडर/ पेस्ट	28,000	63,000.00	30,150	60,192.75	108%	98%
पुदीना उत्पाद(3)	22,000	280,500.00	21,500	322,835.50	98%	115%
मसाला तेल व तैलीराल	13,000	214,500.00	17,200	266,172.40	132%	124%
कुल	1,023,000	1,766,510.00	1,028,060	1,792,955.30	100%	101%
मूल्य दशलक्ष यूएस डॉलरों में		2636.58		2781.46		105%

(1) में सरसों, सौंफ, अजोवन बीज, सोआ बीज, खसखस बीज आदि शामिल हैं।

(2) में इमली, हींग, कैसिया, केसर आदि शामिल हैं।

(3) में पुदीना तेल, मेंथॉळ और मेंथॉळ क्रिस्टल शामिल हैं।

स्रोतः सीमा शुल्क से प्राप्त डी एल ई, प्रादेशिक कार्यालयों की रिपोर्ट, पिछले वर्ष के निर्यात-रुख आदि पर आधारित अनुमान।

घ) अन्य पहलें

बोर्ड ने अन्य स्रोतों से भारत में कालीमिर्च के सस्ते आयात को रोकने के उद्देश्य से मिर्च (500 रुपए प्रति किलो) के लिए न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) प्रस्तावित किया। एमआईपी को डीजीएफटी द्वारा अधिसूचित किया गया था और इससे घरेलू बाजारों में कालीमिर्च की कीमतों में और गिरावट को रोकने में मदद मिली है, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमतों में भारी गिरावट आई है।

6. प्रचार एवं संवर्धन

भारतीय मसाले बिरादरी की प्रतिष्ठा और सद्भावना को बढ़ाने के लिए एक अच्छे प्रचार तंत्र तैयार करना महत्वपूर्ण है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, बोर्ड ने दुनिया भर में भारतीय मसालों के प्रचार और ब्रैंडिंग के लिए गतिविधियां जारी रखीं। इन तंत्रों को भारतीय मसालों, मसाला उद्योग और बोर्ड की गतिविधियों को प्रचारित और बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान स्थापित अंतरराष्ट्रीय और घरेलू मेलों में प्रेस विज्ञप्ति, विज्ञापन अभियान, ऑनलाइन प्रचार अभियान, पत्रिकाओं के मुद्रण और प्रकाशन, ब्रोशर इत्यादि के माध्यम से सार्वजनिक संबंधों और मसालों पर वीडियो स्पॉट प्रदर्शित करने में भागीदारी प्रमुख सुर्खियां रहीं।

बहु-विषयक प्रचार गतिविधियों ने बोर्ड और मसाला उद्योग को समर्थन दिया है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय मसालों की मांग को बढ़ावा देता है।

अ) अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी

बोर्ड भारतीय निर्यातकों और विदेशों में आयातकों के बीच की एक अंतरराष्ट्रीय कड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय मसालों के प्रचार के लिए अपनी पहल के हिस्से के रूप में, स्पाइसेस बोर्ड प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भागीदारी भारतीय मसाला निर्यातकों को मौजूदा मसाला आयातकों के साथ व्यापार संबंधों के लिए बातचीत और निर्माण करने के लिए लागत प्रभावी अवसर बनाने में सहायता करती है, जिससे भारतीय मसाला उद्योग के व्यापार क्षितिज का विस्तार होता है। यह उपभोक्ता व्यवहार और खाद्य आदतों, खुदरा और थोक बाजार आवश्यकताओं, खाद्य सुरक्षा और आयात करने वाले देशों के सुरक्षा संबंधी मानदंडों के विभिन्न पहलुओं को समझने में भी बोर्ड की मदद करता है।

मौजूदा बाजारों में बाजार हिस्सेदारी को मजबूत और विस्तारित करने के अलावा, संभावित बाजार क्षेत्रों का दोहन करने के लिए भागीदारी हेतु अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों का चयन किया गया था। बोर्ड ने प्रमुख प्रदर्शनों में मसालों के निर्यातकों को भागीदारी की सुविधा प्रदान की और बोर्ड के बैनर के अंतर्गत जहां भी संभव हो निर्यातकों को, उनकी स्वतंत्र प्रचार गतिविधि के लिए अलग-अलग क्यूबिकल्स/स्टॉल प्रदान किए गए। इन कार्यक्रमों में भागीदारी आयोजित करने के लिए बोर्ड के अधिकारियों ने दर्शकों के साथ संवाद और बातचीत की और आगे मसाला निर्यातकों को प्रसारित करने के लिए व्यापारिक पूछताछ और अनुवर्ती जानकारी एकत्रित की।

क्रम सं.	मेले का नाम	स्थान	तारीख
1	सम्मर फ़ैन्सी फ़ूड शो	न्यूयोर्क सिटी, यूएसए	25-26 जून, 2017
2	एच के टी डी सी फ़ूड एकस्पो	वान चाई, होंगकोंग	17-21 अगस्त, 2017
3	फ़ूड एग्रो अफ़्रीका 2017	दार-एस-सलाम, तानसानिया	22-24 अगस्त, 2017
4	फ़ूड इंग्रेडियंट्स, साउथ अमेरिका (एफ़ आई एस ए)	सावो पोलो, ब्रज़ील	22-24 अगस्त, 2017
5	रीगा फ़ूड 2017	रीगा लात्विया	6-9 सितंबर, 2017
6	फ़ाइन फ़ूड आस्ट्रेलिया	सिडनी, आस्ट्रेलिया	11-14 सितंबर, 2017
7	वर्ल्ड फ़ूड मोस्को	मोस्को, रूस	11-14 सितंबर, 2017

8	एक्स्पो फ़्यूच्युरो कोलंबिया	रिसाराल्डा, कोलंबिया	13-15 सितंबर, 2017
9	वर्ल्ड फ़ूड कज़ाकस्तान	अलमाटी, कज़ाकस्तान	1-3 नवंबर, 2017
10	अनूगा	फ्रैंकफ़र्ट, जर्मनी	7-11 अक्तूबर, 2017
11	वर्ल्ड फ़ूड एक्स्पो साउथ कोरिया	गोयांग सी, साउथ कोरिया	30 नवंबर से 3 दिसंबर, 2017
12	एफ़ आई यूरोप	को लॉन, जर्मनी	28-30 नवंबर, 2017
13	सियाल मिडिल ईस्ट, यू ए ई	एड्नेक, यू ए ई	12-14 दिसंबर 2017
14	गल्फ़ फ़ूड मैनुफ़ैक्चरिंग	दुबई, यू ए ई	31 अक्तूबर से 2 नवंबर, 2017
15	जनद्रिया फ़ेस्टिवल	रियाद, साउदी अरब	7-24 फ़रवरी, 2018
16	बायोफ़ैक	न्यूरमबर्ग, जर्मनी	15-18 फ़रवरी, 2018
17	इंडिया शो चिली	सैंटियागो, चिली	01 मार्च, 2018

आ) घरेलू मेलों में भागीदारी

घरेलू मेले मसाला उद्योग के विभिन्न पणधारियों तक पहुंचने के लिए एक प्रभावी उपकरण माने जाते हैं। वित्तीय वर्ष के दौरान, स्पाइसेस बोर्ड ने प्रमुख मसाले के उत्पादन और विपणन केंद्रों में आयोजित महत्वपूर्ण घरेलू मेलों में भाग लिया। व्यापार मेले, बोर्ड को किसानों व्यापारियों, निर्यातकों, वैज्ञानिकों, व्यापार सहायता संस्थानों, अन्य निर्यात प्रचार एजेंसियों/संगठनों आदि से बातचीत करने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं, जो मसाला क्षेत्र से संबंधित कार्यक्रमों, गतिविधियों और परियोजनाओं को समन्वयित करने में मदद करेंगे। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान मेलों में भागीदारी ने भारतीय मसालों की घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मांग दोनों का दोहन करने के अलावा, पैन इंडिया स्तर पर बोर्ड की गतिविधियों के बारे में जागरूकता पैदा करने में मदद की।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, स्पाइसेस बोर्ड ने भारत भर में 37 घरेलू प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों में भाग लिया।

क्रम सं.	मेले का नाम	तारीख	स्थान
1	वैब्रण्ट नोर्थ ईस्ट	4-6 मई 2017	गुवाहटी, असम
2	अक्वा अक्वेरिया इण्डिया 2017	14-16 मई 2017	नेहरु मैदान, मंगलुरू, कर्नाटक
3	ऐट्थ कृषि फ़ेयर 2017	15-19 मई, 2017	मुक्ताकाश रंगमंचा, पुरी ठाउण, उडीसा
4	मत्स्योत्सवम-2017	27-29 मई, 2017	केंटेंनमेंट मैदान, कोल्लम, केरल
5	फ़ूड एंड तकनोलजी एकस्पो 2017	14-16 जुलाई, 2017	प्रगति मैदान, नई दिल्ली
6	डेस्टिनेशन हिमाचल प्रदेश	12-14 सितंबर, 2017	पालंपुर, हिमाचल प्रदेश
7	अन्नपूर्णा	14-16 सितंबर, 2017	मुंबई, महाराष्ट्र

8	उपासी इंडस्ट्रियल एक्सिबिशन	13-14 सितंबर, 2017	कून्नूर, तमिलनाडु
9	फ़ॉर्थ वैब्रण्ट इंडिया	13-15 अक्तूबर, 2017	दिल्ली हाट, पीतम, नई, दिल्ली
10	वर्ल्ड फ़ूड इंडिया	3-5 नवंबर, 2017	दिल्ली
11	फ़ूड इंग्रेडियंट्स इंडिया	9-11 नवंबर, 2017	मुंबई
12	इंडिया इंटेरनेशनल ट्रेड फ़ेयर	14-27 नवंबर, 2017	दिल्ली
13	इलवेंथ इंडियन फ़िशरीस एंड अक्वाकल्चर फ़ोरम	21-24 नवंबर, 2017	कोच्ची, केरल
14	शांघाई फ़ेस्टिवल	21-22 नवंबर, 2017	मणिपुर
15	नाइन्थ ईस्ट हिमालयन एक्स्पो	14-20 दिसंबर, 2017	शिलांग, मेघालय
16	टेन्थ ओणाट्टुकरा एग्री फ़ेस्ट	19-23 दिसंबर, 2017	चारुम्मूड, केरल
17	ट्वंटिऐट्थ एग्रेक्स, 2017	22-28 दिसंबर, 2017	आलप्पुषा, केरल
18	वैगा 2018	25-27 दिसंबर, 2017	तृशूर, केरल
19	कोचीन फ़्लवर शो	29 दिसंबर 2017 से 7 जनवरी 2018 तक	डी एच रोड, एरणाकुलम, केरल
20	फ़िफ़्थ असम एग्री होर्टी शो	5-8 जनवरी 2018	डिब्रूगढ, असम
21	इंटेरनेशनल सिम्पोसियम सफ़ारी 2 2018 (सी एम एफ़ आर आई)	15-17 जनवरी 2018	कोच्ची, केरल
22	इंडस फ़ूड 2018	18-19 जनवरी 2018	दिल्ली
23	हल्दी फ़ेस्ट	19-20 जनवरी	कोषिक्कोड, केरल
24	ड्राई चिल्ली मेला	20-22 जनवरी 2018	हुब्बल्ली, कर्नाटक
25	ट्वंटिफ़र्स्ट इंडिया इंटेरनेशनल सीफ़ूड शो	27-28 जनवरी 2018	गोवा
26	विशन जम्मू व कश्मीर 2018	29-31 जनवरी 2018	उधमपुर, जम्मु व कश्मीर
27	युवा किसान महोत्सव 2018	2-5 फ़रवरी 2018	लखिमपुर, असम
28	डेस्टिनेशन गोवा	2-4 फ़रवरी 2018	गोवा
29	कर्षकश्री फ़ार्म फ़ेस्ट	7-11 फ़रवरी 2018	न्यूमान कोलेज ग्राउंड, तोडुपुषा, केरल
30	फ़िफ़्थ इंटेरनेशनल फ़ूड व पैक टेक एक्स्पो 2017	9-11 फ़रवरी 2018	लाभ गंगा एक्सिबिशन सेंटर, इंदौर, मध्य प्रदेश
31	फ़्लेवर व फ़ैग्रेन्सेस एक्स्पो 2018	16-17 फ़रवरी 2018	बोम्बे एक्सिबिशन सेंटर, मुंबई

32	सुपारी आधारित फसल प्रणाली के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी करने पर इंटरफेस कार्यक्रम	19-20 फ़रवरी 2018	सी पी सी आर आई, कहिकुची, असम
33	सांगली फ़र्स्ट 2018	23-25 फ़रवरी 2018	सांगली, महाराष्ट्र
34	एमर्जिंग नोर्थ ईस्ट	4-6 मार्च, 2018	गुवाहटी, असम
35	एम एस एम ई फ़ूड एक्स्पो	9-10 मार्च 2018	चेन्नई
36	आहार 2018	13-17 मार्च 2018	प्रगति मैदान, नई दिल्ली
37	कृषि उन्नति मेला	16-19 मार्च 2018	पी यू एस ए, दिल्ली

इ) संवर्धनात्मक अभियान:

क) भारतीय मसालों पर विज्ञापन/वीडियो स्पॉटों की स्क्रीनिंग:

बोर्ड ने विभिन्न भारतीय मसालों के पाक और गैर-पाक पहलुओं को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से भारतीय मसालों पर 15 वीडियो स्पॉट (60 सेकेंड) और दो विज्ञापन बनाए थे। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, स्पॉट्स को तीन चरणों में लगभग 400 सिनेमाघरों/ मल्टीप्लेक्स में प्रदर्शित किया गया था।

ख) ऑनलाइन संवर्धनात्मक अभियान:

स्पाइसेस बोर्ड ने ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर मसालों के लिए ऑनलाइन प्रचार अभियान चलाने के लिए इंडिया ब्रैंड इक्विटी फाउंडेशन (आईबीईएफ) के साथ सहयोग किया था। इसे ऑनलाइन दर्शकों को शिक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, यह मसालों पर जागरूकता पैदा करता है जिसमें वानस्पतिक, भौगोलिक, व्यापार, चिकित्सीय और पाककला के पहलू शामिल हैं।

ग) पत्रिकाएं

(i) बोर्ड की मासिक पत्रिका स्पाइस इण्डिया, पांच भाषाओं-अंग्रेजी, हिंदी, मलयालम, कन्नड और तमिल में प्रकाशित की जाती है। अनुसूची के अनुसार त्रैमासिक अंकों को तेलुगू और नेपाली भाषाओं में भी जारी किया गया था।

(ii) फ़ोरिन ट्रेड एड्क्वयरीस बुलेटिन (एफटीईबी): मसालों के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए, विदेशी व्यापार मेलों, ई-मेल और बोर्ड के कार्यालयों से बोर्ड द्वारा सीधे एकत्रित व्यापारिक जानकारी आदि को एफटीईबी के रूप में समेकित और प्रकाशित किया गया।

घ) अन्य प्रकाशन:

उपर्युक्त प्रकाशनों के अतिरिक्त, वर्ष 2017-18 के दौरान निम्नलिखित ब्रोशर और प्रचार साहित्य मुद्रित किए गए थे:

- स्पाइसेस बोर्ड पर सामान्य विवरणिका (अंग्रेजी)।
- अंतरराष्ट्रीय मेलों के लिए विवरणिका
- पकाने की विधि पुस्तिका: उत्तर पूर्व के स्पाइस एस्केपेडस।

वर्ष 2017-18 के दौरान, इस योजना के अंतर्गत 258.4 लाख रुपए का कुल व्यय किया गया है।

7. कोडेक्स सेल और हस्तक्षेप

अ) मसालों और पाक शाकों पर कोडेक्स समिति (सीसीएससीएच)

वैश्विक खाद्य मानक- स्थापित करने वाले निकाय कोडेक्स एलिमेंटारियस कमीशन (सीएसी) ने वर्ष के दौरान 17-22 जुलाई, 2017 को जिनेवा में आयोजित 40वें सत्र में कालीमिर्च BWG, जीरा और थाइम के मानकों को अपनाया है। ये मसालों और शाकों के लिए पहले कोडेक्स मानक हैं और विश्व मसाला व्यापार के परिप्रेक्ष्य से एक बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा, 40वें सत्र में सीसीएससीएच द्वारा प्रस्तुत सूखे लहसुन, अदरक, मिर्च और पैप्रिका, तुलसी, केसर, लौंग और जायफल के लिए मानकों को प्रारूपित करने के लिए नए कार्य प्रस्तावों को सीएसी की मंजूरी मिली।

सीसीएससीएच के चेनै में संपन्न तीसरे सत्र ने इलेक्ट्रॉनिक वर्किंग ग्रूप (ईडब्ल्यूजी) द्वारा सूखे / निर्जलित अदरक, सूखी मिर्च और पैप्रिका, सूखी तुलसी, सूखे केसर, सूखी लौंग, ओरगेनो और सूखे जायफल के लिए प्रस्तावित मसौदा मानकों को विकसित करने का कार्य शुरू किया। बोर्ड के वैज्ञानिकों ने लहसुन, मिर्च और पैप्रिका के लिए कार्य की अध्यक्षता और केसर के लिए काम की सह-अध्यक्षता की और अदरक, तुलसी, लौंग, ओरगेनो और जायफल के लिए ईडब्ल्यूजी में सक्रिय सदस्यों के रूप में भाग लिया।

स्पाइसेस बोर्ड का कोडेक्स सेल, विभिन्न मसौदा मानकों की तैयारी में सक्रिय रूप से शामिल था जिसके लिए सीसीएससीएच3 के दौरान ईडब्ल्यूजी का गठन किया गया था। मानकों के मसौदे में भारतीय पणधारियों की सक्रिय भागीदारी और आदान के लिए एक ऑनलाइन मंच बनाया गया था। इसके अलावा, बोर्ड ने 24 से 25 फरवरी, 2018 तक पेरिस के चेटौ लेस मेसनल्स, कोडेक्स द्वारा आयोजित मेजबान देश कार्यशाला में भाग लिया।

आ) आगामी सत्र (सीसीएससीएच4)

मेक्सिको ने सीसीएससीएच (सीसीएससीएच4) के अगले सत्र की सह-मेजबानी करने की अपनी इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपना वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के कारण सीसीएससीएच 4की सह-मेजबानी करने में असमर्थता जताई। उन्होंने सुनिश्चित किया कि वे अपने मंत्रालय से सीसीएससीएच5 की सह-मेजबानी की संभावना का पता लगाएंगे। इसलिए चौथा सत्र भारत द्वारा आयोजित किया जाएगा, जो 21 से 25 जनवरी, 2019 के दौरान केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित होने वाला है। सीसीएससीएच 4 के आयोजन स्थल के रूप में होटल लीला कोवलम को चुना गया है।

इ) खाद्य में संदूषकों पर कोडेक्स समिति (सीसीसीएफ)

सीसीसीएफ के द्वारा तैयार मसालों में माइकोटॉक्सिन संदूषण की रोकथाम और कमी की व्यावहारिक संहिता (सीओपी) को 17-22 जुलाई, 2017 के दौरान जिनेवा में आयोजित कोडेक्स एलिमेंटारियस कमीशन के चौथे सत्र में अपनाया गया था। स्पाइसेस बोर्ड के पदाधिकारियों ने इस सी ओ पी की तैयारी में सक्रिय भागीदारी की थी। खाद्य पदार्थों (सीसीसीएफ) में संदूषण पर कोडेक्स कमेटी के 11वें सत्र (अप्रैल वर्ष 2017) के दौरान, भारत ने पांच मसालोंः जायफल, मिर्च और पैप्रिका, अदरक, कालीमिर्च और हल्दी के लिए एफलाटॉक्सिन (एएफटी) और ओक्राटॉक्सिन ए (ओटीए) की अलग-अलग अधिकतम सीमा (एमएल) की स्थापना के लिए नए कार्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए। इसके आधार पर, समिति भारत की अध्यक्षता में एक इलेक्ट्रॉनिक वार्षिक ग्रूप (ईडब्ल्यूजी) के माध्यम से जायफल, मिर्च और पैप्रिका, अदरक, कालीमिर्च और हल्दी पर एएफटी और ओटीए के लिए एमएल पर नए काम शुरू करने पर सहमत हुई, यह केवल ऑनलाइन काम कर रही है।

12-16 मार्च, 2018 के दौरान यूट्रेक्ट, नीदरलैंड में आयोजित सीसीसीएफ 12 में विचार-विमर्श हेतु इस कार्य के लिए चर्चा-पर्चा का मसौदा तैयार किया गया था। बोर्ड के वैज्ञानिक ने भारत की तरफ से ईडब्ल्यूजी कार्य की अध्यक्षता की और बोर्ड के कोडेक्स सेल ने विभिन्न सदस्य देशों से ईडब्ल्यूजी द्वारा एकत्रित मसालों में मौजूद माइकोटॉक्सिन से डेटा की समीक्षा करने और दस्तावेज़ तैयार करने के लिए सक्रिय रूप से काम किया।

सत्र में, चयनित मसालों में एएफटी और ओटीए के लिए एमएल की स्थापना पर प्रस्तावित मसौदा चर्चा-पर्चा भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया था। विचार - विमर्श के बाद राष्ट्रों को समय देने हेतु, सीसीसीएफ ने कार्य को निलंबित करने और चरण 4 में एएफटी के लिए 20/30 यूजी/किग्रा और ओटीए के लिए 20 यूजी/किग्रा रखने और एमएल और मसालों में माइकोटॉक्सिन में कमी के लिए सीओपी लागू करने और तीन वर्ष बाद डेटा जमा करने पर सहमति व्यक्त की।

ई) कीटनाशकों के अवशेषों पर कोडेक्स समिति (सीसीपीआर)

कीटनाशक अवशेषों (जेएमपीआर) पर संयुक्त एफएओ/डब्ल्यूएचओ बैठक के मूल्यांकन के लिए मसालों में कीटनाशकों की निगरानी का डेटा मूल्यांकन के लिए नेटवर्क को ऑर्डिनेटर, कीटनाशक अवशेषों पर अखिल भारतीय नेटवर्क परियोजना, (एआईएनपीपीआर-आईसीएआर) को जमा किया गया और कोडेक्स अधिकतम अवशेष सीमा (एमआरएल) निर्धारण के लिए प्रस्तुत किया गया था।

उ) खाद्य स्वच्छता पर कोडेक्स समिति (सीसीएफएच)

बोर्ड ने खाद्य स्वच्छता (सीसीएफएच 49 पर कोडेक्स कमेटी के उनचासवें सत्र में भाग लिया और बोर्ड के कोडेक्स सेल ने सीसीएफएच में निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक कार्यकारी समूहों (ईडब्ल्यूजी) में सक्रिय रूप से काम किया।

- खाद्य से उत्पन्न हुए (सूक्ष्म) जैविक संकट/प्रकोप के प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश का विकास
- खाद्य स्वच्छता के सामान्य सिद्धांतों का संशोधन

8. ई-स्पाइस बाज़ार

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मिर्च और हल्दी के लिए ई-स्पाइस बाजार ट्रेसेबिलिटी प्रोजेक्ट, भारतीय स्पाइसेस बोर्ड और इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डेइटी), भारत सरकार की एक संयुक्त परियोजना है। परियोजना का उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला में मसाले का पता लगाने की क्षमता लाने और खरीददारों के साथ किसान के सीधे संपर्क को सक्षम करना है। इस परियोजना की एक प्रमुख विशेषता, उत्पादक कृषक संगठन (एफपीओ) को व्यवस्थित करना है, जो किसानों को सामूहिक रूप से आदान एकत्रित करने और उत्पादन को अधिक पेशेवर और क्षमता के साथ बेचने की पहल के लिए जोड़ सकता है।

वर्ष 2017-18 की अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के 54 मंडलों के 528 गांवों के 52,687 किसान इस परियोजना के अंतर्गत शामिल थे, जिनमें 11055 हल्दी के और 41587 मिर्च के किसान थे। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश के प्रकाशम और कृष्णा जिलों से परियोजना में 45 करी पत्ते के किसान भी जोड़े गए थे। जीएस1 इंडिया द्वारा आवंटित सभी किसानों को वैश्विक स्थान संख्या (जीएलएन) आवंटित की गई थीं। इसके अलावा, वैश्विक जीएपी प्रमाणन कार्यक्रम के अंतर्गत मिर्च के 660 किसानों और करी पत्ते के 45 किसानों को जोड़ा गया।

वर्ष 2017-18 के दौरान, ई-स्पाइस बाजार परियोजना क्षेत्र के गांवों में कुल 22 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम, क्षेत्रीय सेमिनार, व्यापारी बैठक और मास्टर प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं। इसके अलावा, क्षेत्रीय संयोजक द्वारा अपने परियोजना क्षेत्रों में खेत स्तर की बैठकें आयोजित की गईं।

माननीय केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री सुरेश प्रभु और आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबु नायडू ने 25 फरवरी, 2018 को विशाखापत्तनम में आधिकारिक तौर पर वेब पोर्टल, www,espicebazaar.com का शुभारंभ किया था। वेब पोर्टल में सभी किसानों, उनके खेतों, उर्वरक और कीटनाशक अनुप्रयोगों सहित कृषि पद्धतियों का विवरण दिया गया है। क्षेत्रीय संयोजक ने वेब पोर्टल पर जानकारी अपलोड की है, और किसानों का पता लगाने केलिए वेबपोर्टल के माध्यम से बैग पर फिक्स करने के लिए क्यूआर कोड उत्पन्न किए जाते हैं।

वेब पोर्टल में कुल 205 कंपनियां खरीददार के रूप में पंजीकृत हैं। पोर्टल में उत्पादक कृषक संगठन भी सूचीबद्ध हैं ताकि सदस्य किसानों को अपने खरीददारों के साथ लेनदेन को सक्षम किया जा सके। वर्ष 2017-18 के दौरान, विशाखपट्टणम क्षेत्र से ई-स्पाइस बाजार के अंतर्गत कुल 10 एफपीओ पंजीकृत किए गए थे, जिनमें कालीमिर्च किसान भी शामिल थे। ई-स्पाइस बाज़ार वेब पोर्टलों के माध्यम से वर्ष के दौरान निम्नलिखित तीन लेन-देन हुए थेः-

- वेब पोर्टल में खरीददार के रूप में पंजीकृत एक कंपनी, मैसर्स आत्मीया एग्री बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड ने पंजीकृत एफपीओ गुंटूर जिले के चेयुथा एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर कंपनी से 8500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 75 क्विंटल मिर्च खरीदी।
- वेब पोर्टल के एक खरीददार, कोलकाता की मैसर्स अरिचा ट्रेडिंग कंपनी ने गुंटूर जिले के कोयावरिपलेम गांव के एक किसान श्री कोया वेंकट राव से 10,000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 35 क्विंटल मिर्च खरीदी।
- एक पंजीकृत खरीददार, मैसर्स ओलम एग्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने गुंटूर जिले के मंगलगिरि मंडल के नुट्टाकी गांव के मैपको नामक पंजीकृत एफपीओ से 6500 रुपए प्रति क्विंटल की द से 850 क्विंटल हल्दी खरीदी।

वास्तविक समय मौसम रिपोर्ट, प्रमुख बाजारों, अधिसूचनाओं, अच्छी कृषि प्रथाओं, एकीकृत कीट प्रबंधन, फसल सलाहकार, खेती पर वीडियो इत्यादि से वस्तुओं की कीमत वेब पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई थी। वर्ष 2017-18 में पोर्टल में पंजीकृत एफपीओ की सूची नीचे दी गई है।

- पडेरू कृषि विपणन और सहयोगी उत्पादक पारस्परिक रूप से सहकारी समिति, पेडरू, विशाखापट्टणम जिला।
- जी मदुगुला कृषि और सहयोगी उत्पादक पारस्परिक रूप से सहायता प्राप्त सहकारी समिति लिमिटेड, जी, मदुगुला, विशाखापट्टणम जिला।
- जी.के. वीथी कृषि और सहयोगी उत्पादक पारस्परिक रूप से सहयोगी सहकारी समिति, जी के वीथी, विशाखापट्टणम जिला।
- चिंतापल्ली कृषि और सहयोगी उत्पादक परस्पर सहयोगी सहकाही समिति, चिंतापल्ली, विशाखापट्टणम जिला।
- मांचिंगिपुट्टू कृषि और संबद्ध उत्पादक पारस्परिक रूप से सहयोगी सहकारी समिति, पेडरू, विशाखपट्टणम जिला।
- पेडाबायलू कृषि और सहयोगी उत्पादक पारस्परिक रूप से सहयोगी पेडरू, वीशाखापट्टणम जिला।
- आंध्र कश्मीर ट्राइबल फर्मिंग एंड मार्केटिंग प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, तजंगी, चिंतापल्ली, विशाखापत्तनम जिला।
- आदिवासी अभिवृद्धि सांस्कृतिक संगम (एएएसएसएवी), हट्टागुडा गांव, अराकुवालली मंडल, विशाखापट्टणम जिला।
- गिरि चैतन्य फार्मिंग एंड मार्केटिंग ने पारस्परिक रूप से सहायता प्राप्त सहकारी समिति, पुजारीपक्कलु, जी.के. वीथी पोस्ट और मंडल, विशाखापट्टणम जिला।
- मैथोटा,ट्राइबल फार्मिंग एंड मार्केटिंग प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, डोमालगोंडी, चिंतापल्ली, विशाखापट्टणम जिला।

9. गुणवत्ता सुधार

स्पाइसेस बोर्ड ने 1989 में कोच्ची में अपनी पहली गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला (क्यूईएल) की स्थापना की। क्यूईएल, कोच्ची को 1997 से आईएसओ 9001 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत प्रमाणित किया गया है और 1999 से ब्रिटिश मानक संस्थान, यूके द्वारा आईएसओ 14001 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली और सितंबर 2004 के बाद से राष्ट्रीय प्रमाणीकरण बोर्ड, परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं (एनएबीएल), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा आईएसओ/आईईसीः 17025 के रूप में प्रमाणित किया गया है।

निर्यातकों को तेजी से विश्लेषणात्मक सेवाएं प्रदान करने के एक हिस्से के रूप में, स्पाइसेस बोर्ड ने पूरे भारत में क्षेत्रीय क्यूईएल स्थापित किए हैं। अब चेन्नई, गुंटूर, मुंबई, नई दिल्ली, तूतिकोरिन और कांडला जैसे प्रमुख उत्पादन/निर्यात केंद्रों में छह क्षेत्रीय गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाएं संचालित हैं। कोलकाता में सातवीं क्षेत्रीय क्यूईएल की स्थापना की जा रही है और जल्द ही इसके कार्य आरंभ करने की आशा है। कोच्ची, मुंबई, गुंटूर, चेन्नई और दिल्ली की प्रयोगशालाओं को एनएबीएल मान्यता प्राप्त है और अन्य दो प्रयोगशालाएं मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया में हैं। आयात करने वाले देशों की आवश्यकताओं के अनुसार प्रयोगशालाओं को परिष्कृत उपकरणों से सुसज्जित किया गया है। वर्कशीट और विश्लेषणात्मक परिणामों को प्रस्तुत करने सहित प्रयोगशाला की विश्लेषणात्मक सेवाओं से संबंधित दस्तावेज "क्यूयूएडीएमएएस" नामक सॉफ्टवेयर सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन उत्पादित किए जाते हैं और इनका लगातार अद्यतन कार्य होता है। क्यूईएल स्पाइसेस बोर्ड के अनिवार्य निरीक्षण के अंतर्गत आनेवाले परेषण के नमूने का विश्लेषण करते हैं, भारतीय मसाला उद्योग को विश्लेषणात्मक सेवाएं प्रदान करते हैं और देश में उत्पादित और संसाधित मसालों की गुणवत्ता की निगरानी में मदद करते हैं।

अ) विश्लेषणात्मक सेवाएं:

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, प्रयोगशाला ने मिर्च, मिर्च उत्पादों, हल्दी पाउडर और मिर्च युक्त अन्य खाद्य उत्पादों के परेषणों के अनिवार्य नमूने के अंतर्गत सूडान डाई 1-4 और एफ़्लाटोक्सिन की मौजूदगी के लिए मिर्च और मिर्च उत्पादों के अनिवार्य नमूने का विश्लेषण जारी रखा। चीनी लेपित बडी सौंफ़ के बीज (सनसेट येल्लो के लिए), करी पत्तियों (कीटनाशकों अर्थात् ईयू के प्रोफनोफोस, ट्रीइज़ोफोस और एंडोसल्फन के लिए), जीरा के बीज (बाहरी पदार्थ और अन्य बीजों के लिए) और मिर्च, जीरा और मसाले मिश्रण (यू एस में साल्मोनेला के लिए) बोर्ड के अनिवार्य निरीक्षण के अनुसार निर्यात माल का विश्लेषण किया गया।

इस अवधि के दौरान इप्रोबेंफोस, प्रोफेनोफोस, ट्राइज़ोफोस, ट्राइज़ोफोस, एथियोन, फोरेट, पैराथियेन, क्लोरपीरिफोस और मेथिल पैराथियन जैसे कीटनाशकों के अवशेषों के लिए भारत से जापान भेजे जाने वाले मिर्च, जीरा, हल्दी, कालीमिर्च, मेथी और हरी इलायची जैसे मसालों और मसाला उत्पादों (तेल और तैलीराल को छोड़कर) का साबुत और पीसे रूप में परीक्षण और आयातित कालीमिर्च के परेषणों में पिपेरीन और तैलीराल घटक का विश्लेषण भी किया गया था।

मसालों और मसाले उत्पादों में सामान्य भौतिक, रासायनिक और सूक्ष्मजीव वैज्ञानिक मानकों के अलावा अन्य गैरकानूनी रंगों (जैसे पैरा रेड, रोडामीन बी, बट्टार येल्लो, सूडान रेड 7बी और सुडान ऑरेंज जी), ओक्रेटॉक्सिन ए, कालीमिर्च में खनिज तेल का पता लगाने, इलायची मे अवैध रंग, अमलतास (कैसिया)/दालचीनी आदि में कौमारिन घटक जैसे विभिन्न मानकों के लिए विश्लेषणात्मक सेवा भी प्रदान की गई थी।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान प्रयोगशाला में एफ्लाटॉक्सिन, अवैध रंगों, कीटनाशक अवशेष, साल्मोनेला सहित विभिन्न मानकों के लिए 1,17,474 नमूनों का विश्लेषण किया गया।

आ) मानव संसाधन विकास कार्यक्रमः

इस अवधि के दौरान, प्रयोगशाला कर्मियों की तकनीकी क्षमताओं में सुधार और प्रयोगशाला द्वारा अपनाई गई विभिन्न गुणवत्ता प्रणालियों की आवश्यकताओं को अद्यतन करने के भाग के रूप में, तकनीकी कर्मचारियों ने निम्नलिखित राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम/ कार्यशालाओं में भाग लिया।

1 रियो डी जेनिएरो में 2 से 7 अप्रैल, 2017 के दौरान खाद्य में संदूषकों पर कोडेक्स समिति का प्रशिक्षण कार्यक्रम।

2 नई दिल्ली में, 1 और 2 मई. 2017 को सीआईआई के सहयोग से वाणिज्य विभाग द्वारा मानक क्षेत्रीय और क्षेत्रीय समावेश के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय तंत्र विकसित करने पर चौथा राष्ट्रीय मानक सम्मेलन।

3 चेन्नई में एनएबीएल द्वारा 2 से 5 मई, 2017 को आयोजित "आईएसओ/आईईसी 17025 के अनुसार प्रवीणता परिक्षण के लिए सामान्य आवश्यकताएं" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।

4 क्यूईएल, कोच्ची में 5 और 6 जून, 2017 को क्यूचर विधि द्वारा कीटनाशक अवशेष विश्लेषण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।

5 एसटीक्यूसी, नोएडा में, 14 से 16 जून, 2017 के दौरान माप में अनिश्चितता पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।

6 वाटर्स लैब बैंगलोर में, 29 मई से 1 जून, 2017 तक माइकोटॉक्सिन्स पर एफएसएसएआई द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम।

7 अबाद प्लाजा, कोच्ची में, 15 से 17 सितंबर, 2017 तक, परीक्षा परिणामों और परीक्षा प्रक्रियाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर क्यू-इंडिया सलाहकार सेवाओं द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम।

8 सीआईआई बैंगलोर में, 8 और 9 फरवरी, 2018 को आईएसओ 17025 पर दो दिन का जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम।

9 एनआईएफएम फरीदाबाद में, 19 से 24 मार्च, 2018 तक सार्वजिक खरीद, सामान्य वित्तीय नियम 2017 और ई-प्रोक्योरमेंट पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।

10 चेन्नई में 2 से 5 मई, 2017 के दौरान आयोजित आईएसओ के अनुसार प्रवीणता परीक्षण के लिए सामान्य आवश्यकताः आईईसी 17043:2010 पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।

11 सीआईआई बैंगलोर में 19 से 22 सितंबर, 2017 के दौरान आयोजित आई एस ओ / आई ई सी 17025:2017 अनुसार प्रयोगशाला प्रबंधन और आंतरिक लेखापरीक्षा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।

12 बैंगलोर में 2 से 6 अक्तूबर, 2017 तक एनएबीएल निर्धारक पाठ्यक्रम।

13 वर्ष 2018 एनएबीएल बैंगलोर में 8 और 9 फरवरी, 2018 को एनएबीएल आईएसओ 17025:2017 के परिचय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।

14 नोएडा में 14 से 16 जून, 2017 तक एसटीक्यूसी अनिश्चितता माप पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।

इ) प्रशिक्षण कार्यक्रम

क) मसाला उद्योग/कॉलेजों के तकनीकी कर्मियों के लिएः

प्रयोगशाला ने वर्ष 2017-18 में भौतिक, रासायनिक, अवशेषत्मक और सूक्ष्मजैविक मानकों के लिए मसालों और मसाला उत्पादों के विश्लेषण पर चार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। विभिन्न मसाला उद्योगों के तकनीकी कर्मियों समेत कुल 21 प्रतिभागियों ने कार्यक्रमों में भाग लिया

प्रयोगशाला ने विभिन्न कॉलेजों/विश्वविद्यालयों से एमएससी अंतिम वर्ष के छात्रों (6 प्रतिभागी) और बीएससी छात्रों (19 प्रतिभागी) के लिए शोध प्रबंध सुविधाएं और मार्गदर्शन प्रदान किया

ख) क्यूईएल द्वारा आयोजित अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम

- गुजरात राज्य सरकार के अधिकारियों को 30 जनवरी, 2018 को "मसालों और मसाला उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण और उत्पाद प्रमाणीकरण" पर प्रशिक्षण दिया गया। 5 और 6 फरवरी, 2018 को क्यूईएल, मुंबई में "गुणवत्ता नियंत्रण, निर्यात प्रक्रिया, उत्पाद प्रमाणन और मसालों के निर्यात के लिए जरूरी अन्य प्रमाणन" पर महाराष्ट्र सरकार के सरकारी अधिकारियों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया
- फरवरी 2018 में उत्तर प्रदेश, गोवा और कर्नाटक राज्य के अधिकारियों को "मसालों और मसाले उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण और उत्पाद प्रमाणन" पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया
- वाशिम,महाराष्ट्र में, 6 मार्च 2018 को मिर्च और हल्दी की फसल कटाई के बाद गुणवत्ता में सुधार पर राज्य अधिकारियों के लिए मास्टर प्रशिक्षण आयोजित किया
- क्यूईएल, कोच्ची और नरेला में, सितंबर, 2017 के दौरान जम्मू-कश्मीर सरकार के 14 अधिकारियों को केसर और अन्य मसालों में भौतिक और रासायनिक मानकों के लिए गुणवत्ता परीक्षण पर एक महीने का प्रशिक्षण दिया गया
- आईसीआरआई, सकलेशपुर में 21 से 23 नवंबर, 2017 तक कृषि कौशल परिषद द्वारा पैक हाउस श्रमिकों पर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण (टीओटी)
- वर्ष 2018 के दौरान प्रयोगशालाओं के सभी स्टाफ एसआरडी स्टाफ एवं प्रशिक्षु विश्लेषज्ञो को मैसर्स इनसाइट क्यू कंसल्टेंसी, कोचीन द्वारा, 6 फरवरी, 2018 को आईएसओ 9001 और 14001: 2015 संस्करण के अनुसार आंतरिक लेखा परीक्षा पर प्रशिक्षण

ई) राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में भागीदारी:

प्रयोगशाला ने मसालों/मसाला उत्पादों के लिए गुणवत्ता के मुद्दों, विनिर्देशों के निर्माण आदि से संबंधित राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लिया। वर्ष 2017-2018 के दौरान प्रयोगशाला के तकनीकी कर्मचारियों ने निम्नलिखित कार्यक्रमों में भाग लिया:

- स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची में 1 जून, 2017 को आयोजित मसालों में एसपीएस पर डब्ल्यूटीओ-एसटीडीएफ इंटरैक्टिव कार्यशाला पर बैठक
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली में 6 अक्तूबर, वर्ष 2017 को खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना से संबंधित परियोजना प्रस्तावों की जांच के लिए टेक्नो स्क्रूटीनी कमेटी (टीएससी) की बैठक
- नई दिल्ली में नीति आयोग द्वारा 10 अक्तूबर, 2017 को आयोजित किसानों की बैठक
- अक्टूबर 2017 में आईएमजी, तिरुवनंतपुरम्, केरल में खाद्य सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा गवर्नन्स में उत्कृष्टता के लिए आईएमजी क्षमता निर्माण पर कार्यशाला
- बैंक्वेट हॉल, होटल अशोक, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में 6 अक्तूबर, 2017 को हिस्सेदारों के साथ सीआईएम की बातचीत
- होटल रॉयल प्लाजा, नई दिल्ली में, 1 नवंबर, 2017 को आयोजित कीटनाशकों के लिए एमआरएल निर्धारित करने के लिए वैश्विक स्तर पर लागू विभिन्न दृष्टिकोणों और व्यापार और तंत्र पर उनके प्रभाव पर विचार सत्र
- नई दिल्ली में अनुगा फूड टेक के लिए 11 दिसंबर, 2017 को उद्योग की बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस
- नई दिल्ली में, 14 दिसंबर, 2017 को सीआईटीडी के लिए यूरोपीय संघ-भारत क्षमता निर्माण पहल परियोजना की संगोष्ठी

- एफएसएसएआई भवन, नई दिल्ली में, 5 फरवरी, 2018 को खाद्य सुरक्षा और अनुप्रयुक्त पोषण में वैज्ञानिक सहयोग पर राष्ट्रीय सम्मेलन
- एफएसएसएआई भवन, नई दिल्ली में 23 फरवरी, 2018 को सीसीसीएफ 12 के लिए दूसरी शैडो समिति की बैठक
- ब्रसेल्स और गेन्ट, बेल्जियम में 5 से 16 मार्च, 2018 तक सूक्ष्मजैविकी में खाद्य परीक्षण पर बीटीएफएस, ईसी द्वारा आयोजित प्रशिक्षण
- सीएसआईआर-एनआईआईएसटी, पापनंकोड, त्रिवेंद्रम द्वारा आयोजित डाइऑक्सीन के विश्लेषण पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला
- कृषि भवन, नई दिल्ली द्वारा 4 अगस्त, 2017 को आयोजित राष्ट्रीय स्तर पर कीटनाशक अवशेषों की निगरानी के लिए गठित तकनीकी समिति की 29वीं बैठक
- उद्योग भवन, नई दिल्ली में, 25 अगस्त, 2017 को एनएबीएल द्वारा आयोजित एनएबीएल द्वारा प्रयोगशालाओं के प्रमाणीकरण के लिए एकीकृत दृष्टिकोण
- कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा (एआईएनपीपीआर-आईसीएआर) 14 और 15 जुलाई, 2017 को कीटनाशक अवशेषों पर अखिल भारतीय नेटवर्क परियोजना की 25वीं वार्षिक कार्यशाला
- नई दिल्ली में, 8 सितंबर, 2017 को सीआईटीडी द्वारा आयोजित खाद्य परीक्षण क्षमताओं के विकास पर कार्य सत्र
- एफएसएसएआई भवन, नई दिल्ली में, 19 सितंबर, 2017 को आयोजित खाद्य स्वच्छता पर कोडेक्स कमेटी के 49वें सत्र के लिए पहली शैडो समिति की बैठक
- नई दिल्ली में एफडीए भवन द्वारा, 22 दिसंबर, 2017 को आयोजित एफएओ के साथ फ़ूड फ्रोड एण्ड कंटामिनेशन परियोजना के संदर्भ में बैठक
- ईआईसी में 19 जनवरी, 2018 को निर्यात निरीक्षण परिषद की 13वीं बैठक
- एमओएफपीआई, नई दिल्ली में, 23 जनवरी, 2018 को खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन से संबंधित परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए टेक्नो स्क्रूटिनी कमेटी (टीएससी) की दूसरी बैठक

उ) आईएसओ प्रणालियों से संबंधित गतिविधियां:

- वर्ष के दौरान एनएबीएल आईएसओ 17025:2005 (एनएबीएल) ने अपने निगरानी लेखा परीक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत क्यूईएल, चेन्नई की लेखा परीक्षा की थी और लेखा परीक्षा, बिना किसी गैर-अनुरूपता (एनसी) के पूरी हुई
- एनएबीएल द्वारा गुंटूर में गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला की निगरानी लेखा परीक्षा आयोजित की गई थी, लेखा परीक्षा, बिना किसी गैर-अनुरूपता (एनसी) के पूरी हुई
- क्यूईएल, कोच्ची ने आईएसओ/आईईसी 17025, आईएसओ 9001: 2008 और आईएसओ 14001:2004 जैसी गुणवत्ता प्रणालियों के कार्यान्वयन/अनुपालन को जारी रखा। गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, कोच्ची ने सितंबर, 2017 में आईएसओ 9001 और 14001 की लेखा परीक्षा और अगस्त, 2017 के दौरान आईएसओ/आईईसी 17025 पर लेखापरीक्षा सफलतापूर्वक पूरी की
- गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, कोच्ची में आईएसओ 9001:2008 और 14001:2004 का 2015 संस्करण में उन्नयन कार्य किया गया था

- क्यूईएल, कांडला और क्यूईएल, तूतिकोरिन में आईएसओ 17025 के अंतर्गत मान्यता के लिए प्रलेखन प्रक्रिया की गई थी
- गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला मुंबई ने 30 और 31 दिसंबर, 2017 को आयोजित एनएबीएल पुनर्मूल्यांकन लेखा परीक्षा पूरी की है और वर्ष 2020 तक प्रमाणीकरण की वैधता को नवीकृत कर दिया गया है
- इस अवधि दौरान, क्यूईएल, दिल्ली को अपने मौजूदा पैरामीटरों के अलावा अतिरिक्त पैरामीटर (4 केमिकल और 2 माइक्रोबायोलॉजिकल) के लिए प्रत्यायित किया गया था

ऊ) एएसटीए जाँच नमूना कार्यक्रमः

क्यूईएल नियमित रूप से अमेरिकन स्पाइस ट्रेड एसोसिएशन (एएटीए) द्वारा आयोजित एएसटीए चेक नमूना कार्यक्रम में भाग लेता है। वर्ष के दौरान कोच्ची, मुंबई, गुंटूर, चेन्नई, तूतिकोरिन और नरेला में क्यूईएल ने मिर्च, कालीमिर्च और ओरगेनो जैसे मसालों में रंग मूल्य, कैप्सेइसिन, जल सक्रियता, कुल राख, एसिड अघुलनशील राख, भाप वाष्पशील तेल, नमी, पिपेरीन सामग्री, ई कोली, साल्मोनेला और कोलिफोर्म पैरामीटरों के लिए कार्यक्रम में भाग लिया। एएटसीए द्वारा उपरोक्त नमूना जाँच कार्यक्रम के चार दौर आयोजित किए गए थे और क्यूईएल द्वारा प्रस्तुत परीक्षण रिपोर्ट के सभी जेड स्कोर संतोषजनक और सीमाओं के भीतर पाए गए थे।

ऋ) स्पाइसेस बोर्ड जाँच नमूना/प्रवीणता परीक्षण कार्यक्रमः

गुणवत्ता मूल्यांकन मूल्यांकन प्रयोगशाला, कोच्ची ने इंटरनेशनल प्लेट काउण्ड, यीस्ट एवं फफूंदी की गिनती, बैसिलस सेरस, साल्मोनेला, एंटरोबैक्टेरियेसी, क्लॉस्ट्रिडियम पेरफ्रिंजेस और साल्मोनेल्ला जैसे सूक्ष्मजैविक पैरामीर के लिए निजी परीक्षण प्रयोगशालाओं और अन्य क्यूईएल के साथ अंतर प्रयोगशाला जांच (आईएलसी) नमूना कार्यक्रम वीआईडीएएस विधि) के तीन दौर अयोजित किए। आईईसी कार्यक्रमों के सभी दौरों में क्यूईएल, कोच्ची का प्रदर्शन संतोषजनक था।

बोर्ड के सभी क्यूईएल ने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी एफईआरए, यूके द्वारा आयोजित एफ़्लाटोक्सिन, ओक्राटॉक्सिन ए और अन्य अवैध रंजकों के लिए एफएपीएके प्रवीणता परीक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया। प्रयोगशाला द्वारा प्रस्तुत सभी परिणाम जेड स्कोर सीमा के भीतर पाए गए थे। इसके अलावा प्रयोगशालाओं ने मैसर्स अश्वी पी टी प्रदाताओं द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय पीटी कार्यक्रम में भाग लिया और परिणाम जेड स्कोर सीमा के काफी भीतर पाए गए।

ए) आईएसओ मानकों के साथ भारतीय मानकों का तालमेलः

प्रयोगशाला के कर्मचारियों ने आईएसओ मानकों और एफएसएसएआई के साथ भारतीय मानकों के समन्यय के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), एफएसएसएआई और आईएसओ सचिवालय के सहयोग से आयोजित बैठकों में भाग लिया। प्रयोगशाला कर्मचारियों ने मसालों और पाक संबंधी शाकों पर कोडेक्स कमेटी (सीसीएससीएच) में सक्रिय रूप से भाग लिया और विनिर्देशों को तैयार करने के लिए विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक कार्यकारी समूहों की अध्यक्षता की।

- ब्राजील के रियो डी जेनेरो, फूड्स में खाद्य पदार्थों में प्रदूषकों पर 2 से 6 अप्रैल, 2017 तक आयोजित कोडेक्स समिति द्वारा आयोजित कोडेक्स एलीमेंटियस कमीशन की बैठक
- राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संगठनों/एजेंसियों द्वारा मांगे जाने पर मसालों के विनिर्देशों/गुणवत्ता के मुद्दों से संबंधित विभिन्न दस्तावेजों पर बीआईएस, आईएसओ, आईपीसी और कोडेक्स सचिवालयों को टिप्पणियां/सुझाव प्रदान किए गए

मसालों और पाक शाकों पर कोडेक्स कमेटी (सीसीएससीएच) का अगला (चौथा) सत्र जनवरी, 2019 के दौरान भारत के तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया जाएगा। इसकी तैयारी इस अवधि के दौरान शुरू की गई थी।

ऐ) शुरू की गई परियोजनाएं/मानकीकरण कार्यः

इस अवधि के दौरान स्पइसेस बोर्ड के क्यूईएल द्वारा निम्नलिखित परियोजनाएं/मानकीकरण कार्य शुरू किए गए थे।

1. क्यूईएल, मुंबई ने सूक्ष्मजैविक विश्लेषण के लिए नवीनतम उन्नत उपकरणों को खरीद कर सूक्ष्मजीवविज्ञान में रेफरल लैब के रूप में कार्य शुरू करने के लिए "सूक्ष्मजीवविज्ञान में उत्कृष्टता केंद्र" की अन्य गतिविधियों को लागू किया। सभी क्यूईएल को स्पाइसेस बोर्ड के अनिवार्य निरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत साल्मोनेला के विश्लेषण के लिए उन्नत उपकरणों के साथ अद्यतित किया गया।
2. आईसीएआर-आईएसआर और स्पाइसेस बोर्ड के साथ असली दालचीनी (सिनामोमम वर्म सिन. सी. जेलेनलिकम) और अमलतास (कैसिया) (दालचीनी कैसिया) को अलग करने के लिए एक सरल विधि विकसित करने के लिए एक परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था और भारतीय मसाला फसल अनुसंधान संस्थान (आईआईएसआर), कोषिक्कोड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
3. एनआरसीजी, पुणे के साथ सहयोग में गैस क्रोमैटोग्राफी टंडेम मास स्पेक्ट्रोमेट्री द्वारा इलायची, मिर्च और जीरा में कीटनाशक अवशेषों के विश्लेषण के लिए एक बहु अवशेष विधि के विकास और सत्यापन पर एक परियोजना प्रगति पर है जिसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा हो चुका है और इसे विधि सत्यापन के लिए स्थानांतरित कर दिया गया है।
4. पिपेरीन विश्लेषण के लिए विधि को मान्य किया गया और आयातित कालीमिर्च के नमूनों के आईएसओ-5564 विधि के अनुसार के विश्लेषण की शुरुआत की गई।
5. जनवरी, 2018 से यूरोपीय संघ को निर्यात किए जाने वाले परेषण के लिए मिर्च में एक कीटनाशक अवशेष निगरानी कार्यक्रम शुरू किया।
6. निम्नलिखित सूक्ष्मजैविक पैरामीटर के लिए एओएसी विधि के अनुसार आंतरिक विधिमान्यकरण।
   - कुल प्लेटों की गिनती
   - खमीर और मोल्ड
   - ई कोली
   - कोलिफॉर्मस
   - स्टेफिलोकोकस ऑरियस
   - वेसिलस सेरेउस
7. एमएएलडीआई-टीओएफ का उपयोग करके बैक्टीरिया और कवक की पहचान का पूर्ण आंतरिक विधिमान्यकरण, वाइटेक2 का उपयोग करके बैक्टीरिया और डाइवर्सी लैब का उपयोग करके स्ट्रेइन टाइपिंग की पहचान।

10. निर्यातोन्मुख अनुसंधान

भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान ने मुख्य रूप से रिपोर्टिंग अवधि के दौरान छोटी और बड़ी इलायची में मृदा परीक्षण, कीट और रोग प्रबंधन तथा फसल कटाई के पश्चात् उपचार के आधार पर फसल सुधार, जैव प्रौद्योगिकी, पोषक प्रबंधन और अध्ययन पर अनुसंधान कार्यक्रम शुरू किए।

अ) फसल सुधार

क) छोटी इलायची

रिपोर्ट की अवधि के दौरान, अखिल भारतीय समन्वय अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपी-स्पेस) और विशिष्ट अद्वितीय स्थिरता (डीयूएस) कार्यक्रमों के अंतर्गत फसल सुधार परीक्षण जारी रहे। आईसीआरआई में जीन बैंक में भूमिगत प्रजातियां और दो किसानों की कालीमिर्च सहित छोटी इलायची की बारह प्रविष्टियाँ शामिल की गई थीं। नए संकरण कार्यक्रम के भाग के रूप में छह चयनित इलायची पौधों से छत्तीस एफ1 संकर पार संयोजन बनाए गए थे। छोटी और बडी इलायची, कालीमिर्च, वैनिला, कोकम, दालचीनी, और शाकीय मसालों जैसे विभिन्न मसाला फसलों की गुणवत्ता रोपण सामग्री को गुणित किया गया और आईसीआरआई, मैलाडुंपारा और आरआरएस, सकलेशपुर में किसानों को इनकी आपूर्ति की गई।

ख) बडी इलायची

अरुणाचल प्रदेश के अनन्वेषित क्षेत्रों से पांच अनूठी बडी इलायची के परिग्रहण और सहयोगी पीढ़ियां एकत्र की गईं और इन्हें जर्मप्लाजम भंडार में जोड़ा गया। मसालों पर एआईसीआरपी के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में नई फसल सुधार परीक्षण शुरू किए गए।

आ) जैव प्रौद्योगिकी

क) छोटी इलायची

जारी किस्मों में आनुवांशिक विविधता के आणविक मार्कर विश्लेषण और छोटी इलायची की भूमिगत प्रजातियों ने प्रजनन के माध्म से संभक्तः अपने संकीर्ण अनुवंशिक आधार को बढ़ाने की आवश्यकता प्रकट की। जायफल में लैंगिकता में परिवर्तन देखा गया और आणविक मार्करों का उपयोग करके इसे सत्यापित किया गया था। छोटी इलायची में आणविक प्रतिलेखों के विश्लेषण से इलायची में माध्यमिक मेटाबोलाइट उत्पादन के लिए समरूप महत्वपूर्ण जीनों की बहुतायत का पता चला। छोटी और बड़ी इलायची और कालीमिर्च कल्चर आरंभ करके ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला को मजबूत किया गया था। 'भारतीय मसालों के पौधों के गुणवत्ता मानक और मोनोग्राफ की तैयारी' पर आईसीएमआर द्वारा वित्त पोषित परियोजना के अंतर्गत छोटी और बडी इलायची, अमलतास (कैसिया) जीरा, जायफल, कालीमिर्च और लौंग जैसे सात मसालों के मोनोग्राफ तैयार किए गए थे। इस अवधि के दौरान छोटी इलायची और जायफल पर आणविक मार्करों पर उनके काम के लिए दो एसआरएफ को डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान की गई।

ख) बडी इलायची

बड़ी इलायची में रोग से संबंधित प्रतिलेखों का विश्लेषण किया गया था। बड़ी इलायची में विभिन्न अभिगम और माइक्रो-उपग्रह मार्करों के खनन की आनुवांशिक विविधता के विश्लेषण किए गए थे।

इ) कृषि विज्ञान और मृदा विज्ञान

क) छोटी इलायची

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, इलायची और अन्य मसालों के किसानों से प्राप्त मिट्टी के 2000 से अधिक नमूनों का विश्लेषण किया गया और परीक्षण रिपोर्टों के आधार पर, पौष्टिक मिट्टी संशोधन सलाह प्रदान की गई। मृदा परीक्षण रिपोर्टों से पता चला कि 49 प्रतिशत मिट्टी अम्लीय से अत्याधिक अम्लीय प्रकार की थी, 56 प्रतिशत मिट्टी में फॉस्फोरस सामग्री (> 3 मिलीग्राम/ 100 ग्राम) बहुत अधिक थी, 53 प्रतिशत और 60 प्रतिशत मिट्टी में क्रमशः मैंग्नीशियम और सल्फर जैसे माध्यमिक पोषक तत्वों में कमी थी। सूक्ष्म पोषक तत्वों में, 49 प्रतिशत और 37 प्रतिशत मिट्टी में क्रमशः बोरॉन और जिंक की कमी थी। कृषि संबंधी पहलुओं की

योजना बनाने के लिए उपयोगकर्ता एजेंसी को नियमित रूप से मौसम डेटा रिकॉर्डिंग प्रदान की जाती थी। केरल सरकार के भूजल विभाग के सहयोग से इडुक्की, केरल में इलायची की खेती के क्षेत्रों में कीटनाशकों के अवशेषों के पर्यावरणीय प्रभाव के मूल्यांकन पर परियोजना तैयार की गई थी। प्राथमिक पोषक तत्वों (एनपीके) और मिट्टी के पीएच के लिए आईसीआरआई, सकलेशपुर में मृदा परीक्षण इकाई स्थापित की गई थी।

ख) बडी इलायची

बायोमास से भरी हुई खाइयों से युक्त सतही पलवार और उपचार जैसी मिट्टी की नमी संरक्षण की स्थानीय प्रथाओं के परिणामस्वरूप सूखे मौसम के दौरान मिट्टी में उच्च नमी सामग्री को बनाए रखा जाता है जिससे बड़ी इलायची में उच्च शुष्क उपज (447.78 किलोग्राम) प्राप्त होती है।

ई) पादपरोगाविज्ञान

क) छोटी इलायची

फोसेटिल-एआई 80 डब्ल्यूपी को छोटी इलायची में *फाइटोफ्थोरा* को पत्ती संक्रमण की घटनाओं को कम करने में प्रभावी पाया गया था। ओजोन, वेग फ्लू वॉश, सिरका, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे सतह सफाई करने वाले विभिन्न एजेंटों इत्यादि का उपयोग करते हुए छोटी इलायची के ताजा कैप्सूल से कीटनाशक अवशेष हटाने के तंत्र पर किए गए एक अध्ययन से पता चला कि ओजोन के बाद वेग फ्लू वॉश क्रमशः 46.93 प्रतिशत और 28.57प्रतिशत फोसालोन अवशेष को हटाने में प्रभावी था। डोलोमाइट का मृदा आवेदन, और इसके संयोजन मिट्टी से बने कवकीय रोगजनकों की आबादी को कम करने वाले पाए गए थे। सकलेशपुर में फाइटोप्थोरैकासिसी के खिलाफ कालीमिर्च से तीस एंडोफिटिक जीवाणु पृथक किए गए थे, जिनमें से छह आइसोलेट संभावना युक्त पाए गए थे। आईसीआरआई मुख्य स्टेशन (दस) और सकलेशपुर (दो) में किसानों और एसएचजी के लिए जैवनियंत्रण एजेंटों को बड़े पैमाने पर गुणित करने का प्रत्यक्ष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आईसीआरआई, मैलाडुंपारा और सकलेशपुर में उत्पादित *स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस, ट्रायकोडर्मा हरज़ियान्यूवेरे* जैसे जैव तत्वों की केरल और कर्नाटक के किसानों को आपूर्ति की गई।

ख) बडी इलायची

सिक्किम और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कलिंपोंङ जिलों के बड़ी इलायची के विभिन्न उत्पादक इलाकों से बड़ी इलायची की पांच ब्लाइट रोग से बचने वाली जातियों को एकत्र किया गया। मास को स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस के मदर कल्चर से गुणित किया गया और सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल के दार्जीलिंग और कालिंपोंङ जिलों के प्रगतिशील किसानों को इसकी आपूर्ति की गई।

उ) कीटविज्ञान

क) छोटी इलायची

इलाके के थ्रिप्स और प्ररोह वेधक के प्रबंधन के लिए नए कीटनाशक अणुओं का परीक्षण किया गया था। इलायची थ्रिप्स और मूल भृंगक के साथ-साथ वेधक पर पैरासिटोइड से स्वाभाविक रूप से संक्रमित एंटोमोपाथोजेनिक फफूंदी (ईपीएफ) की पहचान की गई। ईपीएन मास उत्पादन के लिए *गैलेरिया* लार्वा पर प्ररोह वेधक और कम लागत के कृत्रिम आहार के सेक्स फेरोमोन घटक का विश्लेषण किया गया था। किसानों को इलायची में मूल भृंगक के प्रबंधन के लिए ईपीएन-गैलेरिया कैडावर वितरित किया गया था।

ऊ) प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण

क) छोटी इलायची

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, 13 मसाला क्लिनिक कार्यक्रम, 50 बागान यात्राएं और कई सलाहकार सेवाएं आयोजित/प्रदान की गईं, जिनसे केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक क्षेत्रों के 1000 से अधिक मसाला उगाने वाले किसानों को लाभ हुआ। आईसीआरआई, मैलाडुंपारा और आरआरएस, सकलेशपुर में लगभग 200 हितधारकों के साथ पौधों कि किस्में और किसानों के अधिकार अधिनियम (2001) के संरक्ष पर एक दिवसीय जागरूकता

कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मैलाडुंपारा और सकलेशपुर में मसालों की पौधशाला के प्रबंधन पर चार बैचों के लिए एक महीने के आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिनमें से एक विशेष रूप से महिलाओं (20 प्रतिभागियों) के लिए था। वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक -किसान इंटरफेस में संसाधक के रूप में कार्य किया और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सेमिनार/ संगोष्ठी में भाग लिया और प्रस्तुतियां दीं। पीजी छात्रों, विशेष रूप से लड़कियों के लिए जैव प्रौद्योगिकी और जैव रसायन पर तीन दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आईसीआरआई, मैलाडुंपारा और सकलेशपुर में *स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस* (1368.5 लीटर), *ट्रायकोडर्मा हरज़ियानम* 1590 किलो (ठोस), और 1110 लीटर (तरल) जैसे जैव-एजेंट उत्पादित किए गए और केरल और कर्नाटक के किसानों को उनकी आपूर्ति की गई। किसानों को मूल भृंगक कीटों के प्रबंधन के लिए ईपीएन-गैलेरिया कैडावर (1,18,999) वितरित किए गए थे)

आईसीआरआई मैलाडुंपारा में बारह स्नातकोत्तर/स्नातक छात्रों ने अल्पकालिक इंटर्नशिप (1-3 महीने) की और 4 शोध छात्रों को पीएचडी के लिए नामांकित किया था। आईसीआरआई मुख्य स्टेशन से लगभग 40 लाख रुपए और क्षेत्रीय स्टेशनों से सेवा शुल्क और कृषि उपज, रोपण सामग्री, जैव एजेंटों और अन्य के वितरण के माध्यम से 6.5 लाख रुपए के राजस्व का अनुमान लगाया गया था।

ख) बडी इलायची

बारह स्पाइस क्लिनिक कार्यक्रम और बागानों के 51 दौरे किए गए, जिससे लगभग 1000 किसानों को लाभ हुआ। उत्तरपूर्वी भारत, भूटान और नेपाल के विभिन्न राज्यों से छः सौ दस किसानों ने आईसीआरआई-आरआरएस, ताडोंग और पांगथांग रिसर्च फार्म का दौरा किया। वैज्ञानिकों ने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों में बड़ी इलायची और अन्य मसालों की खेती पर विभिन्न कार्यक्रमों में संसाधकों के रूप में भाग लिया।

स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस के मदर कल्चर के 815 लीटर मास को गुणित किया गया और सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कलिंपोंङ जिलों के प्रगतिशील किसानों को उसकी आपूर्ति की।

ऋ) सामान्य

सभी स्टेशनों के वैज्ञानिकों ने अक्तूबर-नवंबर, 2017 के दौरान, भारत सरकार के कृषि कौशल परिषद (एएससीआई) के अंतर्गत आयोजित विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए, प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षक (टीओटी) के रूप में योग्यता प्राप्त की। वैज्ञानिकों ने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियो में भाग लिया और पत्र प्रस्तुत किए। दिसंबर 2017 के दौरान आईसीआरआई मैलाडुंपारा में छोटी इलायची के लिए उतीसवीं वार्षिक अनुसंधान परिषद (एआरसी) आयोजित की गई थी और नवंबर 2017 के दौरान सिक्किम के तडोंग में बड़ी इलायची के लिए पच्चीसवीं एआरसी आयोजित की गई थी, जिसमें संबंधित विषयों के बाहरी विशेषज्ञों द्वारा कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई थी।

ए) पुरस्कार/सम्मान

अगस्त, 2017 में, वियतनाम में आयोजित वार्षिक बैठक के दौरान निदेशक (अनुसंधान), डॉ. ए.बी. रमाश्री को अंतरराष्ट्रीय कालीमिर्च समुदाय (आईपीसी) का उपाध्यक्ष चुना गया था। नवंबर, 2017 में, बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, भागलपुर, बिहार में एक संगोष्ठी के दौरान इंडियन सोसाइटी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, आईएआरआई, नई दिल्ली द्वारा डॉ. बी. ए. गुदाडे, वैज्ञानिक-बी कृषि विज्ञान को आईएसईई फेलो अवॉर्ड, 2017 से सम्मानित किया गया था। सितंबर, 2017 में, वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति, आंध्र प्रदेश में आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर, एकीकृत ग्रामीण सुधार की विज्ञान और प्रौद्योगिकी सोसाइटी (एस एंड टी एसआईआरआई), वारंगल द्वारा डॉ. आशुतोष गौतम, वैज्ञानिक-बी, को 2017 के एस एंड टी एसआईआरआई), फेलो पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

11. सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रसंस्करण

सूचना प्रौद्योगिकी के लाभ के साथ बोर्ड की गतिविधियों में काफी बदलाव आया है। कई मैनुअल संचालनों को ऑनलाइन सिस्टम से बदल दिया गया है, जिसने बोर्ड को पणधारियों को बेहतर सेवा प्रदान करने में सक्षम किया है और संचालन के लिए बदलाव के समय को कम कर दिया है। ईडीपी विभाग बोर्ड के विभिन्न वर्गों में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग की सुविधा प्रदान करता है। असल में, यह पूरी प्रणाली को तेज़ी से और अधिक उत्पादक बनाता है तथा बोर्ड की समग्र दक्षता में सुधार करने में मदद करता है। वर्ष 2017-18 के दौरान, ईडीपी विभाग ने, कोच्ची में स्पाइसेस बोर्ड के मुख्यालय में ओपन-सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, उबंटु में डेस्कटॉप कंप्यूटरों में प्रयुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम के आसान बदलाव की सुविधा प्रदान की। वर्ष 2017-18 के दौरान, इस योजना के अंतर्गत 1,723 करोड़ रुपए का कुल व्यय किया गया है।

अ. ईडीपी विभाग की गतिविधियां

- सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग के लिए बोर्ड के विभिन्न विभागों और कार्यालयों को सलाह, मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना
- मौजूदा अनुप्रयोगों, संदेश समाधान, इंटरनेट और वेब साइट के रखरखाव के लिए सहायता डेस्क का प्रबंधन
- संगठन में आईटी संसाधनों अर्थात् हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, नेटवर्किंग और परिधीय उपकरणों का प्रशासन
- प्रौद्योगिकी अधिग्रहण, एकीकरण, और कार्यान्वयन के लिए तंत्र तैयार करना
- आईटी के बुनियादी ढांचे का उन्नयन
- आईटी उपकरण और सॉफ्टवेयर के सुचारू कामकाज के लिए प्रणाली और प्रक्रियाओं को परिभाषित और कार्यान्वत करना
- डेटा प्रसंस्करण
- नए सिस्टम (या मौजूदा सिस्टम में संशोधन) की आवश्यकता की पहचान करना और उपयोगकर्ताओं के अनुरोधों का जवाब देना
- सूचना प्रणाली और अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर की डिजाइन, विकास, दस्तावेज़ीकरण, परीक्षण, कार्यान्वयन और रखरखाव
- बोर्ड की वेबसाइटों indianspices.com, spicesboard.in, indianspices,org.in, worldspicecongress.com और ccsch.in का रखरखाव और अद्यतन
- कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना और उनका संचालन करना

आ) ई डी पी विभाग की उपलब्धियां

- नीलाम टर्मिनल्स बढाने के लिए बोडिनायकन्नूर और पुट्टडी के इ-नीलाम केंद्रों में नीलाम सोफ़्टवेयर तथा सर्वर अवसंरचना का उन्नयन
- इ-नीलाम केन्द्र, पुट्टडी में नेटवर्क अवसंरचना और ग्राहक अवसंरचना का उन्नयन
- वेतनपत्रक में सातवें वेतन आयोग का कार्यान्वयन
- प्रोदेशिक गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं (गु.मू.प्र.) में इ-ऑफ़ीस का कार्यान्वयन
- क्यू यू ए डी एम ए एस सोफ़्टवेयर में जी एस टी बीजक का कार्यान्वयन

- मौजूदा वेब अनुप्रयोगों का उच्चतर तकनीकी वर्शनों में अंतरण
- सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पी एफ़ एम एस) के ज़रिए इमदाद भुगतान की व्यवस्था के लिए अनुदान प्रबंधन प्रणाली का संशोधन
- पी एफ़ एम एस के ज़रिए भुगतान की व्यवस्था के लिए वित्तीय लेखाकरण प्रणाली का संशोधन

ईडीपी विभाग अतिरिक्त प्रकार्यात्मकताओं और रिपोर्टों को समायोजित करने के लिए निम्नलिखित सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों मॅ बढाव लाया।

1. बोर्ड की वेबसाइट
2. मूल्यांकन
3. मसालों के निर्यातक के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र (सी आर ई एस)
4. पेंशन प्रक्रिया प्रणाली
5. वेतन / वेतनपत्रक प्रक्रिया प्रणाली
6. सामान्य भविष्य निधि आवेदन
7. व्यापार सूचना सेवा
8. निर्यात समर्थन प्रणाली
9. परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली
10. आयात प्राधिकरण
11. भर्ती

इसके अलावा, ई डी पी विभाग ने निम्नलिखित के लिए नए अनुप्रयोगों का विकास किया हैः

12. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का कार्यान्वयन

सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष 2005 (2005 का 22) में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था और 15 जून, 2005 को इस पर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त की गई थी। अधिनियम का उद्देश्य सार्वजनिक अधिकारियों के नियंत्रण में रहने वाली जानकारी तक नागरिकों की पहुंच बनाने के लिए सूचना के अधिकार के व्यावहारिक शासन को स्थापित करना है ताकि प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कार्य में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा दिया जा सके। नागरिकों को अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत अधिसूचित कुछ जानकारी को छोड़कर सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत बोर्ड की जानकारी तक पहुंच प्राप्त हो सकती है और तदनुसार निर्धारित शुल्क के भुगतान पर वे बोर्ड के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

बोर्ड ने आरटीआई अधिनियम 2005 को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया है और इस संबंध में सरकार के सभी निर्देशों का पालन किया है। बोर्ड ने सीपीआईओ और पीआईओ द्वारा सूचना के प्रचार के समन्वय के लिए उप निदेशक (लेखा परीक्षा परीक्षा और सतर्कता) को केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के रूप में नामित किया है। बोर्ड ने सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्रसारित करने के लिए अपने मुख्य कार्यालय में सात केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) को नामित किया है और सूचना के अधिकार की धारा 5 (2) के अंतर्गत क्षेत्रीय इकाइयों में सूचना प्रसारित करने के लिए 21 केन्द्रीय सहायक जन सूचना अधिकारियों (सीएपीआईओ) को नामित किया है। निदेशक (विपणन), स्पाइसेस बोर्ड को सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत अपील सुनने के लिए आरटीआई अधिनियम 2005 और अपीलीय प्राधिकरण के सक्रिय प्रकटीकरण दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारी नामित किया गया है। उप निदेशक (ईडीपी) को आरटीआई अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत दायित्यों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए बोर्ड के 'पारदर्शिता अधिकारी' के रूप में नामित किया गया है। बोर्ड ने बोर्ड और आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवश्यक जानकारी का इस प्रकार और रूप में खुलासा किया है, जो (आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4 (1)) जनता के लिए सुलभ है। वर्ष 2017-18 के दौरान, आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत कुल 85 आरटीआई आवेदन (भौतिक और ऑनलाइन) और 9 अपीलें प्राप्त हुईं और सभी मामलों में निर्धारित समय के भीतर सूचना प्रदान की गई थी। इस अवधि के दौरान केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) की कोई सुनवाई नहीं हुई थी और अतिरिक्त शुल्क 344 रुपए था। वेबसाइट में त्रैमासिक आरटीआई रिटर्न्स (पहली तिमाही से चौथी तिमाही) से चौथी तिमाही) को केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा निर्धारित अनुसार अद्यतित किया गया था।

परिशिष्ट - 1

	सांविधिक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट 2017-18 के पैरा	उत्तर / प्रस्तावित कार्रवाई
अ	तुलन-पत्र	
1	देनदारियां	
1.1	उद्दिष्ट / धर्मस्व निधियां (अनुसूची 3) - 214.63 करोड रुपए	
1.1.1	उपर्युक्त को, पेंशन निधि में जोडने के बदले, आय के रूप में पेंशन हेतु उद्दिष्ट निधि पर अर्जित ब्याज के लेखाकरण के कारण 3.25 करोड रुपए कम करके दिखाया गया है। इसके परिमाणस्वरूप 'आय की अपेक्षा व्यय की अधिकता' की तदनुरूप न्यूनोक्ति भी हुई है।	बोर्ड ने एसाइड (ए एस आई डी ई) निधियों के उपयोग करते हुए स्थापित परियोजनाओं केलिए लिए गए भारी प्रवर्तनोपरांत रखरखाव-लागत के तौर पर पिछले वर्ष के दौरान आई ई बी आर से 3.25 करोड रुपए से अधिक उद्दिष्ट किया है। कृपया यह नोट किया जाए कि बोर्ड ने पहले ही मसालों के निर्यात में गुणवत्ता- मानक बनाए रखने के मुख्य उद्देश्य के साथ गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाएं (गु. मू. प्र.) स्थापित की हैं। प्रवर्तनोपरांत रखरखाव-लागत को पूरा करने केलिए बोर्ड को कोई अतिरिक्त बजट नहीं प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा बोर्ड पेंशन निधि के लिए अपने आई ई बी आर से प्रत्येक 10 करोड रुपए भी उद्दिष्ट कर रहा है और बोर्ड को मंत्रालय से प्राप्त निदेश के अनुसार स्टाफ़ तथा पेंशनभोगियों को सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के लाभों को कार्यान्वित करने पर होनेवाली अतिरिक्त वित्तीय निहितार्थ के 10 प्रतिशत की पूर्ति करनी है। इन सभी के कारण और वित्तीय बाध्यताओं से बचने के लिए बोर्ड ने 2017-18 के दौरान आय और व्यय खाते में एसाइड निधि से किए गए निवेश से प्राप्त आय को दर्ज किया है।
1.1.2	उपर्युक्त में ऋण शेष, जो निधि शेष की अपेक्षा व्यय की अधिकता को सूचित करता है, सहित निधियां शामिल हैं। उद्दिष्ट निधियों में व्यय की अधिकता दर्ज करने के परिणामस्वरूप उद्दिष्ट निधियों तथा 'आय की अपेक्षा व्यय की अधिकता' में 0.60 करोड रुपए की न्यूनोक्ति हुई है।	ए ई को भविष्य की सहमति केलिए पूरी तरह नोट किया जाता है। इस बात की पुष्टि होने बाद कि बोर्ड को अतिरिक्त राशि की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी, लेखापरीक्षा द्वारा सुझाए अनुसार ऋण शेष को आय व व्यय में दर्ज किया जाएगा।

1.2	**चालू देनदारियाँ एवं प्रावधान (अनुसूची-7) 185.78 करोड़ रुपए**	
1.2.1	भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा ज़ारी लेखाकरण नीति (भारतीय ले.नी.) 19 के प्रावधानों के विरुद्ध, जैसेकि 31 मार्च, 2018 को है, बोर्ड ने कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ का बीमांकिक मूल्यांकन नहीं किया है। बोर्ड ने, वर्ष 2015-16 के दौरान बीमांकिक मूल्यांकन किया है जिसके अनुसार, जैसेकि 31 मार्च 2018 को है, जबकि प्रावधान केवल 168.84 करोड रुपए का था, इसके बदले, बीमांकिक देनदारी 226.23 करोड रुपयों की थी।	चूंकि वित्तीय वर्ष 2017-18 की अंतिम तिमाही के दौरान भी वेतन तथा भत्ते दोनों के लिए सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग को पूरी तरह कार्यान्वित नहीं किया गया था, इसलिए बोर्ड सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन नहीं कर सका।
1.2.2	उपर्युक्त में, वर्ष के अंत के 0.81 करोड रुपए के बकाया खर्च केलिए देनदारी शामिल नहीं है। इसके परिणामस्वरूप प्रावधान एवं 'आय की अपेक्षा व्यय की अधिकता' की तदनुरूप न्यूनोक्ति हुई है।	जब कभी बीजक प्राप्त किए जाते हैं बोर्ड सभी विक्रेताओं को भुगतान करता रहा है। बोर्ड के 120 बाहरी कार्यालयों में विभिन्न विक्रेताओं से सेवा ली जाती है। कई मामलों में, बोर्ड को वर्ष पूरा होने के बाद ही पिछली तिमाही के दौरान प्राप्त सेवा का बिजक मिलता है। इसके अलावा, बोर्ड की प्रणाली में अगले वर्ष के भुगतन करते समय स्वचालित अग्रिम निपटान मोड्यूल नहीं है। यदि हम यह मैनुअल तरीके से करते है, तो उसका पता लगाने का अवसर बहुत कम हो जाएगा, जिससे जटिलताएं बढ जाएंगी। लेकिन, जैसेकि लेखापरीक्षा द्वारा सुझाया गया है, बोर्ड द्वारा व्यावहारिक सीमाओं पर विचार करते हुए अधिकतम संभाव्य प्रावधानों को प्रदान करने के लिए आवश्यक सावधानी बरती जाएगी।
2	**परिसंपत्तियां**	
2.1	**स्थिर परिसंपत्तियां (अनुसूची-8) : 240.26 करोड़ रुपए**	
2.1.1	उपर्युक्त में विभिन्न प्रयोगशाला उपकरणों के आयात के लिए ज़ारी साख-पत्र (एल सी) के मूल्य के रूप में 2.14 करोड रुपए	बोर्ड प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद के लिए खोले गए एलसी को व्यय के रूप में दिखाता है ताकि यह दिखाया जा सके कि राशि पहले ही प्रतिबद्ध है और

	शामिल है। इस साख-पत्र की राशि को गलत तरीके से पूंजीगत किया गया, क्योंकि 31 मार्च, 2018 तक कोई प्रयोगशाला उपकरण प्राप्त नहीं हुए थे। परिणामस्वरूप स्थिर परिसंपत्तियों में 2.14 करोड रुपए की अत्युक्ति हुई है और बैंक शेष की न्यूनोक्ति हुई है।	प्राप्ति और अदायगी लेखे में अप्रयुक्त शेष राशि से बच सके। लेखापरीक्षा के साथ इसकी चर्चा की गई है। लेखापरीक्षा द्वारा दी गई सहमति के अनुसार ऐसे सभी व्ययों को प्रतिबद्ध व्यय के रूप में दिखाया जाएगा और देय के रूप में दिखाया जाएगा। भविष्य में, एक बार परिसंपत्तियों के प्राप्त होने पर, उसके मूल्य को देय से परिसंपत्ति में अंतरित किया जाएगा।
2.2	**उद्दिष्ट / धर्मस्व निधि (अनुसूची 9) से निवेश-19.26 करोड रुपए**	
2.2.1	उपर्युक्त में, केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखाओं के एक समान फ़ोर्मेट के अनुसार उद्दिष्ट निधियों से निवेश के मूल्य को शामिल न करने के कारण 75.36 करोड रुपए की न्यूनोक्ति हुई है। निवेश की गई राशि को जमा खाते में बैंक शेष के अधीन दिखाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप चालू परिसंपत्तियों में उतनी ही राशि की अत्युक्ति हुई है।	प्रधान वाणिज्यिक लेखापरीक्षा निदेशक (पीडीसीए) ने, वर्ष 2013-14 केलिए बोर्ड की लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करते समय, पेंशन, उपदान एवं छुट्टी नकदीकरण केलिए स्पाइसेस बोर्ड द्वारा कर्मचारियों से संबंधित देनदारियों के गैर-प्रावधान के कारण 111.69 करोड रुपए का तात्विक प्रभाव पाया। तदनुसार बोर्ड को, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय से परामर्श करके जब कभी तय होगा, बोर्ड के अनुमोदित बजट के भाग के रूप में संबंधित वर्षों के दौरान सेवानिवृत्त होनेवाले/सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के विषय में पेंशन-देनदारियों को पूरा करने केलिए आवश्यक प्रावधान को प्रभावी बनाने के लिए मंत्रालय से एक सुविधा-पत्र, पीडीसीए के समक्ष प्रस्तुत करना पडा। इन परिस्थितियों में बोर्ड ने इस लक्ष्य को पूरा करने हेतु पदाधिकारियों के लिए एक पेंशन निधि की व्यवस्था करना उचित समझा। एक पहल के तौर पर, बोर्ड ने अपने आई ई बी आर से हर पश्चातवर्ती वर्ष 10 करोड रुपए, भविष्य में सरकार द्वारा मंजूरी दी जाती है तो पेंशन निधि में समायोजित करने के उद्देश्य से (जो अनिवार्य राशि नहीं है मगर वर्तमान निधि की उपलब्धता के अनुसार किया जाता है), उद्दिष्ट करना प्रारंभ किया है। यदि बोर्ड को मंत्रालय से ऐसी पेंशन निधि प्राप्त होती है और यदि उस समय पर उपलब्ध उद्दिष्ट निधि को उसमें समायोजित किया जाता है तो, बोर्ड अपने दैनिक कार्यकलापों के लए अस्थाई रूप से उसमें से कोई राशि नहीं लेगा।

	कृपया नोट किया जाए कि बोर्ड, किसी भी वित्तीय बाध्यताओं के मामलों में, अपने दैनिक कार्यकलापों के लिए अपने पेंशन स्थाई जमाओं का उपयोग नहीं करता है।
2.3 **निवेश-अन्य (अनुसूची 10)-3.02 करोड रुपए**	
2.3.1 उपर्युक्त में, शेयर भागीदारी योजना के अधीन हानि के गैर-लेखाकरण और अग्रिम के बदले निवेशों के अधीन उत्तर-पूर्वी विकास वित्तीय कोर्पोरेशन लिमिटेड (एन ई डी एफ आई) के साथ निधि शेष के श्रेणीकरण के कारण 2.00 करोड रुपए की अत्युक्ति हुई है। इसके परिणामस्वरूप 'आय की अपेक्षा व्यय की अधिकता' में 1.33 करोड रुपए तथा अग्रिम में 0.67 करोड रुपए की न्यूनोक्ति हुई है।	भविष्य में सहमति के लिए ए ई को ठीक तरह से नोट किया गया है। संबंधित योजना कार्यान्वयन विभाग से परामर्श के बाद, आवश्यक सुधार किए जाएंगे।
आ आय और व्यय लेखा	
1. **आय**	
1.1 **अर्जित ब्याज (अनुसूची 18) -4.46 करोड रुपए**	
1.1.1 उपर्युक्त में, वर्ष 2017-18 के दौरान चार अल्पावधि जमा पर अर्जित ब्याज के गैर-लेखाकरण के कारण 0.05 करोड रुपए की न्यूनोक्ति हुई है। इसके परिणामस्वरूप भी बैंक शेष में तदनुरूप न्यूनोक्ति हुई है।	भविष्य में सहमति केलिए लेखापरीक्षा द्वारा किए गए निरीक्षण को ठीक तरह से नोट किया गया। भविष्य में ब्याज के लेखाकरण के समय आवश्यक सुधार, यदि कोई हो तो, किया जाएगा।
1.1.2 उपर्युक्त में, साख पत्र की प्राप्ति केलिए शुरू किए सावधि जमा पर उपचित ब्याज के गैर-लेखाकरण के कारण 0.06 करोड रुपए की न्यूनोक्ति हुई है। इसके परिणामस्वरूप भी चालू परिसंपत्तियां-उपचित आय में उतनी ही राशि की न्यूनोक्ति हुई है।	

इ	**सामान्य**	
1.	**महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां (अनुसूची 66)**	
	महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति के अनुसार, अनर्जक हानि, जैसेकि तुलन-पत्र की तारीख को है, यदि कोई है तो उसका, तथा परिसंपत्तियों की अपेक्षा वसुलीयोग्य रखाव राशि, जैसेकि मूल्यांकन तारीख को है, प्रत्येक परिसंपत्ति की राशि से अधिक होने का पता लगाने के लिए परिसंपत्तियों की रखाव राशि की समीक्षा करनी है। बोर्ड ने अनर्जक हानि केलिए परिसंपत्तियों की ऐसी कोई समीक्षा नहीं चलाई है।	आईसीएआई द्वारा जारी "परिसंपत्तियों की अनर्जकता" पर एएस 28 का अनुच्छेद 11 निम्मानुसार सूचित करता है : "भौतिकता की अवधारणा यह पहचानने में लागू होती है कि किसी संपत्ति की पुनर्प्राप्ति योग्य राशि का अनुमान लगाया जाना चाहिए या नहीं। उदाहरण के लिए, यदि पिछला आकलन दर्शाता है कि एक परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि इसकी रखाव राशि से काफी अधिक है, तो उद्यम को संपत्ति की वसूली योग्य राशि का फिर से अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं है यदि कोई घटना नहीं हुई है जो उस अंतर को खत्म कर देती है।" इसके अलावा, "नकदी निर्माण यूनिट" की अवधारणा, हानि का आकलन करने में बेहद महत्वपूर्ण है। एएस 28 के 64 से 71 तक के पैराग्राफ इस अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। एएस 28 के आगे के 83 से 86 तक के पैराग्राफ कॉर्पोरेट संपत्तियों की हानि के बारे में विचार करते हैं। इसलिए, इन हानियों पर 'अनर्जक हानि के लिए संपत्ति की समीक्षा' की अवधारणा को इन पंक्तियों के साथ पढना है और यह नहीं कहा जा सकता है कि लेखांकन नीति गलत है। लेकिन, प्रबंधन, भविष्य में हानि के लिए संपत्ति की समय पर समीक्षा सुनिश्चित करेगा।
2.	**आकस्मिक देयताएं तथा लेखा पर टिप्पणी (अनुसूची 67)**	
	बोर्ड ने, इस तथ्य का खुलासा नहीं किया था कि दो विवाचन मामलों में बोर्ड के खिलाफ़ अधिनिर्णय हुआ था और उनके खिलाफ़ अपील दायर की गई थी।	भविष्य में सहमति के लिए ए ई को ठीक तरह से नोट किया गया है। भविष्य में संबंधित विभाग से पुष्टीकरण के बाद आवश्यक सुधार किए जाएंगे।
ई	**सहायता-अनुदान**	
	पिछले वर्ष 2017-18 से अग्रेनीत अप्रयुक्त अनुदान शून्य था। वर्ष के दौरान भारत सरकार से 97 करोड़ रुपए की रकम अनुदान के रूप में प्राप्त हुई थी, जिसमें से 6.04 करोड रुपए की रकम को अप्रयुक्त होने के कारण भारत सरकार को वापस किया गया और शेष 90.96 करोड रुपए को पूर्णतः प्रयुक्त किया	

गया। बोर्ड ने लेखे पर टिप्पणी में 6.04 करोड रुपए के अनुदान के अभ्यर्पण के तथ्य का खुलासा नहीं किया है।

(1) पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में की गई हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में बताए गए तुलन-पत्र, आय व व्यय लेखा तथा प्राप्तियाँ और अदायगी लेखा, लेखा-बहियों के अनुसार सही हैं।

(2) हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखाकरण नीतियों एवं लेखे पर टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण और ऊपर बताई उल्लेखनीय बातों और इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संलग्नक-1 में उल्लिखित अन्य बातों के अधीन, भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के साथ अनुरूपता रखते हुए एक सही और निष्कपट चित्रण देते हैं:-

क) जैसे कि 31 मार्च 2018 को है, यह जहां तक स्पाइसेस बोर्ड के कार्यकलापों के तुलन-पत्र से संबंधित है; तथा

ख) यह यहाँ तक उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए घाटे के आय एवं व्यय लेखे से संबंधित है।

संलग्नक-1	
अ) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता	
वर्ष 2017-18 के दौरान, आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग ने बोर्ड के किसी भी यूनिटों (मुख्यालय सहित) की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं चलाई है।	लेखापरीक्षा द्वारा किए गए निरीक्षण को ठीक से नोट किया गया है और आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग को सूचित किया गया है। यह नोट किया जाए कि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान मई 2017 से वित्तीय वर्ष 2017 -18 की अंतिम तिमाही की शुरुआत तक थीम लेखापरीक्षा चल रही थी। उप निदेशक आंतरिक लेखापरीक्षा इसके समन्वयन कार्य में लगे रहे। इस समय, उप निदेशक के अलावा आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग में और कोई स्टाफ़ नहीं है। अतः हम इसपर अधिक ध्यान नहीं दे सके। इस वर्ष जनशक्ति की उपलब्धता के आधार पर, जहां तक हो सके, इसका पालन करके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
आ **आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता**	
आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अपर्याप्त है और बोर्ड के आकार और प्रकृति से मेल खाती नहीं है। बैंक -खातों का मिलान न करने, अधिक (अतिरिक्त) जमाओं का मिलान न करने, साख-पत्र केलिए ग्रहणाधिकारवाले सावधि जमाओं के उपचित आय का मिलान न करने से बैंक-खातों में आंतरिक नियंत्रण की असफलता	चूंकि प्राप्ति बैंक को हर दिन विश्लेषणात्मक शुल्क, उपयोगकर्ता शुल्क, सी आर ई एस, विज्ञापन शुल्क और ऑनलाइन के माध्यम से सैकड़ों प्राप्तियां मिल रही हैं और हम कई बाहरी कार्यालयों और मुख्यालयों से सीआरईएस की ओर से प्राप्त डीडी/चेक भेजते हैं। इनका दैनिक मिलान समय की कमी और सीमित जनशक्ति के कारण व्यावहारिक रूप से असंभव हो

स्पष्ट है। इसके अलावा, पिछले लेखाकरण सोफ़्टवेयर से डाटा का स्थानांतरण न किए जाने के परिणामस्वरूप अथशेष के मदवार अलग-अलग विवरण की अनुपलब्धता ने खातों को अविश्वसनीय बनाया है।	गया है। इसे ध्यान में रखते हुए बोर्ड, क्षेत्र इकाइयों से मुख्यालय के प्राप्ति बैंक खाते में सभी प्रेषण दर्ज करने के लिए एक ऑनलाइन इंटरफेस तैयार करने की प्रक्रिया में है।
इ) **स्थिर परिसंपत्तियों के वस्तुगत सत्यापन की प्रणाली**	
वर्ष 2017-18 के दौरान परिसंपत्तियों का वस्तुगत सत्यापन कार्य नहीं चलाया गया।	परिसंपत्ति के प्रत्यक्ष सत्यापन को अद्यतन करने के लिए प्रयास किया गया है। लेकिन 120 आउटस्टेशन कार्यालयों से संबंधित सभी परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन करना बहुत ही सीमित जनशक्ति और सीमित बजट के साथ व्यावहारिक रूप से संभव नहीं पाया। इसे ऑनलाइन करने के लिए बोर्ड ने एक ऑनलइन परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली विकसित की है, वह भी प्रारंभ से लेकर संपत्ति के विवरण की अनुपलब्धता के कारण पूरी नहीं हो सकी। फ़िरभी, सभी खरीद प्रविष्टियां तुलन-पत्र में परिसपत्ति अनुसूची में दिखाई गई हैं।
ई **माल सूची के वस्तुगत सत्यापन की प्रणाली**	
वर्ष 2017-18 के दौरान मालसूची का वस्तुगत सत्यापन नहीं चलाया गया।	आई सी आर आई, मैलाडुंपारा से इलायची, कालीमिर्च और कॉफ़ी के स्टॉक को संबंधित कार्यालय द्वारा सत्यापित किया जाता है और हमें प्रमाणित किया जाता है, और उनके प्रमाणन के बाद ही, उसे जैसेकि 31 मार्च, 2018 को है, 13.04 लाख रुपए मूल्य वाली मदों के स्टॉक के रूप में दिखाया गया है। इसी तरह, प्रयोगशालाओं से रसायनों के स्टॉक के प्रत्यक्ष सत्यापन के बाद प्राप्त प्रमाणपत्रों के आधार पर हमारी सभी गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं के रसायनों का मूल्य 55.69 लाख रुपये आकलित किए गए है।
उ) **सांविधिक देयों के भुगतान में नियमितता**	
बोर्ड द्वारा जी एस टी का भुगतान देरी से किया गया और 2.00 लाख रुपए की राशि का विलंब शुल्क का भुगतान किया गया।	जीएसटी एक नई अवधारणा थी और यहीं नहीं, बोर्ड को 21 राज्यों के लिए जीएसटी पंजीकरण करना था। पंजीकरण के समय बोर्ड को सभी औपचारिकताओं को

	पूरा करने के बाद भी जीएसटी संख्याएं प्राप्त करने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तदनुसार, बोर्ड केवल नवंबर 2017 के आसपास ही सभी जीएसटी संख्या प्राप्त कर पाया। इसलिए बोर्ड केवल जनवरी 2018 के दौरान जीएसटी फाइलिंग शुरू कर सकता है। इसके अलावा, सभी फील्ड इकाइयों से प्रेषण विवरण एकत्रित करके, हर महीने 21, राज्यों के लिए फाइलिंग अलग-अलग की जानी है। जैसा कि पिछले उत्तरों में बताया गया है कि सभी फील्ड इकाइयों से प्रेषण विवरण का समय पर संग्रह मैन्युअल रूप से बहुत मुशिकल महसूस किया गया। यही कारण है कि बोर्ड को शुरुआत में देरी से शुल्क जमा करना पड़ा। लेकिन अब तक सभी फाइलिंग अद्यतन है और विलंब शुल्क के लिए कोई कारण नहीं है।

Dr. A Jayathilak, IAS, Chairman, Spices Board inaugurating the Buyer Seller Meet for Spices held at Mumbai, Maharashtra in January, 2018

Dr. A Jayathilak, IAS, Chairman, Spices Board during the Global Kokan Festival 2018 held at Vashi, Maharashtra

Dr. A B Remashree, Director (R&D), Spices Boad during the inauguration of the National Seminar on Spices held at Guwahati in February, 2018

Shri P M Sureshkumar, Director (Marketing) welcoming the stakeholders during the Buyer Seller Meet for Spices held at Unjha, Gujarat during October, 2017

Shri S Siddaramappa, Secretary i/c and Director (Finance), Spices Board addressing the stakeholders during the Buyer Seller Meet held at Hubbali, Karnataka in December, 2017

Shri Suresh Prabhu, Hon'ble Union Minister for Commerce & Industry blessing the first transaction of the Buyer Seller Meet for Spices held at Mumbai, Maharashtra in January, 2018

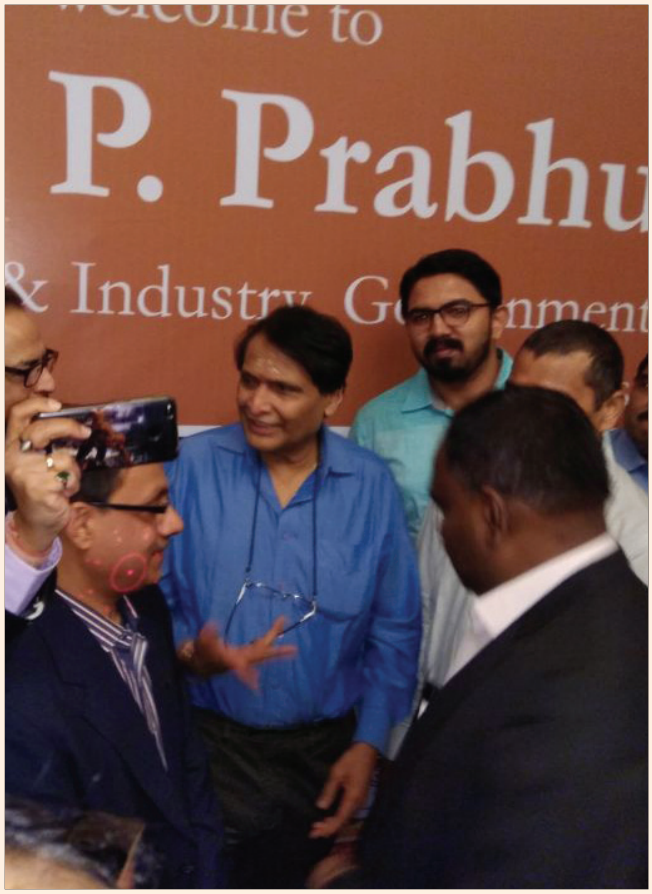

Shri Suresh Prabhu, Hon'ble Union Minister for Commerce & Industry during the stakeholders meeting held at Kolkota, West Bengal in February, 2018

Shri Suresh Prabhu, Hon'ble Union Minister for Commerce & Industry with the Board's officials during the sectoral review meeting held at Guwahati, Assam in February, 2018

Smt Nirmala Sitharaman, Hon'ble Union Minister for Commerce & Industry (former) inaugurating the Orientation Programme for Operationalising Spices Farmers Producer Companies (SFPC) held at Itanagar, Arunachal Pradesh during April, 2017

Shri S Siddaramappa, Secretary i/c and Director (Finance), Spices Board inaugurating the Buyer Seller Meet held at Hubbali, Karnataka in December, 2017

Dr. A. Jayathilak IAS, Chairman, Spices Board inaugurating the Spice meet at Jaipur, Rajasthan in February, 2018

Technical session on agronomic cultivation practices and pest & disease management of spices at a training programme under MIDH conducted at Jagdalpur, Chhattisgarh in October, 2017

An exhibition of Indigenous Spices of Nagaland organised at Wokha, Nagaland in November, 2017

Dr. A Jayathilak, IAS, Chairman, Spices Board interacting with the stakeholders at Sanis, Nagaland

Inspection of Spice Processing Unit at Ahmedabad, Gujarat

International Pepper Day 2017 celebration at Garo Hills, Meghalaya

Demonstration of Good Agricultural Practices (GAP) at Phullen village, Aizawl, Mizoram

Awareness programme on Protection of Plant varieties and Farmers Right Act 2001 at ICRI, Saklespur, Karnataka in March, 2018

A farmer showing *fusarium* infected plants to spot advisory team during spice clinic conducted at Idukki, Kerala in June, 2017

Farmers Taining programme at Guna, Madhya Pradesh under Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH)

Quality Improvement Training Programme (QITP) on Nutmeg held at Adimali, Kerala in January, 2018

Spices Board's Stall at Chilli Mela, Hubbali, Karnataka

Skill development programme on nursery management for women at ICRI Sakleshpur, Karnataka

Market Linkage programme at Rajakumari, Idukki during March, 2018

Spice growers attending the Spice Clinic organised by Board at Idukki, Kerala

Dr. A Jayathilak, IAS, Chairman, Spices Board during the inauguration of the Swachh Bharat Campaign 2017

Spices Board officials participating in the 12th Session of the Codex Committee on Contaminants in Food (CCCF) held at Utrecht, Netherlands in March, 2018

Spices Board official participating in the host country workshop organised by the Codex Alimentarius Commission (CSC) at Paris in February, 2018

Growers training programme at Mangan, Sikkim

Swachh Bharat Campaign 2017 at ICRI, Myladumpara, Kerala

Spices Farmers Producer Company (SFPC) formation drive at Loth village, Ziro, Arunachal Pradesh

Dr. A Jayathilak, IAS, Chairman, Spices Board along with the Farmers Interest Group (FIG) members of Hija Village, Ziro, Arunachal Pradesh in September, 2017

Mr. Apur Bitin IPS inaugurating the Farmers Interest Group (FIG) meeting at Namsai, Arunachal Pradesh in November, 2017

Interaction between spice growers and exporters during the Buyer Seller Meet for spices held at Itanagar, Arunachal Pradesh during April, 2017

Spices Board's officials during the Management Development Programme on Public Procurement at National Institute of Financial Management, Faridabad, Haryana

Spices Board's pavilion in India International Trade Fair (IITF) 2017, New Delhi

Quality Improvement Training Programme on Black Pepper held at Rajakkad, Kerala in January, 2018

Spices Board's stall in the Assam International Agri-Horti Show at Dibrugarh, Assam in January, 2018

Interactive session between the Board's officials and spice growers at Boom Rimbi,Sikkim in November, 2017

Training programme organised by Spices Board in co-ordination with North East Rural Livelihood Project (NERLP) at Chakung, Sikkim in February, 2018

Shri S Siddaramappa, Secretary i/c & Director (Fin.), Spices Board inaugurating the Hindi Fortnight Celebrations 2017

Dr. A Jayathilak IAS, Chairman, Spices Board delivering the presidential address during the Valedictory Function of Hindi Fortnight Celebrations 2017

Shri.M.S.Banerjee, Under Secretary, Ministry of Commerce & Industry and Board's officials along with officials from Indian Embassy, Germany during Anuga 2017, Germany

Spices Board officials facilitating interaction between Indian exporters and international buyers at the Board's stall in Biofach, Germany 2017

Spices Board's pavilion in Janadriya Festival held at Riyadh in February, 2018

Dr.A.Jayathilak IAS, Chairman, Spices Board along with Mr.Vijay Singh Chauhan, Consul General of India, Sao Paulo at the Board's stall in Food Ingredients South America (FISA), Brazil held during August, 2017

Spices Board officials interacting with stakeholders during HKTDC Food Expo Wan Chai, Hong Kong in August, 2017

Spices Board officials with exporters at Riga Food 2017 held in September 2017 at Riga, Latvia

Spices Board officials and exporters discussing with business visitors at 5th World Food Expo Korea 2017

Spices Board's pavilion in SIAL Middle East, UAE held in December, 2017

स्पाइसेस बोर्ड
भारत

SPICES BOARD

ANNUAL REPORT
2017-18

SPICES BOARD
Ministry of Commerce & Industry
Government of India
Sugandha Bhavan
P B No: 2277
Cochin – 682 025

Tel : 0484-2333610-616, 2347965
E-mail : mail.sboard@gov.in
Website : www.indianspices.com

Compiled and Edited by

1. Shri Nithin Joe
   Deputy Director (P&C)

2. Shri Prathyush T.P
   Assistant Director (Pub)

3. Dr. G. Usharani
   Assistant Director (OL)

Technical Support

1. Smt. M. N. Geetha
   Personal Assistant

2. Shri Biju D Shenoy
   Jr. Hindi Translator

3. Shri R. Jayachandran
   EDP Assistant

Contents

	Executive Summary	: 5-6
1.	Constitution and Functions	: 7-8
2.	Administration	: 9-14
3.	Finance and Accounts	: 15-16
4.	Export Oriented Production	: 17-23
5.	Export Development and Promotion	: 24-35
6.	Publicity and Promotion	: 36-40
7.	Codex Cell and Interventions	: 41-42
8.	e-Spice Bazaar	: 43-44
9.	Quality Improvement	: 45-50
10.	Export Oriented Research	: 51-53
11.	Information Technology & Electronic Data Processing	: 54-55
12.	Implementation of Right to Information Act 2005	: 56
	Appendix I	: 57-63

EXECUTIVE SUMMARY

Spices Board is the flagship organization for the development and worldwide promotion of Indian spices. The Board has been spearheading activities for excellence of Indian spices, so as to help the Indian Spices Industry to attain the vision of becoming the international processing hub and premier supplier of clean and value added spices and herbs to the industrial, retail and food service segments of the global spices market. The Board has made quality and hygiene as the corner stones for its development and promotional strategies.

During 2017-18, the export of Indian spices continued its increasing trend and achieved an all time record in both volume and value. A total of 10,28,060 tonnes of spices and spice products valued at ₹17929.55 crores (US$ 2781.46 Million) has been exported from the country as against 9,47,790 tonnes valued at ₹ 17664.61 crores (US$ 2633.29 Million) in 2016-17, registering an increase of 8% in volume, 1% in rupee terms and 6% in dollar terms of value. With regard to the spices export target of 10,23,000 tons valued at ₹17665.10 crore (US$2636.58million) for 2017-18, the achievement was 100% in terms of volume,101% in rupee and 105% in dollar terms of value.

During 2017-18, the export of cardamom(small), cumin, garlic etc registered an increase both in volume and value as compared to 2016-17. The export of value added products such as curry powder/paste, spice oils & oleoresins etc. showed an increase both in volume and value when compared to 2016-17.

The "Integrated Scheme for Export Promotion and Quality Improvement in Spices & Research and Development of Cardamom" submitted by the Board has been approved under the Medium Term Framework Plan (2017-18 to 2019-20) by the Standing Finance Committee (SFC) for a total outlay of ₹ 491.78 crores. In 2017-18, the Board was granted a net amount of ₹ 90.96 crores and the total expenditure was ₹ 102.23 crores.

Spices Board has established crop specific Spices Parks in major production/market centers to empower the stakeholders of the spice industry, especially the farming community, by providing the common infrastructure and processing facilities. The Board has established Spices Parks at Chhindwara and Guna in Madhya Pradesh; Puttady in Kerala; Jodhpur in Rajasthan; Guntur in Andhra Pradesh and Sivaganga in Tamil Nadu. The Spices Parks at Kota in Rajasthan and Rae Bareli in Uttar Pradesh have been completed and are ready for inauguration.

The Quality Evaluation Laboratories of the Board at Cochin, Mumbai, Delhi, Chennai, Guntur, Tuticorin and Kandla continued providing analytical services and mandatory testing and certification of export consignments of select spices during the year. Establishment of Quality Evaluation Lab at Kolkata is in progress. All the Regional Quality Evaluation Laboratories of the Board are established under the ASIDE scheme. During 2017-18, the Quality Evaluation Laboratories analysed 1,17,474 samples for various parameters including Aflatoxin, Illegal dyes, Pesticide residues, Salmonella etc.

Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH), Ministry of Agriculture, Govt. of India under the Annual Action Plan (AAP) 2017-18 had

selected Spices Board as a National Level Agency for implementing Post harvest management & HRD programmes and the Board, using the funds from MIDH, undertook programs for Demonstration of technologies for Spices Production at farm level, Human Resource Development, Horticulture Mechanization, Value Chain Survey etc.

Spices Board India took the initiative to develop a digital platform- E-spice Bazaar - which caters to the needs of the spice farmers and exporters / buyers. The web portal, www.espicebazaar.com, was officially launched on 25th February, 2018 by Shri Suresh Prabhu, Hon'ble Union Minister of Commerce & Industry and Shri N Chandrababu Naidu, Hon'ble Chief Minister of Andhra Pradesh at Visakhapatnam. The web portal features details of all the farmers, their farms, farming practices including fertilizer and pesticide applications; information on companies which have been registered as buyers, Farmer Producer Organizations (FPO) etc.

Spices Board has been conducting Buyer Seller Meets (BSM) across the major spice producing regions so as to provide a platform for interaction between the spice growers and exporters for establishing direct market linkages. During FY 2017-18, the Board conducted eight BSMs across the country. Spices Board organized a National Seminar on Spices, focusing on the North-Eastern States at Guwahati, Assam on 21st February 2018, with the objective to disseminate the recent developments in the field of production and post harvest technologies in Spices, to identify the gaps in cultivation, processing & marketing of spices and to draw a road map for development of spices in the North Eastern States.

The Board organized an Orientation Programme for Operationalising Spice Farmers Producer Companies (SFPC) at Itanagar, Arunachal Pradesh on 26th April, 2017, which was inaugurated by Smt. Nirmala Sitharaman, Hon'ble Union Commerce & Industry Minister (former) in the presence of Shri Kiren Rijiju, Hon'ble Union Minister of State for Home Affairs. Further, the Board had conducted SFPC formation drives at Ziro and Namsai in Arunachal Pradesh. Subsequently, the SFPC at Namsai has been registered under the Companies Act and the SFPC at Ziro is in the final stage of registration.

The National Skill Development Corporation (NSDC) under Ministry of Skill Development & Entrepreneurship has approved the Board's project for the empowerment of farmers engaged in spices cultivation and processing. The project will be implemented in eighteen states of India where spices are largely grown, covering around 18,000 beneficiaries. In this regard, 120 officials of the Board got empaneled as "Certified Trainers" after undergoing the Training of Trainers (ToT) programme conducted by Agriculture Skill Council of India (ASCI), during FY 2017-18.

1. CONSTITUTION AND FUNCTIONS

A. Constitution of Spices Board

The Spices Board Act 1986, (No.10 of 1986) enacted by Parliament provide for the constitution of a Board for the development of export of spices and for the control of cardamom industry including control of cultivation of cardamom and matters connected therewith. The Central Government by notification in the official gazette constituted the Spices Board, which came into being on 26.2.1987.

The Spices Board consists of:

(a) Chairman

(b) Three members of Parliament of whom two shall be elected by the House of the People and one by the Council of States;

(c) Three members to represent the Ministries of the Central Government dealing with:

  (i) Commerce;

  (ii) Agriculture; and

  (iii) Finance;

(d) Six members to represent the growers of spices*;

(e) Ten members to represent the exporters of spices;

(f) Three members to represent major spice producing States;

(g) Four members one each to represent:

  (i) The Planning Commission (now NITI Aayog);

  (ii) The Indian Institute of Packaging, Mumbai;

  (iii) The Central Food Technological Research Institute, Mysuru;

  (iv) Indian Institute of Spices Research, Kozhikode;

(h) One member to represent spices labour interests.

** Amended vide Government of India, Ministry of Commerce & Industry notification No. 157 (E) dated 2nd February, 2018*

B. Functions of the Board

The Spices Board Act, 1986, has assigned the following functions to the Board.

a) The Board may -

(i) Develop, promote and regulate export of spices;

(ii) Grant certificate for export of spices;

(iii) Undertake programmes and projects for promotion of export of spices;

(iv) Assist and encourage studies and research, for improvement of processing,quality techniques of grading and packaging of spices;

(v) Strive towards stabilization of prices of spices for export;

(vi) Evolve suitable quality standards and introduce certification of quality through "Quality marking" of spices for export ;

(vii) Control quality of spices for export;

(viii) Give licences, subject to such terms and conditions as may be prescribed, to the manufacturers of spices for export;

(ix) Market any spice, if it considers necessary in the interest of promotion of export;

(x) Provide warehousing facilities abroad for spices;

(xi) Collect stastistics with regard to spices for compilation and publication;

(xii) Import with prior approval of the Central Government any spice for sale; and

(xiii) Advise the Central Government on matters relating to import and export of spices

b) The Board may also –

(i) Promote co-operative efforts among growers of cardamom;

(ii) Ensure remunerative returns to growers of cardamom;

(iii) Provide financial or other assistance for improved methods of cultivation and processing of cardamom, for replanting cardamom and for extension of cardamom growing areas;

(iv) Regulate the sale of cardamom and stabilization of the prices of cardamom;

(v) Provide training in cardamom testing and fixing grade standards of cardamom;

(vi) Increase the consumption of cardamom and carry on propaganda for that purpose;

(vii) Register and license brokers (including auctioneers) of cardamom and persons engaged in the business of cardamom;

(viii) Improve the marketing of cardamom;

(ix) Collect statistics from growers, dealers and such other persons as may be prescribed on any matter relating to the cardamom industry, publish statistics so collected or portions thereof, extracts therefrom;

(x) Secure better working conditions and the provision and improvement of amenities and incentives for workers; and

(xi) Undertake, assist or encourage scientific, technological and economic research.

C. Spices under the purview of the Board

The following 52 spices are listed in the Schedule of Spices Board Act:

1	Cardamom	19	Kokkam	37	Juniper berry
2	Pepper	20	Mint	38	Bayleaf
3	Chilli	21	Mustard	39	Lovage
4	Ginger	22	Parsley	40	Marjoram
5	Turmeric	23	Pomegranate seed	41	Nutmeg
6	Coriander	24	Saffron	42	Mace
7	Cumin	25	Vanilla	43	Basil
8	Fennel	26	Tejpat	44	Poppy seed
9	Fenugreek	27	Pepper long	45	All-Spice
10	Celery	28	Star anise	46	Rosemary
11	Aniseed	29	Sweet flag	47	Sage
12	Bishops weed	30	Greater Galanga	48	Savory
13	Caraway	31	Horse-radish	49	Thyme
14	Dill	32	Caper	50	Oregano
15	Cinnamon	33	Clove	51	Tarragon
16	Cassia	34	Asafoetida	52	Tamarind
17	Garlic	35	Cambodge		
18	Curry leaf	36	Hyssop		

[In any form including curry powders, spice oils, oleoresins and other mixtures where spice content is predominant]

2. ADMINISTRATION

A. Administration

Dr. A Jayathilak IAS, Chairman, MPEDA held the additional charge of Chairman, Spices Board during the period under report and also held the additional charge of Secretary Spices Board w.e.f 13.03.2018. Shri S. Siddaramappa, functioned as Secretary upto 12.03.2018 and also held the additional charge of Director (Finance). Shri P. M. Sureshkumar, functioned as Director (Marketing) during the period under report. Dr. Remashree A.B. continued as Director (Research) and also held the additional charge of Director (Development) during the period under report.

As on 31st March 2018, the staff strength of Spices Board was 403 consisting of 85 Group A, 129 Group B and 189 Group C including 6 departmental canteen employees.

a) Reservation for SC/ST/OBC in appointments and promotions

The Board is properly implementing the post-based reservation roster for SC/ST/OBC. The instructions issued by the Government from time to time in this regard are strictly adhered to. As on 31st March 2018 there were 223 employees belonging to SC/ST and OBC categories. No promotion was given to the employees and no appointment was made during the period under report as per the direction from the Department of Commerce, on account of austerity measures.

b) Welfare of Women

As on 31st March 2018, the total strength of women employees in the Board in Group A, B, and C categories were 121. The grievances of women employees were timely and properly attended. A group-A level woman officer of the Board has been appointed as "Women Welfare Officer" to sort out the difficulties/problems faced by the women employees, if any, and to bring them to the notice of the higher authorities along with suggestions for possible solutions.

c) SC/ST/OBC Welfare

The Board has constituted committees for SC/ST & OBC so as to look after the welfare of the employees and to sort out their problems. The Board has nominated a Liaison Officer to look into the reservation matters relating to SC/ST/OBC.

d) Welfare of Persons with Disabilities

The Board has nominated a Liaison Officer for reservation matters relating to persons with disabilities and a reservation roster is maintained for persons with disabilities.

e) Internal Audit

Institute of Public Auditors of India (IPAI) continued to provide consultancy services in matters connected with the internal audit of the Board during the period under report.

f) Meetings of the Board

During the period under report, no Board meetings were convened as the tenure of the Board got expired in February 2017 and the Board was not reconstituted further. The draft list of members of the Board has been submitted to Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India, for which finalization/approval is awaited .

g) Offices of the Board

The Head office of the Board is located at Kochi in Kerala. Further, the Board has 105

offices across the country which includes 30 Export Promotion Offices, 60 Research & Development Offices for Small and large cardamom, 7 Quality Evaluation Laboratories (QEL) and 8 Spices parks. The following offices of the Board functioned during 2017-18.

(i) Export Promotion Offices

Sl. No.	Location	State/UT
1	Paderu	Andhra Pradesh
2	Khammam	Andhra Pradesh
3	Warangal	Andhra Pradesh
4	Guwahati	Assam
5	Patna	Bihar
6	Jagdalpur	Chhattisgarh
7	Ponda	Goa
8	Ahmedabad	Gujarat
9	Surendra Nagar	Gujarat
10	Unjha	Gujarat
11	Una	Himachal Pradesh
12	Srinagar	Jammu & Kashmir
13	Ranchi	Jharkhand
14	Bangalore	Karnataka
15	Nagpur	Maharashtra
16	Sangli	Maharashtra
17	Churachandpur	Manipur
18	Shillong	Meghalaya
19	Aizawl	Mizoram
20	New Delhi	New Delhi
21	Koraput	Odisha
22	Chandigarh	Punjab/Haryana
23	Nagercoil	Tamil Nadu
24	Nizamabad	Telangana
25	Hyderabad	Telangana
26	Agartala	Tripura
27	Barabanki	Uttar Pradesh
28	Sambal	Uttar Pradesh
29	Dehradun	Uttarkhand
30	Kolkota	West Bengal

(ii) Research & Development Offices/ Farms

Research and Development of Small Cardamom

Sl. No.	Location	State
1	Adimali	Kerala
2	Elapara	Kerala
3	Kalpetta	Kerala
4	Kattappana	Kerala
5	Kumali	Kerala
6	Myladumpara	Kerala
7	Nedumkandam	Kerala
8	Pampadumpara	Kerala
9	Peermade	Kerala
10	Puttady	Kerala
11	Rajakad	Kerala
12	Rajakumari	Kerala
13	Santhanpara	Kerala
14	Udumbanchola	Kerala
15	Batlagundu	Tamil Nadu
16	Bodinayakanur	Tamil Nadu
17	Coimbatore	Tamil Nadu
18	Erode	Tamil Nadu
19	Salem	Tamil Nadu
20	Thadiyankudissai	Tamil Nadu
21	Aigoor (farm)	Karnataka
22	Bagamandala	Karnataka
23	Belagola (farm)	Karnataka
24	Beligeri (farm)	Karnataka
25	Bettadamane (farm)	Karnataka
26	Chikmagalur	Karnataka
27	Donigal	Karnataka
28	Haveri	Karnataka

29	Koppa	Karnataka
30	Madikeri	Karnataka
31	Mudigere	Karnataka
32	Saklespur	Karnataka
33	Shivamogga	Karnataka
34	Sirsi	Karnataka
35	Somwarpet	Karnataka
36	Vanagur	Karnataka
37	Virajpet	Karnataka
38	Yeslur (farm)	Karnataka

Research and Development of Large Cardamom

Sl. No.	Location	State
1	Aalo	Arunachal Pradesh
2	Bomdila	Arunachal Pradesh
3	Changlang	Arunachal Pradesh
4	Itanagar	Arunachal Pradesh
5	Namsai	Arunachal Pradesh
6	Pasighat	Arunachal Pradesh
7	Roing	Arunachal Pradesh
8	Tezu	Arunachal Pradesh
9	Ziro	Arunachal Pradesh
10	Tinsukia	Assam
11	Dimapur	Nagaland
12	Kohima	Nagaland
13	Mokokchung	Nagaland
14	Gangtok	Sikkim
15	Geyzing	Sikkim
16	Jorethang	Sikkim
17	Kabi (farm)	Sikkim
18	Mangan	Sikkim
19	Pangthang (farm)	Sikkim
20	Tadong	Sikkim
21	Kalimpong	West Bengal
22	Sukhiapokri	West Bengal

(iii) Quality Evaluation Laboratories (QEL)

1	Guntur	Andhra Pradesh
2	Kandla	Gujarat
3	Kochi	Kerala
4	Mumbai	Maharashtra
5	Narela	New Delhi
6	Chennai	Tamil Nadu
7	Tuticorin	Tamil Nadu

(iv) Spices Parks

1	Guntur	Andhra Pradesh
2	Puttady	Kerala
3	Chhindwara	Madhya Pradesh
4	Guna	Madhya Pradesh
5	Jodhpur	Rajasthan
6	Ramganj Mandi(Kota)	Rajasthan
7	Sivaganga	Tamil Nadu
8	Raebareli	Uttar Pradesh

h) Visit of Department Related Parliamentary Standing Committee on Commerce to Spices Board

The Department Related Parliamentary Standing Committee on Commerce had visited Vijayawada, Hyderabad, Chennai and Mumbai during the period 19th to 25th April 2017 to study the Activities and Functioning of Spices Board & Trade with Association of South-East Asian Nations (ASEAN). The Committee also visited Guwahati and Kolkota during 1-4 July, 2017 and held meetings with stakeholders of the spices sector.

B. Implementation of Official Language policy

The major activities and achievements by the Official Language Section during FY 2017-18 are given below.

a) Translation

The following major translation work [English to Hindi and vice versa] were undertaken:

- Documents coming under section 3(3) of Official Language (OL) Act, like General Orders [Circulars], Tender Documents, Advertisements, Press Release, Notifications, VIP references etc
- Annual Report & Audit Report 2016-17 and other administrative reports of the Board placed before the Parliament
- Background notes, questionnaires and other materials for various Committees of Parliament visiting/ inspecting the Board
- Materials [banner, backdrop, invitation card, programme sheets etc.] for various official functions arranged by the Board
- Material for Hindi magazine Spice India
- Letters received in Hindi and replies thereof
- Material for visiting cards, rubber stamps for the officials in service and mementos for the officials retiring from the service of the Board
- Material for the proposed book on Large cardamom *"Revised Large cardamom Guide"*
- Power Point Presentations on the activities of the Board in Hindi

b) Implementation of OL policy

i) Official Language Implementation Committee (OLIC) meetings

- Four OLIC meetings, (one in each quarter), were conducted during FY 2017-18, on 17.04.2017 (for April-June 2017),18.08.2017 (for July-September 2017),18.12.2017 (for October-December 2017) and 13.03.2018 (for January-March 2018) respectively. Chairman, Spices Board or in his absence, Secretary i/c presided over these meetings.

ii) Ensuring follow-up on the decisions of the OLIC

The OL section ensured follow up actions on the decisions taken in the OLIC meetings. The major steps were the following:

- Made staff details/pay slips bilingual
- Ensured making entries in Hindi in registers and keeping dispatch register bilingual
- Ensured compliance of section 3(3) of OL Act
- Decentralized the OL implementation activities among regional offices

iii) Hindi workshop

- A Hindi workshop was arranged for the newly recruited staff members on 26th July 2017 and a power point presentation was made in Hindi, so as to disseminate the OL policy as well as Board's activities in implementing the OL policy
- A one-day Regional Hindi workshop was organized in the Regional Office, Spices Board, Guntur [Andhra Pradesh] on 26.02.2018, for the staff of the Board working in Andhra Pradesh, Telangana and Orissa states. Shri Nagaraju, Hindi Officer, Divisional Railway, Guntur was the faculty of the workshop, in which 18 staff were imparted training

iv) In-service Hindi training

- Seven staff members from of Spics Board were nominated for in-service Hindi [Prabodh-2/ Praveen-4/Pragya-1] training through correspondence course under the Central Hindi Training Institute, New Delhi
- Sr. Hindi Translator attended a five day, Basic training programme on Hindi in Computers at NIC, Kakkanad, arranged by the Hindi Teaching scheme, Kochi, during 24-28 July 2017
- Sr. Hindi Translator attended a five day official language orientation programme at Central Hindi Training Institute, New Delhi during 19-23 March 2018

v) Subscription for Hindi News paper/ Magazines

- Spices Board continued subscription for Hindi News Paper "Hindi Milap' and Hindi magazines namely *Sarita* and *Vanita*

vi) Official Language Inspection

- The OL section arranged official language inspection of seven outstation offices during 2017-18, viz, Guntur, Gangtok, Warangal, Jodhpur, Mumbai, Guna and Kalimpong in addition to the sections in HO. The inspection reports were reviewed and the officials concerned were informed of the shortcomings and necessary guidelines were given to overcome the shortcomings

vii) Hindi Day/Fortnight celebrations 2017

- 'Hindi Day' was observed across Spices Board's offices on 14th September, 2017 and Shri S Siddaramappa, Secretary i/c inaugurated Hindi Fortnight Celebrations 2017 at Spices Board Head Office, Kochi. The OL section conducted various Hindi competitions for the staff members. Also, necessary assistance was extended to the outstation offices for arranging various programmes in connection with Hindi Fortnight Celebrations 2017
- The valedictory function of the Hindi Fortnight Celebration 2017 was arranged at Spices Board Head Office, Kochi on 17th January 2018. Chairman, Spices Board presided over the function in which Dr Eesha Priya IAS, Asst Collector, Ernakulam was the chief guest
- Trophies/cash awards/certificates for the winners of various Hindi competitions conducted for staff members in HO, commendable work done by the staff in Hindi, Rajbhasha Pratibha Puraskar, Rajbhasha Rolling / Runner up trophy for sections in HO, Award for special effort in implementing the OL policy by the officers, Certificates for the staff members for successfully completing in-service Hindi training examination etc. were distributed by the Chairman and the Chief guest

viii) Participation in the programmes arranged by Kochi TOLIC

- Spices Board provided assistance to Kochi TOLIC, so as to meet the expenditure in connection with the Joint OL Celebrations 2017
- Director(R&D) and Asst Director(OL) of Spices Board attended the TOLIC meeting held on 8th November, 2017

- Sr. Hindi Translator attended a five day translation training programme during 11-15 December 2017 at Kochi
- Jr. Hindi Translator attended a one day technical workshop on OL in computers conducted at Kochi on 16th January, 2018
- The Secretary i/c, Asst Director (OL) and Jr. Hindi Translator attended the TOLIC meeting on 6th March 2018. Asst Director (OL) made a Power Point Presentation in Hindi on the activities of the Board related to the implementation of OL policy.

c) Spice India (Hindi)

The OL Section attended the works such as material collection, editing etc. in connection with the publishing of Spice India (Hindi), upto September 2017. Subsequent to outsourcing of the pre press work, the OL section continued works such as proof reading, liaison with valid subscribers, authors of original materials for publication, arranging honorarium to the authors, payment of printing charges etc. from October 2017.

d) Achievements/awards

i) Rajabhasha Trophy from the Dept of Commerce

Spices Board was awarded the Rajbhasha Shield (Third Prize) instituted by the Dept. of Commerce for the year 2016-17. Chairman, Spices Board received the shield from the Commerce Secretary, Govt of India

ii) Rajabhasha Trophy from Kochi TOLIC

Spices Board was awarded the Rajbhasha trophy (Third Prize) instituted by the Kochi Town Official Language Committee [Kochi TOLIC] for the year 2017-18. Director(R&D), Spices Board received the trophy.

C. Library and Documentation Service

The Board's library has a good collection of books and periodicals with computerised bibliographic database. The process of strengthening the library and Information Center has been continued by new additions of books and periodicals. During 2017-18, eightyone new books were added to the library in addition to continuing the subscription of about 150 periodicals. Besides, the library continued regular services like circulation of the documents and periodicals, document delivery services, current awareness services, daily information services, CD-ROM search, reprographic services, collecting and disseminating news articles on spices and condiments. Reference facilities including guidelines were provided to about 50 students and research scholars from various universities. The library, through internet enabled computer terminals, provided users with access to online news papers and journals. The library books were issued through Koha library management software with Barcode scanner facility and Online Public Access Catalogue (OPAC) facility was enabled for easy access of library documents.

3. FINANCE AND ACCOUNTS

The schemes, projects and programmes of the Board are financed through grants and subsidies from the Government of India. The expenditure on Administration is met mainly through Internal and Extra Budgetary Resources (IEBR) generated from various activities of the Board.

The budget approved for the Board during 2017-18 was ₹ 9700.00 lakh. An amount of ₹ 4521.00 lakh against grants, ₹ 3638.00 lakh against subsidies, ₹ 690.00 lakh towards provision for North Eastern Region and ₹ 850.00 lakh towards provision for SC sub plan was received by the Board from the Govt. of India during 2017-18, of which ₹ 604.00 lakhs was returned to the Govt. towards the unspent balance against grant received for SC sub plan. The Board generated IEBR of ₹ 1688.61 lakh from analytical charges for quality testing services rendered by the quality evaluation laboratory, sale of seedlings from nurseries and farm products of Research farms, subscription and advertisement charges, exporters' registration fee, interest on advance, interest on short term deposit etc. in 2017-18. The total expenditure of the Board during 2017-18 was ₹ 10223.20 lakh, the break-up of which is given below:

Head of Account	**Budget Grants (₹ Lakhs)**	**Expenditure (₹ Lakhs)**
Export Oriented Production	2662.00	3124.81
Export Development & Promotion	2452.00	2791.07
Export Oriented Research	621.00	651.93
Quality Improvement	1114.00	1261.97
HRD & Works	2247.00	2393.43
Total	**9096.00**	**10223.21**

The Board has also been implementing certain ongoing projects and programmes with grants received from other Government Departments and National agencies such as MIDH, ICAR, ASIDE etc. The details of grants received and expenditure incurred for such projects during 2017-18 are given below:-

Programmes	Grants(₹ lakhs)	*Expenditure(₹ lakhs)
MIDH	150	77.43
ASIDE	75	751.6
RKVY - Andhra pradesh & Telangana	5.6	17.82
ICAR - AICRPS	10.7	10.7
RKVY - Assam	8.48	6.41
Quality Standard in Medicinal Plants	6.39	5.16
IPC	0.64	0.64
DUS Test Centre	--	1.3
Areawide IPM Black Pepper	--	3.68
E – Spice Bazaar Project	--	15.4
WTO-STDF	--	2.74
Total	**256.81**	**892.88**

** Expenditure includes grants received in the previous years and utilized in FY 2017-18, as well*

The Paras in the statuatory audit report 2017-18 on Spices Board are placed as Appendix 1

4. EXPORT ORIENTED PRODUCTION

Spices Board is responsible for the overall development of cardamom (small & large) in terms of improving production, productivity and quality. The Board is also implementing post- harvest improvement programmes for production of quality spices for export. The various development programmes and post-harvest quality improvement programmes of the Board are included under the Head 'Export Oriented Production'.

The development programmes are implemented through the extension network of the Board consisting of Regional Offices, Divisional Offices and Field Offices. The Board is maintaining five Departmental Nurseries in the major cardamom growing areas in Karnataka to cater to the requirements of quality planting materials for the spice growers.

Spices Board has established the following 11 Spice Development Agencies (SDA) to promote development and marketing of spices and to enable better coordinaton with various state, central and allied agencies/institutions for implementing programmes for research, production, marketing, quality improvement and export of spices grown in the state.

- Guwahati SDA
- Gangtok SDA
- Uttar Pradesh SDA
- Guna SDA
- Unjha SDA
- Jodhpur SDA
- Mumbai SDA
- Guntur SDA
- Haveri SDA
- Erode SDA
- Warangal SDA

The Chief Secretary of the concerned state is the Chairperson of SDA with 17 members representing spice growers, exporters, traders, State Horticulture/Agriculture Dept, State Agriculture University, Jt DGFT, Ministry of Agriculture, Ministry of Commerce etc. The respective regional officer of the Board is the Member Secretary of the SDA. The SDAs have conducted meetings and actions are being taken as per the decisions in the SDA meetings.

Spices Board has established Saffron Production & Export Development Agency (SPEDA) at Srinagar for promoting development, marketing, quality, export and domestic consumption of saffron in Jammu & Kashmir. The SPEDA will be co-chaired by the Secretary, Department Commerce, Ministry of Commerce & Industry and Chief Secretary, Govt of Jammu & Kashmir.

Export Oriented Production of Spices

The various programmes implemented under the scheme 'export oriented production of spices' during the year 2017-18 are detailed below.

A. Cardamom (Small)

Small cardamom is grown mainly in the Western Ghats of Kerala, Karnataka, and Tamil Nadu. Majority of the cardamom holdings are small and marginal. The total area under small cardamom during 2017-18 was 69,330 hectares (ha) with an estimated production of 20650 metric tonnes. The programmes implemented for the development of small cardamom are given below.

a) Replanting

The objective of this programme is to address the issue of old, senile and

uneconomic plantations of small cardamom in the states of Kerala, Tamil Nadu and Karnataka. This programme is intended to encourage small and marginal growers to take up replantation of the old, senile and uneconomic plantations by providing financial assistance. The growers are offered a subsidy of ₹ 70,000/- per ha in Kerala & Tamil Nadu and ₹ 50,000/- per ha in Karnataka, towards 33.33 per cent of the cost of replanting and maintenance during gestation period, payable in two equal annual installments. Registered small and marginal cardamom growers owning up to 8 ha are eligible to avail benefit under the scheme.

During 2017-18, the Board had provided assistance for replanting 388.77 ha of small cardamom and ₹ 123.54 lakh has been arranged as subsidy, benefiting 964 growers (Female: 153; SC: 28; ST:1).

b) Production and distribution of quality planting materials

Production and distribution of disease free, healthy and quality planting materials were taken up by Board's departmental nurseries. The planting materials produced in the five departmental nurseries were distributed to growers on a 'no-profit-no-loss' basis. During 2017-18, 1,51,894 cardamom planting materials, 3,37,023 rooted pepper cuttings, 32,645 pepper nucleus planting materials, 1,905 bush pepper planting materials, 470 terminal pepper planting materials and 1,676 vanilla planting materials were produced and distributed to 1135 growers (Female: 34; SC: 37; ST: 14) from five departmental nurseries of the Board in Karnataka.

B. Development Programmes for North East

a) Cardamom (Large)

Large cardamom is grown mainly in the sub-Himalayan tracts of Sikkim, Arunachal Pradesh, Nagaland and Darjeeling & Kalimpong districts of West Bengal. The total area under large cardamom in Sikkim and Darjeeling & Kalimpong districts of West Bengal during 2017-18 was 26617 ha with an estimated production of 5905 tonnes. Non availability of quality planting materials, presence of senile, old and uneconomic plants and incidence of blight diseases are the major challenges affecting large cardamom production. Keeping this in view, the Board implemented the following programmes for large cardamom.

i) Large cardamom – Replanting

Large cardamom is grown mainly by small and marginal farmers belonging to weaker sections of the society. The objective of the scheme is to motivate the growers to adopt replanting in a systematic way to increase the productivity. The cardamom farmers are not in a position to meet the cost of replanting / new planting due to higher investment. The Board is providing 33.3 per cent of the cost of new planting in non-traditional areas and replanting in traditional areas as well as maintenance during gestation period (ie. 1st and 2nd years) as subsidy subject to a maximum of ₹ 28000/- per hectare payable in two equal annual installments.

During 2017-18, the Board provided assistance for replanting /new planting 1072.9 ha of large cardamom and ₹ 149.78 lakh was arranged as subsidy, benefiting 2631 growers (Female: 635; SC: 20; ST: 2189)

C. Post Harvest Improvement of Spices

a) Seed Spice Threshers

The harvesting and post harvest practices followed by some of the seed spice growers are generally unhygienic which result in contamination of the products with foreign matters like stalks, dirt, sand, stem bits etc. It has been reported that the seeds are separated by beating the harvested and dried plants with bamboo sticks, rubbing the plants manually by hand etc. In order to separate the seeds from the dried plants and to produce clean spices, Board has been popularizing the use of threshers which are operated manually or by using power.

The Board provides 50 per cent of the cost of the thresher as subsidy subject to a maximum of ₹ 60,000/- for a power operated thresher and ₹ 20,000/- for a manually operated thresher.

During 2017-18, the Board provided assistance for installing 48 power operated threshers in the farmers' fields and a total subsidy of ₹ 28.02 lakh was given, benefiting 48 growers (Female: 7; SC:1).

b) Supply of Turmeric Steam Boiling units

The programme is intended to assist the turmeric growers to adopt improved scientific methods for processing turmeric using steam boiling units. This provides better colour and quality to the final produce. Spices Board popularizes the use of large scale turmeric boiling units among growers for production of quality turmeric, suitable for exports. The subsidy provided under this programme is 50 per cent of the actual cost of the boiling unit or ₹ 1.50 lakh whichever is less.

During 2017-18, 15 turmeric steam boiling units were supplied at a financial assistance of ₹ 22.45 lakh, benefiting 15 growers (Female: 5).

c) Supply of Modified Bhatti/ SAWO Drier for drying Large Cardamom

The objective of the scheme is to motivate the farming community to adopt scientific curing methods for improving the quality of large cardamom. The total cost of construction for a Modified Bhatti (ICRI model) with 200kg and 400kg capacity are ₹ 27,000/- and ₹ 37,500/-, respectively. Also the total cost of sawo drier/equivalent drier is estimated at ₹ 25,000/-. The Board is providing subsidy @ 75 per cent of total cost or ₹ 22,500/-, which ever is less for construction of Modified Bhatti (ICRI model) or for purchase of sawo/ equivalent drier.

During 2017-18, 115 modified bhatti / SAWO or equivalent units were supplied at a financial assistance of ₹ 23.97 lakh, benefiting 115 growers (Female: 12; ST: 66).

d) Nutmeg Dryers

Traditionally, sun drying is practised in the case of nutmeg and mace. As the harvesting of nutmeg coincides with the monsoon season, it is very difficult to dry the nutmeg and mace by sun light. This can cause, improper drying which in turn can open up chances for development of fungal infection in the produce, leading to aflatoxin growth. Presence of Aflatoxin in nutmeg is a major challenge in the export of nutmeg. Uniform and hygenic drying of nutmeg will help to address the quality concerns in nutmeg. A few innovative farmers have introduced nutmeg driers using alternate fuels *viz*. firewood, electricity etc. which has helped

to produce hygienic and good quality nutmeg, besides resulting in considerable reduction in the drying time. These driers are eco-friendly, labour saving and easy to operate. The objective of the scheme is to popularize the mechanical driers among the growers to produce quality nutmeg and mace. The Board is providing 50 per cent of the cost of the drier subject to a maximum of ₹ 30000/- as subsidy .

During 2017-18, the Board assisted setting up of 21 Nutmeg dryers, for which a total subsidy of ₹ 4.45 lakh was provided, thereby benefiting 21 growers. (Female: 4)

e) Supply of Pepper Threshers

The objective of the scheme is to motivate the pepper growers to produce good quality pepper for export by promoting installation of pepper threshers for hygienic separation of pepper berries from the spikes.

During 2017-18, 177 threshers were set up at a total subsidy of ₹ 23.67 lakh, benefiting 177 growers. (Female: 18)

D. Training programme for quality improvement of spices (QITP)

The Board is regularly conducting quality improvement training programmes for farmers, officials of State Agri./Horti. Department, traders, members of NGOs, etc. for educating them on scientific methods of pre and post harvest & storage technologies and updated quality requirements for major spices.

A total of 11871 personnel were trained in 259 centres during 2017-18. The category wise details of training programme conducted by the Board during 2017-18 is given below:

- 176 Grower Training Programmes – 7568 participants (Female: 2335; SC: 670; ST: 1890)
- 22 Master Training Programmes – 968 participants (Female: 157; SC: 112; ST: 189)
- 23 Regional Seminars – 2001 participants (Female: 244; SC: 72; ST: 275)
- 25 Market Linkage Programmes – 1100 participants (Female: 40; SC: 65; ST: 145)
- 13 Trader Training Programmes – 234 participants (Female: 9; SC: 3; ST: 7)

E. Extension Advisory Service

Training on transfer of technical know-how to growers on production and post harvest improvement of spices is an important factor in increasing productivity and improving the quality of spices. This programme envisages technical/extension support to growers on the scientific aspects of cultivation and post harvest management through personal contact, field visits, group meetings and distribution of literature for small cardamom (in the states of Kerala, Tamil Nadu & Karnataka) and for large cardamom (in the states of Sikkim and West Bengal).

Besides extension advisory service, the production and post- harvest programmes of the Board under the scheme 'Export Oriented Production' are implemented through the extension network.

During 2017-18, a total of 28,085 extension visits were conducted and 2,938 group meetings/campaigns were organized for cardamom small and large in the states of Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Sikkim, Arunachal Pradesh, Nagaland and Kalimpong & Darjeeling districts of West Bengal and for other spices in the respective growing areas.

F. Externally Funded Projects

a) Project on Post Harvest Management of Spices under Mission for Integrated Development of Horticulture [MIDH]

This comprehensive project for post harvest management of spices is implemented by the Board in the major spices growing states with financial assistance from Mission for Integrated Development of Horticulture [MIDH], Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt of India.

During 2017-18, MIDH released an amount of ₹ 165.05 lakh, in two installments, for implementing the programme. A total of ₹ 77.43 lakh was spent by the Board, benefiting 3954 farmers and the balance fund of ₹ 87.62 lakh under the MIDH project has been carried forward for 2018-19.

The achievements under the project during 2017-18 are listed below:

i) Demonstration of technologies for Spices Production at farm level

The production technologies of Large Cardamom, Small Cardamom, Ginger, Turmeric, Chilli, Garlic, Coriander, Cumin and Black Pepper were demonstrated in 23 model plots with a total financial outlay of ₹ 14.57 lakh, benefiting 2980 farmers. (Female: 195; SC: 47; ST: 260)

ii) Human Resource Development

- Conducted 9 Farmers Training Programmes with a total financial outlay of ₹ 3.63 lakh, benefitting 529 farmers (Female: 39; ST: 65)
- Conducted 3 Technical Officers Training Programmes with a total financial outlay of ₹ 0.21 lakh, benefiting 75 officials (Female: 11; ST:8)

iii) Workshop / Seminar / Conference

- Conducted one National Seminar with a total financial outlay of ₹ 5 lakh, benefiting 115 stakeholders (Female: 27;SC: 18;ST: 53)

iv) Horticulture Mechanization

Under the program, assistance was provided for procuring the following items

- 115 Pepper Threshers with a financial assistance of ₹ 10.74 lakh (Female: 11)
- 27 Seed Spices Threshers with a financial assistance of ₹ 11.34 lakh (Female: 2; SC: 1; ST: 1)
- 11 Dryers with a financial assistance of ₹ 8.47 lakh
- 100 Nutmeg dryers with a financial assistance of ₹ 13.59 lakh (Female: 13)
- 2 Turmeric polishing machines with a financial assistance of ₹ 1.37 lakh

v) Value Chain Survey / Study

A pressing need is felt to understand the entire gamut of issues in production, post harvest management and marketing of Small Cardamom and Large Cardamom in the perspective of growers. This will help to understand the ground situation better and to develop scientific ways for improving the value chain and to identify gaps besides facilitating market linkage and price realization by the growers. It will be helpful to devise strategies for promoting the production, post harvest management, value chain development, marketing and exports of Small and Large Cardamom. The study with a total financial outlay of ₹ 60 lakh has been initiated in FY 2017-18 and is being continued during FY 2018-19.

vi) Skill Development Programme on Nursery Management

Spices Board has been conducting skill development programmes for farmers and rural youth on Nursery Management in spices. The scope of the skill development programme covers propagation techniques (both seed and vegetative propagation such as budding, grafting, cutting, layering etc.), nursery management of spices and other related operations.

During 2017-18, eighty two farmers and rural youth were trained at ICRI, Myladumpara and ICRI-RRS, Sakleshpur with a total financial outlay of ₹ 4.82 lakh. The programme will be continued during 2018-19.

b) RKVY Project of Govt. of Andra Pradesh

The Govt. of Andra Pradesh has approved the following projects submitted by the Board under RKVY and the projects are being implemented in the state by Spices Board.

- Global GAP Certification for farmers: The project envisages to bring production and processing of curry leaves & chillies with global GAP certification and export linkage
- Demonstration/Training cum Production centre for making cow based organic inputs for farming: A showcase model harnessing local resources is developed at the Goshala in Nehru Nagar, New Guntur, Andhra Pradesh
- Sustainable Post Harvest techniques in Tamarind for enhanced income and direct linkages in Kalyandurg Mandal, Anantapur District, Andhra Pradesh
- Training on Export Oriented Cultivation and Production of Coriander & Ajwain in Prakasam, Guntur and Kurnool Districts with Market Linkage
- Setting up of a master nursery in Kunchanapalli Horticulture Farm, Vishakapatnam District, Andhra Pradesh
- Demonstration plots for Japanese Mint in Prakasam and Guntur Districts in Andhra Pradesh

c) RKVY Project of Govt. of Telangana

The Govt. of Telangana has approved the integrated project on development of spices submitted by Spices Board and has released ₹ 110 lakh under RKVY for implementing the projects in the Telangana region, during 2015-16. A total assistance of ₹ 9.71 lakh was provided under the project during 2017-18, the details of which are as follows.

- Supply of Turmeric Polisher - 1 no.- 0.71 lakh - 1 beneficiary
- Supply of Turmeric Boiler - 6 nos.- 9.00 lakh - 6 beneficiaries. (ST: 1)

d) RKVY Project of Govt. of Assam

The Govt. of Assam has approved the Integrated Projects submitted by the Board for development of Ginger, Turmeric and Pepper in Assam under RKVY and an amount of ₹ 8.48 lakh was released to the Board in FY 2017-18 for implementing the Human Resource Development component of the program.

G. International Pepper Day

Spices Board has organised International Pepper Day - 2017 in association with District Horticulture Office, Tura, West Garo Hills on 6th October 2017 with

financial assistance from IPC, Jakarta, Indonesia at West Garo Hills District, Meghalaya. Farmers, exporters and traders coming from different parts of North East interacted and the farmers raised queries on procurement, price etc. The exporters/traders described about the quality parameters required for marketing of black pepper in domestic and international market. Board received US$ 1000 (equivalent to INR 64,229.54) from IPC for conducting Pepper Day.

5. EXPORT DEVELOPMENT AND PROMOTION

The various programmes being implemented under the scheme 'Export Development and Promotion' intend to support exporters to adopt hi-tech in spice processing, upgrade technologies for high end value addition and develop capabilities to meet the changing food safety standards in the importing countries. While encouraging adoption of scientific practices and process upgradation, the Board focuses on quality and food safety in the whole supply chain of spices. The major thrust areas are infrastructure development, research on new applications of spices & new product development, promotion of Indian spice brands abroad, setting up of infrastructure for common cleaning, grading, processing, packing and storing (Spices Park) in major spice growing/marketing centres, promotion of organic spices/GI spices etc. Special programmes are also undertaken for entrepreneurs from the North Eastern Region.

A. Infrastructure Development

a) Interest Equalization Scheme for Infrastructure Development

The Board proposes to assist exporters in adoption of Hi-Tech in Spice Processing, Technology and Process Upgradation, Setting-up/up-gradation of in-house quality control laboratory, Quality certification etc. by providing 3 per cent interest subsidy on a term loan up to ₹ 10.00 crore from Nationalized or Scheduled Banks subject to a maximum of ₹ 30.00 lakhs per year for three years, irrespective of the rate of commercial lending. The assistance will be limited to the cost of machinery, equipments, electrical items related/connected to the equipments, ancillary installations, supporting facilities/items such as control panel, cable trenching, transformer etc and installation /erection charges. Exporters can avail the Interest Equalization assistance for a single project, subject to a maximum of ₹ 30 lakhs per year or for multiple projects, subject to a maximum of ₹ 90 lakhs for three years. The Ministry of Commerce has accorded in principle approval for implementing the scheme during the Medium Term Frame Work Plan period and the detailed scheme guidelines have been submitted to the Ministry for approval.

b) Grant In aid for Adoption of Hi-Tech, Technology & Process Up-gradation, Setting up of in-house lab & Quality certification

The Board had implemented the scheme for Adoption of Hi-Tech, Technology & Process Upgradation, Setting up of in-house lab, Quality certification etc by providing grant in aid during XII plan period by providing 33 per cent of the cost, subject to a maximum of ₹ 1.00 crore per exporter for general areas. During 2017-18 the Board has effected the committed payments of the pending cases under the scheme.

Financial assistance has been given for three units under adoption of Hi-Tech to the tune of ₹ 245.1 lakhs, one unit under Technology and process upgradation to the tune of ₹ 2.8 lakhs and two units under setting up/upgradation of in-house lab to the tune of ₹ 35.9 lakhs.

c) Establishment of Public Private Partnership (PPP) Spice Parks

The Board proposes to establish spice parks under PPP mode in the major spices

growing, exporting and marketing regions. Farmer Producer Companies or Entrepreneurs having valid Certificate of Registration as Exporter of Spices (CRES) are eligible to apply under the scheme as promoters. Trade Associations will also be eligible to participate in the scheme. The Board will provide 20 per cent of the total cost of the project for establishing the Spice park as equity in the form of grant, subject to a maximum of ₹ 400 lakhs. The Ministry of Commerce has approved the scheme for implementing during the Medium Term Frame Work Plan period and the detailed scheme guidelines have been submitted to the Ministry for approval.

d) Setting up Spices Processing Units in NE region

The Board proposes to assist in establishing of primary processing facilities for spices in the NE region. The grant in aid offered under the scheme will be 33 per cent of the cost of processing facilities/equipments subject to a maximum of ₹ 50 lakhs per exporter. In respect of farmers' groups/Farmer Producer Companies having valid CRES, the assistance will be up to 50 per cent of the cost of all type of processing facilities subject to a maximum of ₹ 50 lakhs. The Board is creating awareness among the exporters to establish primary processing facilities in the NE region.

e) Setting up and maintenance of Infrastructure for common processing

Spices Board, with a view to empower the farmers to get better price realization and wider markets for their produce, has established crop specific Spices Parks in major production/market centres. The objective of the park is to have an integrated operation for cultivation, post harvesting, processing, value-addition, packaging and storage of spices and spice products. During the Medium Term Frame Work Plan period, the Board proposes to establish common processing facilities like steam sterilization units, cleaning and grading units etc in the growing areas/marketing centres, if the land is alienated to the Board by the exporters associations/State Government. The common processing facilities for cleaning, grading, packing, steam sterilization etc will help the farmers to improve the quality of the produce and thus result in a higher price realization.

The crop specific Spices Parks established by the Board in the major production/ market centres, are as below:

Sl No	Location/State	Spices Covered	Status
1	Chhindwara, Madhya Pradesh	Garlic & Chilly	Functioning
2	Puttady, Kerala	Pepper & Cardamom	Functioning
3	Jodhpur, Rajasthan	Cumin & Coriander	Functioning
4	Guna, Madhya Pradesh	Coriander	Functioning
5	Guntur, Andhra Pardesh	Chilly	Functioning
6	Sivaganga, Tamilnadu	Turmeric & Chilly	Functioning
7	Kota, Rajasthan	Coriander, Cumin	Functioning
8	Rae Bareli, Uttar Pradesh	Mint	Completed

The maintenance of Spices Parks/ Common processing facilities will be covered under this component, for which an amount of ₹ 217.3 lakhs was incurred during 2017-18.

B. Trade Promotion

a) Sending business samples abroad

The Board assists those exporters who wish to finalize business transactions on the basis of samples requested by buyers and reimburses courier charges up to a maximum of ₹ 50,000/- per year. Sending business samples enable better and speedy conversion of prospects to customers in the spice export scenario. The Board's proposal for enhancement of the grant in aid to ₹ 1.00 lakh per year is approved for implementation during the Medium Term Frame Work Plan period. Registered exporters are eligible for availing benefit under this programme and during 2017-18, the assistance provided under the scheme was ₹ 0.2 lakh.

b) Packaging development & bar coding

The programme envisages improvement and modernization of export packaging for increasing shelf life and reducing storage space, establishing traceability and better presentation of Indian spices in markets abroad. Registered exporters can avail assistance to the tune of 50 percent of the cost of packaging development and bar coding registration subject to a ceiling of ₹ 1.00 lakh per exporter. During 2017-18, an amount of ₹ 0.8 lakhs was disbursed to one exporter in NE region.

The Board has entrusted a R&D project on packaging Development for whole spices to Indian Institute of Packaging (IIP), Mumbai. The IIP has conducted two stake holders meeting with spices exporters at Mumbai and Kochi and the Board has released ₹ 4 lakh towards the phase-I of the project, during 2017-18.

c) Product Development & Research

There is ample scope for deriving new end uses and applications from the spices produced within the country. The scheme aims at scientific validation of nutritional, nutraceutical, cosmeceutical, medicinal and intrinsic properties of the spices and development of new products based on this validation. The registered exporters, R&D institutions etc having required facilities will be eligible to avail assistance under the scheme. The value realization in these products and formulations would be much higher than what would be available if they were exported solely as condiments. Development of new end products from spices involve scientific research in the areas of nutritional, pharmaceutical and cosmetic values, which can further lead to creation of patentable products with maximum value realization. The scheme offers financial assistance for product research & development, clinical trials, validation of properties, patenting and test marketing. It is proposed to provide 50 per cent of the cost of project subject to a maximum of ₹ 25.00 lakh as grant-in-aid per beneficiary. If clinical trials and patenting are involved, the ceiling will be ₹ 100 lakhs.

During 2017-18, the Board has released ₹ 5.3 lakhs to two institutes towards the grant for the ongoing projects.

d) Promotion of Indian spice brands abroad

The objective of the programme is to assist penetration of Indian brands in the

identified overseas markets, through a series of measures leading to the positioning of quality Indian spice brands within the reach of the foreign consumers with a clear mark of traceability and food safety. Under this programme, exporters who have registered their brand will be provided financial assistance towards interest free loan up to ₹ 100 lakhs per brand. With an objective to position specified brands in the identified outlets in selected cities abroad, 100 per cent of slotting/listing fee and promotional expenditures and 50 per cent of the cost of product development will be considered under the project.

e) Market Study by the Board

The Board proposes to undertake market study through professional agencies for Indian spices in order to identify competitors and to evolve suitable strategies for boosting export of Indian spices. Also, other critical aspects are to be studied in depth to formulate an appropriate pricing, promotional and marketing strategy. Market survey by the Board would help to find out the strengths, weakness, threats and opportunities for Indian spices. The study assumes significance especially to small scale exporters and new entrants who are required to be advised appropriately with the changing market situations and other regulations for efficient handling of their export operations. Based on this study, the exporters can pursue brand promotion efforts. The Board will execute an agreement with the professional agency for undertaking the market study and will provide 100 per cent assistance based on the project proposal.

Spices Board, during 2017-18, has entrusted Indian Institute of Foreign Trade (IIFT), New Delhi to conduct a study on export promotion of spices and to suggest short term and long term strategies for increasing the export share of Indian spices. The study is in progress and the Board has released ₹ 8.1 lakhs for the study as first instalment.

f) Participation in international trade fairs/exhibitions/ meetings and trainings

The Board is an international link between the Indian exporters and the importers abroad. As part of its initiatives for promotion of Indian spices in international markets and to provide opportunities for exporters, the Board is regularly participating in international fairs, exhibitions etc to showcase the capabilities of Indian spices to the international buyers. The Board also arranges cooking demonstrations in select exhibitions, food festivals etc to popularize the uses and applications of spices, in collaboration with leading restaurants and food chains, so as to promote Indian cuisine. Besides, the Board participates in annual meetings, conferences of IPC, Codex Committees etc. During 2017-18, Board has participated in 17 international fairs and exhibitions at a total expenditure of ₹ 348.8 lakhs.

The Board also encourages exporters to participate in international fairs/ exhibitions to generate/develop business. All registered exporters of the Board are eligible to avail the grant-in-aid for participation in international trade fairs/ exhibitions, on a reimbursement basis, against production of required documents. During 2017-18, a total of four exporters availed assistance for participation in international trade fairs, exhibitions etc at a total expenditure of ₹ 1.6 lakhs.

C. Marketing and Auxiliary Services

a) Marketing Services

Spices Board is implementing a series of programmes to develop and promote the export of spices and spice products from India and for domestic marketing of cardamom. The Board assists stakeholders on a day to day basis to sort out their various problems cropping up in the course of spice production, marketing, processing, quality improvement etc and provides advice and technical support to exporters, farmers and State Governments.

i) Registration & Licensing

Licensing and Registration is a part of the regulatory functions of the Board. The Board issues Certificate of Registration as Exporter of Spices (CRES) and also the Auctioneer and Dealer licenses for trading in Cardamom (Small & Large). During the 2017-18, Spices Board has issued 808 Certificates of Registration as Exporter of Spices (CRES) and 109 of Cardamom dealer licences.

ii) Registration of Brand name

The objective of the programme viz., registration of brand name is to support export of spices/spice products in consumer packs under Indian brand names and gain market share in the fast growing market of branded consumer packs. The Board has specified packing standards for different spices for different unit weights in consultation with Indian Institute of packaging and the registration is offered to exporters for a period of three years.

iii) Auction for Cardamom

During 2017-18, the Board continued to facilitate the conduct of E-auction of cardamom (small) at Spices Park, Puttady in Idukki District of Kerala and at Bodinayakanur in Tamil Nadu. Manual auctions were conducted in other states viz Karnataka & Maharashtra for Cardamom (small) and at Singtam in Sikkim and Darjeeling district of West Bengal for Large Cardamom.

iv) Testing of customs samples of Spices

During 2017-18, the Board has tested the samples of import consignments of spices received from Customs Dept and test reports were issued with respect to the import of 1675 MT of Pepper from Sri Lanka, Vietnam, Indonesia and Ecuador through Kochi port. The results were issued with regard to imports under Advance Authorization Scheme, after testing oleoresin/piperine contents for extraction of oils and oleoresins.

v) GI Registration of Spices

Spices Board has obtained the GI registrations for Malabar Pepper, Alleppey Green Cardamom, Coorg Green Cardamom, Guntur Sannam Chilly and Byadagi Chilly. The Board is popularizing the GI registered spices in the international markets.

vi) Signature Stall

Spices India, a signature stall to showcase spices, has been established by the Board at Lulu Mall, Kochi. The stall has been set up with the wholistic objective of building a brand image for indian spices by showcasing a mix of elements such as historical aspects, unconventional applications, entrepreneurship avenues etc besides undertaking sale of spices and spice products.

Flavourit Spices Trading Limited (FSTL), a company promoted by Spices Board is entrusted to operate the signature stall.

FSTL streamlines the efforts of people working at grassroots with market forces and helps growers, collectives and developmental ventures to bring economic and social inclusion.

b) Buyer Seller Meets (BSM)

Spices Board has been conducting Buyer Seller Meets (BSM) across the major spice producing regions so as to provide a platform for interaction between the spice growers and exporters for establishing direct market linkages. The BSMs offer a win-win situation to both the growers and exporters wherein the growers get a market for their produce along with remunerative returns, whereas the exporters find it beneficial in terms of establishing long term backward linkages and competitive sourcing of quality spices. During FY 2017-18, the Board conducted eight BSMs across the country, the details of which are given in the table below:-

Sl. No	Location	Date
1	Itanagar, Arunachal Pradesh	26th April, 2017
2	Kota, Rajasthan	5th May, 2017
3	Hyderabad, Telangana	8th June, 2017
4	Vijayawada, Andhra Pradesh	18th September, 2017
5	Unjha, Gujarat	13th October, 2017
6	Hubli, Karnataka	7th December, 2017
7	Mumbai, Maharashtra	7th January, 2018
8	Guwahati, Assam	22nd February, 2018

The stakeholders of the spice industry have shown keen interest and have actively participated in the BSMs, across the country, so as to make the best use of the platform, to build market linkages. A total of around 1800 farmers/farmers groups and 2750 spice exporters had actively participated in the BSMs. During 2017-18, the total expenditure for conducting BSMs was Rs.50 lakhs.

c) Trade Information Service

Trade Information Service undertakes collection, compilation, analysis and dissemination of statistics relating to exports, imports, area, production, auction of cardamom & domestic and international prices of spices.

The major source of information for compiling the monthly estimated export of Spices from India is the Daily List of Exports (DLE) released by the Customs authorities. Similarly, the Daily List of Imports (DLI) released by the Customs is the source for estimating the monthly import of Spices into India. The Board is compiling and disseminating the export and import details of Spices to its stakeholders and Ministry/Departments on a regular basis. The Board is regularly collecting both the DLE and DLI from all major ports like Cochin, JNPT, Chennai, Tuticorin, Mundra, Kolkata, Petrapole, Mohadhipur, Raxual, Amritsar etc. Moreover the information is also collected through the Regional Offices of the Board.

Spices Board is compiling and disseminating the domestic and international prices of Spices for major markets in India and abroad on regular

basis to the end-users through the websites and publications. The major source for collecting the price details are agencies like India Pepper and Spice Trade Association, Agricultural Produce Marketing Committees, Merchants Associations, International Trade Centre, Geneva, International Pepper Community, Indonesia, AA Sayia & Co, USA etc. These details are collected through the regional offices of the Board and through subscription to international agencies.

Spices Board is responsible for the development of Cardamom (Small & Large) and the area, production and productivity of these spices are estimated by Trade Information Service division of the Board, using inputs from the field sample study conducted by the office network of the Board. Area and production data of other spices are collected from the State Economics and Statistics/Agriculture/ Horticulture Departments/DASD for compilation. Information on area and production of other spices has been disseminated through the Board's publications as well as through the Board's website to the stakeholders and policy makers.

As per the Spices Board (Registration of Exporters) Regulations, all the registered exporters of spices have to submit their quarterly export return to the Board. During the 2014-17 block period, around 6150 exporters were registered with the Board and the Trade Information Service has compiled the Quarterly Export Returns of these exporters and is maintaining the exporter wise database for spices. This enables the Board to compile and publish the details of leading exporters of each spice through the website.

Spices Board is conducting e-auction for trading of Small Cardamom in the e-auction centres developed by the Board at Bodinayakanur in Tamil Nadu and Puttady in Kerala. The details on daily auction quantity and price of cardamom are compiled and disseminated on a daily basis through the website and the consolidated details on auction sale and average price are compiled and disseminated through the Board's publications.

The price information of spices in various market centres including major overseas markets are collected, compiled and published online through Spices Market on a weekly basis and through Spice India on a monthly basis for the benefit of stakeholders of the Industry.

The expenditure incurred during 2017-18 under Trade Information Service is ₹ 0.2 lakhs.

i) Area and production of spices

The area, production and productivity of Small and Large Cardamom for 2017-18 in comparison with 2016-17 is given in Table I & II. Area and production of other major spices during 2016-17 compared to 2015-16 is given in Table-III.

Table-I

State wise Area and Production of Cardamom(Small)
(Area in Hect., Pdtn. in Tonnes, Yield in Kg/Hect)

State	2017-18				2016-17			
	Total Area	Yielding Area	Pdtn.	Yield	Total Area	Yielding Area	Pdtn.	Yield
Kerala	39080	31577	18350	581	39080	31148	15650	502
Karnataka	25135	17628	1450	82	25117	17808	1449	81
Tamil Nadu	5115	3565	850	238	5160	3616	891	246
Total	69330	52770	20650	391	69357	52572	17990	342

Source:- Estimate based on field sample study

Table-II
State wise Area and Production of Cardamom(Large)
(Area in Hect., Pdtn. in Tonnes., Yield in Kg/Hect)

State	2017-18				2016-17			
	Total Area	Yielding Area	Pdtn.	Yield	Total Area	Yielding Area	Pdtn.	Yield
Sikkim	23312	18232	4860	266.67	23312	18137	4633	256
West Bengal	3305	3159	1045	330.48	3305	3129	939	300
Total	26617	21391	5905	276.10	26617	21266	5572	263

Source : Estimate by Spices Board

Table-III
Area and production of major spices
(Area in Hect., Pdtn. in Tonnes)

Spice	2016-17 (P)		2015-16	
	Area	Pdtn.	Area	Pdtn
Pepper	131230	57000	131790	48500
Chilli	830770	1872010	742950	1497440
Ginger	164850	1081430	156910	1025110
Turmeric	193395	1051160	183480	967060
Garlic	274550	1271220	295600	1603500
Coriander	662345	609350	624780	572990
Cumin	760130	485480	808230	503260
Fennel	74660	124610	76000	129350
Fenugreek	218430	220160	227960	248350

Source: State Directorate of Eco. & Stat. /Agri./Horti. Departments, Directorate of Arecanut & Spices Development, Kozhikkode (P): Provisional

ii) Auction sales and prices of cardamom (small)

The state-wise auction sales and weighted average price of cardamom (small) for 2017-18 (August 2017-July 2018) and 2016-17 (August 2016-July 2017) are given in Table-IV.

Table-IV

Auction sales & prices of cardamom (small)

(Qty. in Tonnes, Price in ₹ /kg.)

State	2017-18 (August-July)(P)		2016-17 (August-July)	
	Quantity auctioned	Weighted average auction price	Quantity auctioned	Weighted average auction price
Kerala and Tamil Nadu (e-auction)	27860	955.70	19777	1088.89
Karnataka	14	845.29	46	777.71
Maharashtra	65	1033.82	37	1268.41
Total	27939	955.82	19860	1088.50

(P): Provisional

Source: Reports received from licenced auctioneers

iii) Prices of cardamom (large)

The average wholesale prices of cardamom (large) at Gangtok and Siliguri market for 2017-18 and 2016-17 are given in Table V.

Table-V

Average wholesale prices of cardamom (large)

(Price in ₹ /kg.)

Centre	Grade	2017-18	2016-17
Gangtok	Badadana	599.70	973.94
Siliguri	Badadana	763.44	1079.82

iv) Prices of other major spices

The average prices of major spices in important market centers are given in Table VI. These prices have been collected from secondary sources like Chamber of Commerce, Indian Pepper and Spice Trade Association (IPSTA), market reviews prepared by the Merchants' Associations etc.

Table-VI

Prices of major spices in important market centers(Price in ₹ /Kg.)

Spice	Market	2016-17	2017-18
Black Pepper(Mg-1)	Cochin	694.77	473.73
Chillies	Guntur	97.68	56.39
Ginger	Cochin	160.33	129.72
Turmeric	Chennai	120.87	118.60
Coriander	Chennai	85.03	73.32
Cumin	Chennai	190.76	199.88
Fennel	Chennai	107.70	94.19
Fenugreek	Chennai	53.16	42.06
Garlic	Chennai	91.08	44.74
Poppy Seed	Chennai	365.70	466.58
Ajwain Seed	Chennai	191.96	99.46
Mustard	Chennai	52.51	54.95
Tamarind	Chennai	111.01	131.42
Saffron	Delhi	185479.00	143146.00
Clove	Cochin	749.20	671.10
Nutmeg(Without Shell)	Cochin	399.98	329.63
Mace	Cochin	484.48	441.09

v) Export performance of spices from India

Indian spices exports have been able to continue its increasing trend during 2017-18 also. During the period, spices export from India attained an all time record both in volume and value with a total export of 10,28,060 tonnes of spices and spice products valued at ₹ 17929.55 crores (US$ 2781.46 Million) as against 9,47,790 tonnes valued ₹ 17664.61 crores (US$ 2633.29 Million) during 2016-17, registering an increase of 8 per cent in volume, 1 per cent in rupee terms and 6 per cent in dollar terms of value.

In 2017-18, the total export of spices has exceeded the target in terms of both volume and value. The target for spice exports was 10,23,000 tons in volume and ₹ 17665.10 crore (US$ 2636.58 million) in value and the achievement stood at100 per cent in terms of volume and 101per cent in rupee and 105 per cent in dollar terms of value.

During 2017-18, the export of cardamom(small), cumin, garlic, other seeds such as ajwain seed, mustard, dill seed etc. and value added products like curry powder/paste, spice oils & oleoresins etc. have shown an increase both in volume and value, as compared to 2016-17. The export of chilli, coriander, celery and nutmeg & mace have shown an increase in terms of volume only, whereas the exports of mint products have shown an increase in terms of value only.

As far as the individual spices are concerned a total volume of 5,680 tonnes of cardamom(small) valued at ₹ 609.08 crores have been exported as against 3,850 tonnes valued at ₹ 421.50 crores of the previous year registering an increase of 48 per cent in volume and 45 per cent in value. This is an all time record in the history of export of Cardamom(small) from the country. During 2017-18, a total volume of 1,43,670 tonnes of cumin valued ₹ 2418

crores was exported as against 1,19,000 tonnes valued ₹ 1963.20 crores of the previous year, registering an increase of 21 per cent in volume and 23 per cent in value. The exports of garlic during 2017-18, was 46,980 tonnes valued at ₹ 309.36 crores as against 32,200 tonnes valued ₹ 307.12 crores of 2016-17, marking an increase of 46 per cent in volume and one per cent in value.

In the case of value added products, the export of curry powder/paste in 2017-18 was 30,150 tonnes valued at ₹ 616.20 crores as against 28,500 tonnes valued at ₹ 599.10 crores during the previous year, registering an increase of six per cent in volume and three per cent in value. Further, 2017-18 witnessed a total export volume of 17,200 tonnes of spice oils and oleoresins valued ₹ 2661.72 crores, as against 12,100 tonnes valued at ₹ 2307.75 crores of the previous year, registering an increase of 42 per cent in volume and 15 per cent in value.

The statements showing item-wise estimated export of spices from India during 2017-18, compared with 2016-17 and percentage of achievement of target during 2017-18 are given in Table VII and Table – VIII respectively.

Table –VII Export of spices from India during 2017-18 compared with 2016-17

	2017-18 (*)		2016-17		Per cent change in 2017-18	
Item	Qty (Tonnes)	Value (Rs. Lakhs)	Qty (Tonnes)	Value (Rs. Lakhs)	Qty	Value
Pepper	16,840	82,078.00	17,600	114,312.50	-4%	-28%
Cardamom(S)	5,680	60,908.50	3,850	42,150.00	48%	45%
Cardamom(L)	760	5,646.00	780	8,265.50	-3%	-32%
Chilli	443,900	425,633.00	400,250	507,075.00	11%	-16%
Ginger	22,605	21,606.55	24,950	25,705.00	-9%	-16%
Turmeric	107,300	103,567.00	116,500	124,189.00	-8%	-17%
Coriander	35,185	27,274.70	30,300	29,207.50	16%	-7%
Cumin	143,670	241,799.50	119,000	196,320.00	21%	23%
Celery	6,480	5,950.40	6,250	6,246.00	4%	-5%
Fennel	34,550	25,906.50	35,150	30,875.50	-2%	-16%
Fenugreek	29,280	12,688.90	34,680	18,276.50	-16%	-31%
Other Seeds (1)	22,175	16,045.80	18,100	15,455.00	23%	4%
Garlic	46,980	30,936.00	32,200	30,711.50	46%	1%
Nutmeg & Mace	5,500	22,094.30	5,070	23,641.65	8%	-7%
Other Spices(2)	38,305	60,192.75	40,210	50,595.00	-5%	19%
Curry Powders/Paste	30,150	61,619.50	28,500	59,910.00	6%	3%
Mint Products(3)	21,500	322,835.50	22,300	252,750.00	-4%	28%
Spice Oils & Oleoresins	17,200	266,172.40	12,100	230,775.00	42%	15%
Total	1,028,060	1,792,955.30	947,790	1,766,460.65	8%	1%
Value in Million US $		2781.46		2,633.29		6%

(1) Include Mustard, Aniseed, Ajwanseed, Dill Seed, Poppy Seed etc.
(2) Include Tamarind, Asafoetida, Cassia, Saffron etc.
(3) Include Mint Oils, Menthol & Menthol Crystal
Source: *Estimate based on DLE from Customs, Report from RO, last year's export trend etc.

Table-VIII
Export of spices from India during 2017-18, compared with target

Item	Target 2017-18		Achievement 2017-18		% Achievement of Target	
	Qty	Value	Qty	Value		
	(Tonnes)	(Rs. Lakhs)	(Tonnes)	(Rs. Lakhs)	Qty	Value
Pepper	23,000	140,300.00	16,840	82,078.00	73%	59%
Cardamom(S)	5,000	55,000.00	5,680	60,908.50	114%	111%
Cardamom(L)	700	6,475.00	760	5,646.00	109%	87%
Chilli	440,000	418,000.00	443,900	425,633.00	101%	102%
Ginger	30,000	33,000.00	22,605	21,606.55	75%	65%
Turmeric	120,000	114,000.00	107,300	103,567.00	89%	91%
Coriander	30,000	24,000.00	35,185	27,274.70	117%	114%
Cumin	140,000	238,000.00	143,670	241,799.50	103%	102%
Celery	5,500	4,950.00	6,480	5,950.40	118%	120%
Fennel	35,000	28,000.00	34,550	25,906.50	99%	93%
Fenugreek	30,000	15,450.00	29,280	12,688.90	98%	82%
Other Seeds (1)	20,000	18,000.00	22,175	16,045.80	111%	89%
Garlic	32,000	22,400.00	46,980	30,936.00	147%	138%
Nutmeg & Mace	4,750	22,657.50	5,500	22,094.30	116%	98%
Other Spices(2)	44,050	68,277.50	38,305	60,192.75	87%	88%
Curry Powders/ Paste	28,000	63,000.00	30,150	61,619.50	108%	98%
Mint Products(3)	22,000	280,500.00	21,500	322,835.50	98%	115%
Spice Oils & Oleoresins	13,000	214,500.00	17,200	266,172.40	132%	124%
Total	1,023,000	1,766,510.00	1,028,060	1,792,955.30	100%	101%
Value In Million US $		2636.58		2781.46		105%

(1) Include Mustard, Aniseed, Ajwanseed, Dill Seed, Poppy Seed etc.
(2) Include Tamarind, Asafoetida, Cassia, Saffron etc.
(3) Include Mint Oils, Menthol & Menthol Crystal
(*) Estimate
Source : Estimate based on DLE from Customs, Report from RO, last year's export trend etc.

d) Other initiatives

The Board proposed Minimum Import Price (MIP) for pepper (₹ 500/- per kg), aimed at preventing the cheaper import of pepper from other origins into India.The MIP was notified by DGFT and this has helped to prevent the further steep fall in prices of pepper in domestic market even though the prices in international markets had fallen drastically.

6. PUBLICITY AND PROMOTION

Designing a good promotional strategy is vital for enhancing the reputation and goodwill of the Indian spice fraternity. During the financial year 2017-18, the Board continued to undertake activities for promotion and branding of Indian spices across the globe. The strategies were designed for publicizing and promoting Indian spices, spice industry and the activities of the Board.

The major highlights during the financial year 2017-18 were participation in established international and domestic fairs, public relations through press releases, advertisement campaigns, online promotional campaigns, printing & publications of magazines, brochures etc. and showcasing video spots on spices.

The multi-disciplinary promotional activities have lend support to the Board and spice industry, boosting the demand of Indian spices both nationally and internationally.

A. Participation in International Fairs

The Board is an international link between the Indian exporters and the importers abroad. As part of its initiatives for promotion of Indian spices in international markets, Spices Board participates in major international trade fairs. The participation in International exhibitions help in creating a cost effective opportunity to the Indian Spice exporters to interact and build trade linkages with the existing as well as potential spice importers, thereby expanding the business horizon of the Indian Spice Industry. It also helps the Board to understand the various aspects of consumer behavior and food habits, retail and wholesale market requirements, food safety and security related norms of the importing countries etc.

The international events for participation were selected with a view to of tap unexplored potential market regions, besides strengthening and expanding the market share in the existing markets. The Board facilitated participation of exporters of spices in the major shows and separate cubicles/stalls were provided to exporters under the Board's banner, wherever possible, for their independent promotional activity. The officers of the Board deputed for organizing participation in these events communicated and interacted with the visitors and collected trade enquiries for dissemination to spice exporters and for further follow up.

During 2017-18, the Board participated in 17 international fairs and exhibitions at a total expenditure of ₹ 348.80 lakhs.

Sl No	Name of the Fair	Venue	Date
1	Summer Fancy Food Show	New York City, USA	25-27 June, 2017
2	HKTDC Food Expo	Wan Chai, Hong Kong	17-21 August, 2017
3	Food Agro Africa 2017	Dar-es-Salaam, Tanzania	22-24 August, 2017
4	Food Ingredients South America (FISA)	Sao Paulo, Brazil	22-24 August, 2017
5	Riga Food 2017	Riga, Latvia	6-9 September, 2017
6	Fine Food Australia	Sydney, Australia	11-14 September, 2017

7	World Food Moscow	Moscow, Russia	11-14 September, 2017
8	Expo Futuro Colombia	Risaralda, Colombia	13-15 September, 2017
9	World Food Kazakhstan	Almaty, Kazakhstan	1-3 November, 2017
10	Anuga	Frankfurt, Germany	7-11 October, 2017
11	World Food Expo South Korea	Goyang si, South Korea December, 2017	30 November - 3
12	FI Europe	Cologne, Germany	28-30 November, 2017
13	Sial Middle East, UAE	Adnec, UAE	12-14 December, 2017
14	Gulf Food Manufacturing	Dubai, UAE	31 October - 2 November, 2017
15	Janadriyah Festival	Riyadh, Saudi Arabia	7 – 24 February, 2018
16	Biofach	Nuremberg, Germany	15-18 February, 2018
17	India Show Chile	Santiago, Chile	2 - 10 March, 2018

B. Participation in Domestic Fairs

Domestic fairs are considered as an effective tool to reach out to the various stakeholders of spice industry. During the financial year, Spices Board participated in the important domestic fairs, conducted in the major spice growing and marketing centers. Trade fairs provide a platform to the Board to interact with the farmers, traders, exporters, scientists, trade support institutions, other export promotional agencies/organizations etc, which help to coordinate programmes, activities and projects relating to the spice sector. The participation in fairs during 2017-18, helped to generate an awareness on the activities of the Board on a pan India level, besides tapping both domestic and international demand for indian spices.

During 2017-18, Spices Board participated in 37 domestic exhibitions/ trade fairs, across India.

Sl No	Name of the Fair	Date	Place
1	Vibrant North East	4 - 6 May, 2017	Guwahati, Assam
2	Aqua Aquaria India 2017	14 -16 May, 2017	Nehru Maidan, Mangalore, Karnataka
3	8th Krishi Fair 2017	15 -19 May, 2017	Muktakash Rangamancha, Puri Town, Odisha
4	Matsyotsavam - 2017	27 - 29 May, 2017	Cantonment Maidan, Kollam, Kerala
5	Food and Technology Expo 2017	14 – 16 July, 2017	Pragati Maidan, New Delhi
6	Destination Himachal Pradesh	12 - 14 September, 2017	Palampur, Himachal Pradesh
7	Annapoorna	14 – 16 September, 2017	Mumbai, Maharashtra
8	UPASI Industrial Exhibition	13 -14 September, 2017	Coonoor, Tamil Nadu
9	4th Vibrant India	13 -15 October, 2017	Dilli Haat, Pitam, New Delhi
10	World Food India	3 - 5 November, 2017	Delhi
11	Food Ingredients India	9 - 11 November, 2017	Mumbai
12	India International Trade Fair	14 - 27 November, 2017	Delhi
13	11th Indian Fisheries and Aquaculture Forum	21 - 24 November, 2017	Kochi, Kerala
14	Sangai Festival	21 - 22 November, 2017	Manipur
15	9th East Himalayan Expo	14 - 20 December, 2017	Shillong, Meghalaya
16	10th Onattukara Agri Fest	19 - 23 December, 2017	Charummoodu, Kerala
17	28th Agrex 2017	22 - 28 December, 2017	Alappuzha, Kerala
18	Vaiga 2018	25 - 27 December, 2017	Thrissur, Kerala
19	Cochin Flower Show	29 December,2017 -7 January, 2018	D H Road, Ernakulam, Kerala

20	5th Assam Agri Horti Show	5 - 8 January, 2018	Dibrugarh, Assam
21	International Symposium Safari 2 2018 (CMFRI)	15 -17 January, 2018	Kochi, Kerala
22	Indus Food 2018	18 -19 January, 2018	Delhi
23	Turmeric Fest	19 - 20 January, 2018	Kozhikode, Kerala
24	Dry Chilly Mela	20 - 22 January, 2018	Hubballi, Karnataka
25	21st India International Seafood Show	27 -28 January, 2018	Goa
26	Vision Jammu & Kashmir 2018	29 -31 January, 2018	Udhampur, Jammu & Kashmir
27	Yuva Kisan Mahotsav 2018	2 - 5 February, 2018	Lakhimpur , Assam
28	Destination Goa	2 – 4 February, 2018	Goa
29	Karshakasree Farm Fest	7 - 11 February, 2018	Newman College Ground, Thodupuzha, Kerala
30	5th International Food & Pack Tech Expo 2017	9 – 11 February, 2018	Labh Ganga Exhibition Centre Indore, Madhya Pradesh
31	Flavour & Fragrances Expo 2018	16 – 17 February, 2018	Bombay Exhibition Centre, Mumbai
32	Interface programme on Doubling Farmers Income through Arecanut Based Cropping System	19 - 20 February, 2018	CPCRI, Kahikuchi, Assam
33	Sangli First 2018	23 - 25 February, 2018	Sangli, Maharashtra
34	Emerging North East	4 - 6 March, 2018	Guwahati, Assam
35	MSME Food Expo	9 – 10 March, 2018	Chennai
36	AAHAR 2018	13 -17 March, 2018	Pragati Maidan, New Delhi
37	Krishi Unnati Mela	16 – 19 March, 2018	PUSA, Delhi

C. Promotional Campaigns

a) Screening of Advertisements/Video spots on Indian Spices

The Board had produced 15 video spots (60 sec) and two advertisements on Indian spices, with a view to promote and popularize culinary as well as non-culinary aspects of various Indian spices. During 2017-18, the spots were screened in approx 400 theaters/multiplexes, in three phases.

b) Online Promotional Campaigns

Spices Board had collaborated with India Brand Equity Foundation (IBEF), for running online promotional campaigns for spices on social media platforms like Twitter, Facebook, Instagram etc. Designed to educate the online viewers, it creates awareness on spices including its botanical, geographical, trade, therapeutic and culinary aspects.

c) Periodicals

i) The monthly magazine of the Board, Spice India, was published in five languages, English, Hindi, Malayalam, Kannada and Tamil. The quarterly issues in Telugu and Nepali languages were also released as per schedule.

ii) Foreign Trade Enquiries Bulletin (FTEB): Trade enquiries collected by the Board directly from overseas trade fairs, e-mail and direct enquiries to Board's offices etc. were consolidated and published as FTEB, to facilitate export of spices. The publication was distributed online to the subscribers .

d) Other Publications:

In addition to the above mentioned publications, the following brochures and promotional literatures were printed during 2017-18 :

- General Brochure on Spices Board (English)
- Brochure for International fairs
- Recipe pamphlet: Spice Escapades of the North-East

During 2017-18, a total expenditure of ₹ 258.40 lakhs has been incurred under the scheme.

7. CODEX CELL & INTERVENTIONS

A. Codex Committee on Spices and Culinary Herbs (CCSCH)

The global food standard-setting body Codex Alimentarius Commission (CAC) has adopted standards for BWG pepper, cumin and thyme in its 40th session held at Geneva during 17-22 July, 2017. These are the first Codex standards for spices and herbs and is a great achievement from the perspective of world spice trade. Besides, new work proposals for drafting standards for dried garlic, ginger, chilli and paprika, basil, saffron, clove and nutmeg, submitted by CCSCH got the approval of CAC, in the 40th session.

The third session of CCSCH, held at Chennai initiated the task of developing proposed draft standards for dried garlic, dried/dehydrated ginger, dried chilli and paprika, dried basil, dried saffron, dried clove, oregano and dried nutmeg through different Electronic Working Groups (eWGs). The scientists of the Board chaired the work for Garlic, Chilli and Paprika and co-chaired the work for Saffron and actively participted as members in the eWGs for ginger, basil, clove, oregano and nutmeg.

The Codex Cell of Spices Board was actively involved in the preparation of various draft standards for which eWGs were formed during CCSCH3. An online forum for Indian stakeholders was formed for their active participation and inputs in the drafting of standards. Also, the Board participated in the Host Country Workshop organized by Codex at the Chateau les Mesnuls, Paris from 24-25 February, 2018.

B. Upcoming Session (CCSCH4)

Mexico had expressed their willingness to co-host next session of CCSCH (CCSCH4) but they later informed their inability to co-host CCSCH4 due to their annual financial closure. They ensured that they will check the possibility with their Ministry for co-hosting CCSCH5. The fourth session hence will be hosted by India which is scheduled to be held during January 21 to 25, 2019 at Thiruvananthapuram, Kerala. Hotel Leela Kovalam has been selected as the venue for CCSCH4.

C. Codex Committee on Contaminants in Food (CCCF)

Code of Practice (CoP) for the Prevention and Reduction of Mycotoxin Contamination in Spices, prepared by CCCF was adopted in fortieth session of Codex Alimentarius Commission held in Geneva during 17-22 July, 2017. During the 11th session (April 2017) of the Codex Committee on Contaminants in Foods (CCCF), India submitted new work proposal for the establishment of individual maximum limits (ML) for Aflatoxin (AFT) and Ochratoxin A (OTA) for five spices: nutmeg, chilli & paprika, ginger, pepper and turmeric. Based on this, the committee agreed to start new work on MLs for AFT and OTA in nutmeg, chilli & paprika, ginger, pepper and turmeric through an Electronic Working Group (eWG) chaired by India, working through online only.

A draft of the discussion paper for this work was prepared for deliberations in CCCF12 held in the Utrecht, Netherlands during 12-16th March 2018. Scientist from the Board chaired the eWG on behalf of India

and the Codex Cell of the Board worked actively for reviewing the data of mycotoxins present in spices, collected by the eWG from various member countries for preparing this document.

In the session, the draft discussion paper on establishment of MLs for AFT and OTA in selected spices was presented by India. After deliberation, CCCF agreed to suspend the work and to hold the ML of 20/30 ug/kg for AFT and 20 ug/kg for OTA at step 4 to give time to countries to implement the CoP for the reduction of mycotoxin in spices and to submit the data after three years.

D. Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR)

Pesticide monitoring data in spices was submitted to the Network Coordinator, All India Network Project on Pesticide Residues, (AINPPR-ICAR) for submitting to Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues (JMPR) for evaluation and subsequent fixation of Codex Maximum Residue Limit (MRL) of pesticides on spices.

E. Codex Committee on Food Hygiene (CCFH)

The Board participated in the forty ninth session of Codex Committee on Food Hygiene (CCFH49) and the Codex Cell of the Board actively worked in the following Electronic Working Groups (eWGs) in the CCFH

- Development of a guideline for the management of (micro) biological food borne crisis/outbreaks
- Revision of the general principles of food hygiene

8. E-SPICE BAZAAR

The e-Spice Bazaar traceability project for chilies and turmeric in Andhra Pradesh and Telangana is a joint project of Spices Board India and the Department of Electronics and Information Technology (Deity), Government of India. The project aims at bringing traceability till the spice farmer in the supply chain and enabling direct connectivity of the farmer with the buyers. A salient feature of this project is to organize Farmer Producer Organizations (FPO) who could collectively hold the farmers for group initiatives in procuring inputs and for selling the produce more professionally and with competence.

During the period 2017-18, 52,687 farmers from 528 villages of 54 mandals from Andhra Pradesh and Telangana states were covered under the project, of which 11055 were Turmeric and 41587 were Chilli farmers. Besides, 45 curry leaf farmers were also added in the project from Prakasam and Krishna districts of Andhra Pradesh. Global Location numbers (GLN) were allotted to all the farmers as assigned by GS1 India. Further, 660 chilli farmes and 45 curry leaf farmers were added under Global G.A.P certification programme.

During 2017-18, a total of 22 training programs were conducted in the villages of the e-Spice Bazaar project area which includes Farmers training programs, Regional Seminars, Traders meet and Master training programs. Also, farm level meetings were conducted by the Field Coordinators in their project areas.

The web portal, www.espicebazaar.com, was officially launched on 25th February, 2018 by Shri Suresh Prabhu, Hon'ble Union Minister of Commerce & Industry and Shri N Chandrababu Naidu, Hon'ble Chief Minister of Andhra Pradesh at Visakhapatnam. The details of all the farmers, their farms, farming practices including fertilizer and pesticide applications are given in the web portal. The Field Coordinators have uploaded information on to the web portal and QR codes are generated through the web portal to fix on the bags for traceability of the farmer.

In the web portal a total of 205 companies have been registered as buyers. Farmer Producer Organizations are also listed in the portal so as to enable transactions of their member farmers with the buyers. During 2017-18, a total of 10 FPOs were registered under e-Spice Bazaar from Visakhapatnam area, which includes pepper farmers as well. The following three transactions were effected through the e-Spice Bazaar web portal, during the year:-

- M/s. Aathmeeya Agri Business Private Limited, a company registered as a buyer in the web portal purchased 75 quintals of chillies at a rate of ₹ 8500/- per quintal from the registered FPO, Cheyutha Agriculture Producer Company from Guntur district.
- M/s Aricha Trading Company from Kolkata, a buyer in the web portal purchased 35 quintals of chillies at a rate of ₹ 10,000/- per quintal from a farmer Mr Koya Venkat Rao of Koyavaripalem village of Guntur district.
- M/s. Olam Agro India Private Limited, a registered buyer, purchased 850 quintals of turmeric at the rate of ₹ 6500/- per quintal

from a registered FPO named MAPCO of Nutakki village in Mangalagiri mandal of Guntur district.

Real time weather report, price of commodities from major markets, notifications, Good Agriculture Practices, Integrated pest management, crop advisories, videos on farming etc. were made available in the web portal. The list of FPOs registered in the portal in 2017-18 are given below.

- Paderu Agriculture Marketing and Allied Producers, mutually aided Co-operative society limited, Paderu, Visakhapatnam district
- The G Madugula Agriculture and Allied Producers, mutually aided Co-operative society limited, G. Madugula, Visakhapatnam district
- The G.K Veedhi Agriculture and Allied Producers mutually aided Co-operative society limited, G.K Veedhi, Visakhapatnam district
- The Chintapalli Agriculture and Allied Producers mutually aided Co-operative society limited, Chintapalli, Visakhapatnam district
- Munchingiputtu Agriculture and Allied Producers mutually aided Co-operative society limited, Paderu, Visakhapatnam district
- The Pedabayalu Agriculture and Allied Producers mutually aided Co-operative society limited, Paderu, Visakhapatnam district
- Andhra Kashmir Tribal Farming & Marketing Producer Company limited, Tajangi, Chintapalli, Visakhapatnam district
- Adivasi Abhivruddi Samskrutika Sangam (AASSAV), Hattaguda village, Arakuvalley mandal, Visakhapatnam district.
- Giri Chaitanya farming and marketing mutually aided cooperative society, Pujaripakalu, G.K Veedhi post & mandal, Visakhapatnam district
- Maathota Tribal Farming & Marketing Producer Company limited, Domalagondhi, Chintapalli, Visakhapatnam district

9. QUALITY IMPROVEMENT

Spices Board established its first Quality Evaluation Laboratory (QEL) at Kochi in 1989. QEL, Kochi is certified under ISO 9001 Quality Management System since 1997 and ISO 14001 Environmental Management System since 1999 by the British Standards Institution, U.K and is accredited under ISO/IEC: 17025 since September 2004 by the National Accreditation Board for Testing & Calibration Laboratories (NABL), Department of Science & Technology, Govt. of India.

As a part of providing speedy analytical services to exporters, Spices Board has established Regional QELs all over India. Six Regional Quality Evaluation laboratories are now in operation at major producing / exporting centers viz. Chennai, Guntur, Mumbai, New Delhi Tuticorin and Kandla. The seventh Regional QEL is being established at Kolkata and is expected to be in operation shortly. The laboratories at Kochi, Mumbai, Guntur, Chennai & Delhi has NABL Accreditation and the other two laboratories are in the process of obtaining accreditation. The laboratories are equipped with sophisticated instruments to undertake the analyses as per the requirements of importing countries. The documents pertinent to analytical services of the laboratory, including the generation of worksheets and submission of analytical results are made online through a software system called "QUADMAS" and the same is constantly updated.

QELs undertake analysis of consignment samples under the mandatory inspection of Spices Board, provide analytical services to the Indian Spice Industry and help to monitor the quality of spices produced and processed in the country.

A. Analytical Services

During FY 2017-18, the laboratory continued the analysis of mandatory samples of chilli and chilli products for the presence of Sudan dye I-IV & Aflatoxin under the mandatory sampling of consignments of chillies, chilli products, turmeric powder and other food products containing chilli. Also analysis of export consignment of sugar coated fennel seeds (for sunset yellow), curry leaves (for pesticides namely profenofos, triazophos and endosulfan to EU), cumin seeds (for extraneous matter and other seeds) and chilli, cumin and spice mixes (for Salmonella to US) as per the mandatory inspection of the Board.

Testing of spices and spice products such as Chilli, Cumin, Turmeric, Black Pepper, Fenugreek and Green Cardamom in whole and ground form, from India to Japan (excluding Oils & Oleoresins) for pesticides residues like Iprobenfos, Profenofos, Triazophos, Ethion, Phorate, Parathion, Chlorpyrifos & Methyl Parathion and the analysis of piperine & oleoresin content in imported Black pepper consignments were also done during the period.

Analytical services were also provided for various parameters like other illegal dyes (viz Para Red, Rhodamine B, Butter Yellow, Sudan Red 7B & Sudan Orange G), Ochratoxin A, detection of mineral oil in Black pepper, illegal colorants in Cardamom, Coumarin content in Cassia/ Cinnamon etc apart from the general physical, chemical and microbiological parameters in spices and spice products.

During the financial year 2017-18 the laboratory analysed 1,17,474 nos. of samples for various parameters including Aflatoxin, Illegal dyes, Pesticide residues, Salmonella.

B. Human Resources Development Programme

During the period, as a part of improving the technical capabilities of the laboratory personnel and updating the requirements of various Quality systems adopted by the laboratory; the following National/ International training programs/workshops were attended by the technical staff.

a) Training programme of Codex Committee on contaminants in Food during 2nd to 7th April, 2017 at Rio de Janiero

b) 4th National standards conclave- evolving a comprehensive national strategy for standards sectoral and regional inclusiveness by Dept. Of Commerce in collaboration with CII at New Delhi on 1st & 2nd May, 2017

c) Training Programme on "General Requirements for Proficiency Testing as per ISO/IEC 17025'' conducted by NABL at Chennai from 2nd to 5th May, 2017

d) Training Programme on Pesticide Residue analysis by Quechers method at QEL, Kochi during 5th & 6th June, 2017

e) Training on Uncertainty in measurements conducted at STQC, Noida during 14th to 16th June, 2017

f) Training program on Mycotoxins conducted by FSSAI at Waters lab Bangalore from 29th May, 2017 to 1st June, 2017

g) Training program on Assuring quality of test results and examination procedures conducted by Q- India consultant services at Abad Plaza Kochi from 15th to 17th September, 2017

h) Two days awareness training programme on ISO 17025 at CII Bangalore on 8th & 9th February, 2018

i) Training program on Public procurement, General Financial Rules 2017 & E- Procurement at NIFM Faridabad from 19th to 24th March, 2018

j) Training course on General Requirement for Proficiency Testing as per ISO:IEC 17043:2010 conducted during 2nd to 5th May, 2017 at Chennai

k) Training program on Laboratory Management & Internal Audit as per ISO/IEC 17025:2017 conducted at CII Bangalore during 19th to 22nd September, 2017

l) NABL Assessors Course at Bangalore from 2nd to 6th October, 2017

m) Training program on Introduction to NABL ISO 17025:2017 at NABL Bangalore on 8th and 9th February, 2018

n) Training program on Uncertainty measurement at STQC Noida from 14th to 16th June, 2017

C. Training Programmes

a) For Technical Personnel from Spice Industry/Colleges

During the year 2017-18, the laboratory conducted 4 training programmes on the analysis of spices and spice products for Physical, Chemical, Residual and Microbiological parameters. A total of 21 participants including technical personnel

from various spice Industries participated in the programs.

The Laboratory provided dissertation facilities and guidance for final year M.Sc students (6Nos) and B Sc Students (19Nos) from different colleges/universities.

b) Other training programs conducted by QEL

- Training to the State Govt. Officials of Gujarat on "Quality control and product certification of Spices and Spice products" on 30th January, 2018
- Two days training programme for the state Government officials of Maharastra on "Quality control, export procedure, product certification and other certification deemed necessary for export of spices" on 5th & 6th February, 2018 at QEL, Mumbai
- Imparted training to the state govt. officials of Uttar Pradesh, Goa and Karnataka on "Quality control and product certification of Spices and Spice products" during February 2018
- Conducted master training for state officials on post harvest quality improvement of chilies & turmeric at Washim, Maharastra on 6th March 2018
- One month training to 14 Nos of Govt. officials from Jammu & Kashmir on the Quality testing for Physical and Chemical parameters in saffron and other spices during September, 2017 at QEL, Kochi and Narela
- Training to Trainer(TOT) on Pack House workers by Agricultural Skill Council of India at ICRI, Saklespur from 21st to 23rd November, 2017
- Training on Internal audit as per ISO 9001 & 14001: 2015 version by M/s Insight Q Consultancy, Cochin on 6th February, 2018 for all the Lab staff, SRD staff and Trainee analysts.

D. Participation in National/ International Events

The laboratory actively participated in National/International meetings related to the Quality issues, formulation of specifications etc. for spices /spice products. During the year 2017-18 technical staff from the laboratory attended the following events:-

- Meeting on WTO-STDF interactive workshop on SPS in Spices held at Spices Board, Kochi on 1st June, 2017
- Meeting of Techno Scrutiny Committee (TSC) for examining project proposals relating to setting up of food testing lab at Ministry of Food Processing industries, New Delhi on 6th October, 2017
- Meeting of Farmers convened by NITI Aayog at New Delhi on 10th October, 2017
- IMG capacity building workshop for excellence in food safety and food security governance in Kerala at IMG, Thiruvananthapuram during October 2017.
- CIM's interaction with the stake holders at Banquet hall, Hotel Ashoka, Chanakyapuri, New Delhi at on 6th October, 2017
- Brain storming session on different approaches used at global level to determine MRLs for pesticides, their impact on trade and strategy conducted at Hotel Royal Plaza, New Delhi on 1st November, 2017

- Industry Meet & press conference for Anuga Food Tech at New Delhi on 11th December, 2017
- Seminar of the project EU -India Capacity Building initiative for CITD at New Delhi on 14th December, 2017
- National conclave on scientific co-operation on food safety & applied nutrition at FSSAI Bhawan, New Delhi on 5th February, 2018
- The second shadow committee meeting for CCCF12 at FSSAI Bhawan, New Delhi on 23rd February, 2018
- Training on Food Testing in microbiology conducted by BTFS, EC at Brussels and Ghent, Belgium on from 5th to 16th March, 2018
- National Level Workshop on Analysis of Dioxin conducted by CSIR-NIIST, Papanamcode, Trivandrum
- 29th meeting of the Technical Committee constituted for the monitoring of pesticide residues at national level conducted by Krishi Bhawan, New Delhi on 4th August, 2017
- Unified approach for accreditation of laboratories by NABL conducted by NABL at Udyog Bhawan, New Delhi on 25th August, 2017
- 25th Annual workshop of All India Network Project on pesticide residues co-ordinated by (AINPPR-ICAR) at Kashmir University of Agriculture Science & Technology, Srinagar on 14th & 15th July, 2017
- Work session on the development of food testing capacities conducted by CITD at New Delhi on 8th September, 2017
- First shadow committee meeting for the 49th session of Codex Committee on food hygiene conducted at FSSAI Bhawan, New Delhi on 19th September, 2017
- Meeting in the context of food fraud & adulteration project with FAO conducted by FDA Bhawan at New Delhi on 22nd December, 2017
- 13th meeting of Export Inspection Council at EIC on 19th January, 2018
- 2nd meeting of Techno Scrutiny Committee (TSC) for evaluating project proposals relating to setting up/up gradation of food testing laboratories at MOFPI, New Delhi on 23rd January, 2018

E. ISO Systems Related Activities

- During the year QEL, Chennai was audited by NABL ISO 17025:2005 (NABL) under its surveillance audit program and the audit was completed without major non conformances (NC)
- Surveillance audit of Quality Evaluation lab at Guntur was conducted by NABL without any major NC
- QEL, Kochi continued its implementation/compliance to Quality systems viz ISO/IEC 17025, ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004. Quality Evaluation Laboratory Kochi successfully completed the audit of ISO 9001 & 14001 during September 2017 and the audit on ISO/IEC 17025 during August 2017
- The up-gradation work of ISO 9001:2008 and 14001:2004 to the 2015 version was undertaken at the Quality Evaluation Laboratory, Kochi

- The documentation process for accreditation under ISO 17025 was undertaken at QEL Kandla and QEL Tuticorin
- The Quality Evaluation Laboratory Mumbai has completed NABL Re-assessment audit conducted on 30th & 31st December, 2017 and the validity of the accreditation has been renewed till 2020
- During the period, QEL, Delhi was accredited for additional parameters (4 Chemical & 2 Microbiological) in addition to the existing parameters in the scope

F. ASTA Check Sample Programme

QEL regularly participates in the ASTA check sample program conducted by the American Spice Trade Association (ASTA). During the year the QELs at Kochi, Mumbai, Guntur, Chennai, Tuticorin and Narela participated in the program for the parameters viz; Colour value, Capsaicin, Water activity, Total Ash, Acid Insoluble Ash, Steam volatile oil , Moisture, Piperine Content, E coli, Salmonella and Coliforms in spices such as Chilli, Black pepper and Oregano. Four rounds of the above check sample program was conducted by ASTA, and all the Z scores of the test reports submitted by QELs were found to be satisfactory and within limits.

G. Spices Board check samples/ proficiency testing programme

Quality Evaluation Laboratory, Kochi conducted three rounds of inter laboratory check (ILC) sample program with private testing labs and other QELs for microbiology parameters like Standard Plate count, Yeast & Mould count, Bacillus cereus, Salmonella, Enterobacteriaceae, Clostridium perfringens and Samonella (By VIDAS method) during September 2017 and February 2018. The performance of QEL, Kochi was satisfactory in all the rounds of the ILC programs.

All the QELs of the Board participated in the FAPAS proficiency-testing program conducted by an International agency FERA, UK, for various parameters like Aflatoxin, Ochratoxin A and other illegal dyes. All the results submitted by the laboratory were found to be within the Z score limit. Also the laboratories participated in a national PT program conducted by the M/S. Ashvi P T providers and the results are found to be well within the the Z score limit.

H. Harmonization of Indian Standards with ISO Standards

The staff from the laboratory participated in meetings for the Harmonization of Indian standards with ISO standards and FSSAI, which were carried out in collaboration with the Bureau of Indian standards (BIS), FSSAI and ISO Secretariat. The laboratory staffs actively participated in the Codex Committee on Spices and Culinary Herbs (CCSCH) and headed the various electronic working groups for formulating specifications.

- Meeting of Codex Alimentarius Commission organized by the Codex Committee on Contaminants in Foods at Rio de Janeiro, Brazil from 2nd to 6th April, 2017
- The comments/suggestions were provided to BIS, ISO, IPC and CODEX Secretariats on various documents related to the specifications/quality

issues of spices as and when called for by the National/ International organizations/agencies

- The next session (fourth) of the Codex Committee on Spices and Culinary Herbs (CCSCH) is scheduled to be held at Trivandrum, India during January 2019. The preparations for the same were initiated during the period

I. Projects/Standardization work undertaken

The following projects/standardization work was undertaken by the QELs of Spices Board during the period.

a) Implemented a project "Center of excellence in Microbiology" by procuring the latest advanced equipments in QEL, Mumbai for the Microbiological analysis and other activities to commence functioning as referral lab in microbiology. Also upgraded all the QELs with advanced equipments for the analysis of Salmonella under the mandatory inspection program of Spices Board

b) A project proposal with ICAR-IISR and Spices Board on developing a simple method to differentiate true cinnamon (Cinnamomum verum Syn.C. zeylanicum) and Cassia (Cinnamomum cassia) was approved and an MoU has been signed with Indian Institute of Spices Research (IISR), Kozhikode

c) A Project on development and validation of a multi residue method for the analysis of pesticide residues in Cardamom, Chillies and Cumin by Gas chromatography tandem mass spectrometry, in assosciation with NRCG, Pune is in progress for which the training program has been completed and the method is transferred for validation

d) Validated the method for piperine analysis & commenced the analysis of imported Black pepper samples as per ISO-5564 method

e) Started a Pesticide residue monitoring program in chilli for EU export consignment from January 2018

f) Completed internal validation for the following Microbiological parameters as per the AOAC method

- Total plate count
- Yeast and Molds
- E.coli
- Coliforms
- Staphylococcus.aureus
- Bacillus cereus

g) Completed internal validation for the identification of bacteria and fungi by using MALDI-TOF, identification of bacteria by using VITEK2 and strain typing by using DIVERSI LAB

10. EXPORT ORIENTED RESEARCH

Indian Cardamom Research Institute undertook research programmes mainly on Crop Improvement, Biotechnology, Nutrient Management and studies based on soil tests, Pest and Disease Management and Post Harvest in small and large cardamom during the reporting period.

A. Crop Improvement

a) Small cardamom

During the reporting period, Crop improvement trials under All India Co-ordinated Research Project (AICRP - spices) and Distinct Uniform Stable (DUS) programmes were continued. Twelve accessions of small cardamom including land races and two farmers' varieties of pepper were added to the Gene bank at ICRI. Thirty six F1 hybrid cross combinations were produced from six selected cardamom parents as part of new hybridization programme. Quality planting materials of different spice crops, viz. Small and Large cardamom, Black pepper, Vanilla, Kokum, Cinnamon and herbal spices were multiplied and supplied to farmers at ICRI, Myladumpara and RRS, Sakleshpur.

b) Large cardamom

Five numbers of unique large cardamom accessions and allied genera were collected from unexplored areas of Arunachal Pradesh and added to germplasm repository. New crop improvement trials were initiated in Arunachal Pradesh and Nagaland under AICRP on Spices.

B. Biotechnology

a) Small Cardamom

Molecular marker analysis of genetic diversity in released varieties and land races of Small Cardamom revealed requirement for widening its narrow genetic base possibly through breeding. Shift in sexuality was observed in nutmeg and was validated using molecular markers. Analysis of molecular transcripts in small cardamom revealed abundance of important genes homologous to secondary metabolite production in cardamom. Tissue Culture laboratory was strengthened by initiating small & large cardamom and pepper cultures. Monographs of seven spices such as cardamom small & large, cassia, cumin, nutmeg, black pepper and clove were prepared under ICMR funded project on 'Quality Standards of Indian Spice Plants and Preparation of Monographs'. Doctorate degree was awarded to two SRFs for their work on molecular markers on Small Cardamom and Nutmeg during the period.

b) Large Cardamom

Analysis of disease related transcripts was carried out in large cardamom. Genetic diversity analysis of different accessions and mining of micro-satellite markers was carried out in large cardamom.

C. Agronomy and Soil Science

a) Small Cardamom

During FY 2017-18, more than 2000 soil samples, received from cardamom & other spice farmers, were analyzed and based on the test reports, nutritional soil amendment advice was rendered. The soil test reports revealed that 49 per cent of soils were acidic to very acidic, 56 per cent of soils had high to very high phosphorous content (>3 mg/ 100 gm), 53 per cent and 60 per cent soils were deficient in secondary nutrients, *viz*, Magnesium and Sulphur respectively. Among micro-nutrients, Boron and Zinc was deficient in 49 per cent & 37 per cent soils respectively. Weather data recordings

were regularly provided to user agency for planning agronomical aspects. Project on Environmental impact assessment of pesticide residues in cardamom cultivating areas in Idukki, Kerala was formulated in collaboration with Ground Water Department, Govt. of Kerala. Soil testing facility for primary nutrients (NPK) and soil pH was established at ICRI, Saklespur.

b) Large Cardamom

In-situ soil moisture conservation practices such as surface mulch and treatments involving trenches duly filled with biomass resulted in retaining higher soil moisture content during dry spell which in turn led to high dry yield (447.78 kg) in large cardamom.

D. Plant Pathology

a) Small Cardamom

Fosetyl-Al 80WP was found to be effective in reducing the incidence of *Phytophthora* leaf infection in small cardamom. A study conducted on pesticide residue removal mechanism from fresh capsules of small cardamom using different surface cleaning agents viz, Ozone, Veg Fru Wash, Vinegar, Hydrogen Peroxide etc revealed that ozone, followed by veg fru wash was effective in removing the Phosalone residue at 46.93 per cent, and 28.57 per cent respectively. Soil application of dolomite, and its combinations were found to reduce the population of soil borne fungal pathogens. Thirty endophytic bacterial isolates of black pepper were screened against *Phytophthora capsici*, at Saklespur, out of which six isolates were found promising. Hands-on training programme on mass multiplication of biocontrol agents was conducted at ICRI main station (Ten) and at Saklespur (Two) for farmers & SHGs. Bioagents such as *Pseudomonas fluorescens, Trichoderma harzianum* were produced at ICRI, Myladumpara & Saklespur and supplied to farmers of Kerala & Karnataka.

b) Large Cardamom

Five blight disease escape lines of large cardamom were collected from different tracts of large cardamom growing areas of Sikkim and Darjeeling & Kalimpong districts of West Bengal. Mass multiplied mother cultures of *Pseudomonas fluorescens* and supplied to progressive farmers of Sikkim and Darjeeling & Kalimpong districts of West Bengal.

E. Entomology

a) Small Cardamom

New insecticide molecules were tested for management of cardamom thrips and shoot borer. Identified naturally infecting entomopathogenic fungi (EPF) on cardamom thrips and root grubs as well as parasitoids on borer. Sex pheromone component analysis of shoot borer and low cost artificial diet on *Galleria* larvae for EPN mass production was carried out. EPN-Galleria cadavers were distributed to farmers for management of root grubs in cardamom.

F. Transfer of Technology

a) Small Cardamom

During FY 2017-18, 13 spice clinic programmes, 50 plantation visits and several advisory services were organized/ rendered which benefitted more than 1000 spice farmers of Kerala, Tamil Nadu & Karnataka regions. One day awareness programme on Protection of Plant Varieties and Farmers Rights Act (2001) was conducted at ICRI, Myladumpara and at RRS, Sakleshpur with around 200

stakeholders. Four batches of one month residential Training Programme on Nursery Management in Spices under MIDH was conducted at Myladumpara & Saklespur, of which one was exclusively for women (20 participants). Scientists served as resource persons in Scientist– Farmer interfaces and participated & presented papers in national and international seminars/ symposia.Three days training programme on Biotechnology & Biochemistry was conducted for PG students, exclusively for girls. Bio-agents such as *Pseudomonas fluorescens* (1368.5 L), *Trichoderma harzianum* 1590 Kg (solid) and 1110 L (Liquid) were produced at ICRI, Myladumpara & Saklespur and supplied to farmers of Kerala & Karnataka. EPN-Galleria cadavers (1,18,999) were distributed to farmers for management of root grub pests.

Twelve PG / UG students underwent short term internships (1-3 months) and four research students were enrolled for Ph. D at ICRI Myladumpara. The estimated revenue from ICRI main station was around ₹ 40 lakhs and from the regional stations were ₹ 6.5 lakhs through service charges and distribution of farm produce, planting materials, bio agents and others.

b) Large cardamom

Twelve Spice Clinic programmes and 51 plantation visits were conducted, which benefitted around 1000 farmers. Six hundred and ten farmers visited the ICRI-RRS, Tadong and Pangthang Research farm from different states of North East India, Bhutan and Nepal. Scientists participated as resource persons in various programmes on large cardamom and cultivation of other spices in various national & international symposia.

Mass multiplied 815 liters of mother cultures of *Pseudomonas fluorescens* and supplied to progressive farmers of Sikkim and Darjeeling & Kalimpong districts of West Bengal.

G. General

Scientists of all stations qualified as Trainer of Trainees (ToTs) for various skill development programmes, organized under the aegis of Agriculture Skill Council of India (ASCI), Govt. of India, during October-November 2017. Scientists participated in various national and international symposia and presented papers.

The XXIXth Annual Research Council (ARC) for small cardamom was conducted at ICRI Myladumpara during December 2017 and XXVth ARC for large cardamom was held at Tadong, Sikkim during November 2017, during which the progress of work was reviewed by external experts from concerned disciplines.

H. Awards/Honours

Director (Research), Dr A. B Remashree was selected as Vice Chairman of International Pepper Community (IPC), during the annual meeting held at Vietnam during August 2017. Dr. B.A. Gudade, Scientist-B, Agronomy was honoured with ISEE Fellow Award, 2017 by Indian Society of Extension Education IARI, New Delhi during a seminar at Bihar Agricultural University, Bhagalpur, Bihar during November, 2017. Mr. Ashutosh Gautam, Scientist-B, Crop Improvement was honoured with S&T SIRI Fellow Award, 2017 by Science & Tech Society for Integrated Rural Improvement (S&T SIRI) Warangal on the occasion of a National Conference during September, 2017 at Sri. Venkateshwara University, Tirupati, Andhra Pradesh.

11. INFORMATION TECHNOLOGY AND ELECTRONIC DATA PROCESSING

The activities of the Board have changed significantly with the leverage of information technology. Many manual operations are replaced with online systems which has enabled the Board to provide better service to the stakeholders and has reduced the turnaround time for operations. EDP department facilitates the use of information technology in various sections of the Board. In effect, this makes the whole system faster and more productive and helps to improve the overall efficiency of the Board. During 2017-18, the EDP department facilitated the smooth shift of Operating System used in the desktop computers at Spices Board Head Office, Kochi to open-source Operating System, Ubuntu. During 2017-18, a total expenditure of Rs.1.723 crore has been incurred under the scheme.

A. Activities of EDP department

- Advise, guide and assist various departments and offices of the Board for the effective use of Information Technology
- Help desk management for existing applications, messaging solutions, Internet and web site maintenance
- Administration of organization wide IT resources namely hardware, software, databases, networking and peripheral equipment
- Formulate strategies for technology acquisition, integration, and implementation
- Upgradation of IT infrastructure
- Defining and implementing systems and procedures for the smooth functioning of IT equipment and software
- Data Processing
- Identify the need for new systems (or modifications to existing systems) and respond to requests from users
- Design, development, documentation, testing, implementation and maintenance of Information Systems and application software
- Maintenance and updation of Board's web sites, indianspices.com, spicesboard.in, indianspices.org.in, worldspicecongress.com and ccsch.in
- Formulate and conduct Computer training programmes

B. Achievements of EDP department

- Upgradation of Auction software and Server infrastructure in e-auction centres at Bodinayakanur and Puttady to increase the auction terminals
- Network infrastructure and client infrastructure upgradation in e-auction centre Puttady
- Implementation of 7th Pay commission in payroll
- Implementation of e-office in regional Quality Evaluation Laboratories (QEL)
- Implementation of GST invoice in QUADMAS software
- Migration of existing web applications to higher technology versions
- Modification of Grant Management System to allow subsidy payment

through Public Financial Management System (PFMS)

- Modification of financial accounting system to allow payment through PFMS

The EDP department carried out the enhancement of the following software applications to accommodate additional functionalities and reports.

1. Board's website
2. Appraisal
3. Certificate for Registration as Exporter of Spices (CRES)
4. Pension process system
5. Salary/ payroll process system
6. GPF application
7. Trade information service
8. Export support system
9. Asset management system
10. Import authorization
11. Recruitment

Further, the EDP department facilitated the development of new applications for the following.

1. Canteen token system
2. Educational stipend to the children of cardamom estate workers
3. Outsourcing of testing of samples
4. Cashbook

12. IMPLEMENTATION OF RIGHT TO INFORMATION ACT 2005

The Right to Information Act 2005 (22 of 2005) was enacted by Parliament and the assent of the President was obtained on 15th June 2005. The objective of the Act is to provide for setting out the practical regime of right to information for citizens to secure access to information under the control of public authorities, in order to promote transparency and accountability in the working of every public authority. The citizens can have access to the information of the Board under the provisions of the Right to Information Act except certain information as notified under Section 8 of the Act and accordingly can obtain the information about the Board on payment of a prescribed fees.

The Board has effectively implemented the RTI Act 2005 and complied with all the directions of the Government in this regard. The Board has designated the Deputy Director (Audit & Vigilance) as the Co-ordinating Central Public Information Officer for coordinating the dissemination of information by CPIOs and PIOs. The Board has designated seven Central Public Information Officers (CPIOs) in its Head Office to disseminate information under Right to Information Act 2005 and 21 Central Assistant Public Information Officers (CAPIOs) in the field units under Section 5(2) of the Right to Information Act, 2005. The Director (Mktg), Spices Board is nominated as the Nodal Officer for ensuring compliance with the proactive disclosure Guidelines of the RTI Act 2005 & Appellate Authority of the Board to hear appeals under Section 19(1) of the Right to Information Act, 2005. The Deputy Director (EDP), has been designated as the 'Transparency Officer' of the Board to oversee the implementation of obligations under Section 4 of the RTI Act. The Board has disclosed the information required to be disclosed *suo motu* in such form and manner, which is accessible to the public [Section 4(1) of RTI Act 2005] through the Board's official website. During 2017-18, a total of 85 RTI applications (physical and online) and 9 appeals were received under the RTI Act and information was provided in all the cases within the stipulated time. No Central Information Commission (CIC) hearing was held during this period. An amount of ₹ 260 was received as RTI registration fee and additional charges received were ₹ 344. The Quarterly RTI Returns (1st quarter to 4th quarter) were updated in the Central Information Commission's website as scheduled.

Appendix I

	Paras in Statuatory Audit Report 2017-18	**Reply / Action Proposed**
A	**Balance Sheet**	
1	**Liabilities**	
1.1	**Earmarked/Endowment Funds (Schedule 3) ₹ 214.63 crore**	
1.1.1	The above is understated by ₹ 3.25 crore due to accounting of interest earned on Earmarked Fund for Pension as income, instead of adding the same to Pension fund. This has also resulted in understatement of 'Excess of Expenditure over Income' to that extent.	The Board has earmarked more than Rs.3.25 crores from the IEBR during the previous year toward the huge post commission maintenance cost incurred for the projects set up using ASIDE funds. It may please be noted that the Board has already set up Quality Evaluation Labs (QEL) and Spices parks using ASIDE funds with the sole objective of maintaining quality standard in export of spices. In order to meet the post commission maintenance cost the Board is not getting any additional budget. More over the Board is also earmarking Rs.10 crore each from its IEBR towards pension fund and the Board has to meet 10% of the additional financial implication on implementing the 7th CPC benefits to staffs and pensioners as per the direction from the Ministry. Due to all these and to avoid the financial constrain the Board has charged the Income from investments made out of ASIDE funds during 2017-18 to the Income and expenditure account.
1.1.2	The above include funds with negative balance, which denotes excess of expenditure over fund balance. Booking of excess expenditure in Earmarked Funds resulted in understatement of Earmarked funds and 'Excess of Expenditure over Income' by ₹ 0.60 crore.	The AE is well noted for future concurrence. As suggested by Audit the negative balances will be charged to I&E after confirming that the excess amount will not be reimbursed to the Board.

1.2	**Current Liabilities and Provisions (Schedule 7) ₹ 185.78 crore**	
1.2.1	Contrary to the provisions of Indian Accounting Standard (Ind AS) 19 issued by Institute of Charted Accountants of India, the Board did not carry out actuarial valuation for retirement benefits of employees as on 31 March 2018. The Board has conducted actuarial valuation during 2015-16 as per which the actuarial liability was valued at ₹ 226.23 crore as against which the provision was for only ₹ 168.84 crore as on 31 March 2018.	As the 7th CPC was not fully implemented for both salary and allowances even during the last quarter of FY 2017-18, the Board was not able to do the actuarial valuation as per 7th CPC.
1.2.2	The above does not include liability for expenses outstanding to the tune of ₹ 0.81 crore at the end of the year. This resulted in understatement of Provisions and 'Excess of Expenditure over Income' to the same extent.	The Board used to make the payments to all the vendors as and when the invoices are received. The Boards 120 outstation offices are getting service from different vendors. In many cases the Board will get the invoice of the service availed during the last quarter after completiopn of the Financial year only. More over the Board system does not have an automated advance settling module while making the payments next year. If we do this manually, chances of non traceability is more, which will create further complications. But as well suggested by the Audit, the Board will be taking enough care to provide the maximum possible provisions considering the practical limitations.
2	**Assets**	
2.1	**Fixed Assets (Schedule 8) ₹ 240.26 crore**	
2.1.1	The above includes ₹ 2.14 crore being the value of Letter of Credits (LC) opened for the import of various lab equipments. The amount of LC was wrongly capitalized, as none of the lab equipment were received till	The Board use to show the LC opened for purchase of lab equipments as expenditure so as to show that the amount is already committed and to avoid unutilized balance in the Receipts and payment account. The same has

	31st March 2018. This has resulted in overstatement of Fixed Assets and understatement of Bank Balances by ₹ 2.14 crore.	been discussed with the Audit. As agreed by the Audit all such expenditures will be shown as committed expenditure and shown as payable. Once the assets has been received, the value of the same will be transferred from payable to Asset in future
2.2	**Investments from Earmarked/ Endowment Funds (Schedule 9) ₹ 19.26 crore**	
2.2.1	The above is understated by ₹ 75.36 crore due to non-inclusion of the value of investment from Earmarked funds as per the uniform format of accounts for Central Autonomous Bodies. The investment amount is accounted under Bank Balances in deposit accounts, which has resulted in overstatement of Current Assets by the same amount.	The Principal Director Commercial Audit (PDCA) observed the material impact of ₹ 111.69 crore due to nonprovision of liabilities in respect of employees by Spices Board towards pension, gratuity and leave encashment while considering the Audit Report of the Board for the year 2013-14. Accordingly the Board had to produce before the PDCA, a letter of Comfort from the Ministry to the effect that necessary provision for meeting the pensionary liabilities in respect of the retiring/retired employees will be made during the respective years as part of the approved budget of the Board as and when decided in consultation with the Department of Expenditure, Ministry of Finance. In these circumstance, the Board considered it appropriate to set up a Pension Fund,to meet this objective. As an initiative, the Board started earmarking ₹ 10 crores (which is not a mandated amount but done as per the present fund availability) from its IEBR every subsequent year in a view to adjust it to the pension fund if sanctioned by the Government in future. If the Board gets such pension fund from the Ministry and if the then available earmarked fund is adjusted to it, then the Board will not take any amount from it temporarily for its day to day activities.It may please be noted that the Board is not using its Pension FDs for its day to day activities in case of any financial constrain.

2.3	**Investments-Others (Schedule 10) ₹ 3.02 crore**	
2.3.1	The above is overstated by ₹ 2.00 crore due to non-accounting of the loss under equity participation scheme and classification of fund balance with North Eastern Development Finance Corporation Limited (NEDFI) under Investments instead of advances. This has resulted in understatement of 'Excess of Expenditure over Income' by ₹ 1.33 crore and Advances by ₹ 0.67 crore.	The AE is well noted for future concurrence. Necessary corrections will be done after consultation with the concerned scheme implementing department.
B	**Income and Expenditure Account**	
1.	**Income**	
1.1	**Interest Earned (Schedule 18) ₹ 4.46 crore**	
1.1.1	The above is understated by ₹ 0.05 crore due to non-accounting of Interest earned on four short term deposits during 2017-18. This has also resulted in understatement of Bank balances to the same extent.	The observation made by the Audit is well noted for future concurrence. The necessary correction if any will be done while accounting the interest in future
1.1.2	The above is understated by ₹ 0.06 crore due to non-accounting of Interest accrued on fixed deposits opened for obtaining Letter of Credits. This has also resulted in understatement of Current Assets-Income accrued by the same amount	
C	**GENERAL**	
1.	**Significant Accounting Policies (Schedule 66)**	
	As per significant accounting policy the carrying amount of assets needs to be reviewed to ascertain impairment loss, if any, as on balance sheet date and that the amount recoverable against the assets is higher than the carrying amount of each assets as on valuation date. The Board has not conducted any such review of assets for impairment loss	Paragraph 11 of AS 28 on "Impairment of Assets" issued by the ICAI states as follows: "The concept of materiality applies in identifying whether the recoverable amount of an asset needs to be estimated. For example, if previous calculations show that an asset's recoverable amount is significantly greater than its carrying amount, the enterprise need not re-estimate the asset's recoverable amount if no events have occurred that would eliminate that difference." Further, the

		concept of "Cash Generating Unit" is extremely important in assessing impairment. Paragraphs 64 to 71 of AS 28 explain this concept. Further Paragraphs 83 to 86 of AS 28 discuss about impairment of Corporate Assets. Hence, the concept of 'review of assets for impairment loss' has to be viewed on these lines, and it cannot be said that the accounting policy is wrong. However, Management will ensure timely review of assets for impairment in future.
2.	**Contingent Liabilities and Notes on Accounts (Schedule 67)**	
	The Board had not disclosed the fact that two arbitration cases were awarded against the Board and an appeal had been filed	The AE is well noted for future concurrence. Necessary correction will be made after confirmation for the concerned department in future.

D **Grants-in-Aid**

Unutilized grants carried forward from previous year 2017-18 was Nil. During the year grants amounting to ' 97 crore was received from Government of India, out of which an amount of ' 6.04 crore was refunded to Government of India due to non-utilization and the balance amount of ' 90.96 crore was utilized fully. The Board has not disclosed the fact of surrender of grant of ' 6.04 in the Notes to Accounts.(i) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.(ii) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure - I to this Audit Report gives a true and fair View in conformity with accounting principles generally accepted in India:

(a) In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the Spices Board as at 31 March 2018; and

(b) In so far as it relates to Income & Expenditure Account of the deficit for the year ended on that date.

	ANNEXURE – I	
a)	**Adequacy of Internal Audit System**	
	During the period 2017 - 18, the internal audit division had not conducted audit of any of the units of the Board (including Head Office).	The Observation made by the audit is well noted and conveyed to the Internal Audit department. It may please be noted that during the last financial year Theme audit was going on from May 2017 to the

		beginning of the last quarter of financial year 2017-18. The DD internal audit was engaged in coordinating the same. As of now there is no staff in the internal audit department other than DD. Hence we could not concentrate on the same. This year necessary steps will be taken to comply the same to the possible extend based on the availability of manpower.
b)	**Adequacy of Internal Control**	
	Internal control system is inadequate and not commensurate with the size and nature of the Board. The failure in internal control is evident from non-reconciliation of bank accounts, non-reconciliation of excess credits in bank accounts, non-accounting of accrued income of fixed deposits with lean for Letter of Credit. Further, the non-migration of data from previous accounting software resulting in non-availability of item wise break-up of opening balances has rendered the accounts unreliable.	As the receipt Bank is getting hundreds of receipts every day towards analytical charges, User fees, CRES, Advertisement charges and many other receipts via online, in addition to remittance of DD/ Cheques from many outstation offices and HO towards CRES,daily reconciliation is practically impossible due to time constrain and limited manpower. Considering this, the Board is in the process of making an online interface for entering all the remittance to HO receipt bank account from field units. With this it is expected that the issues will be soleved to a major extend.
c)	**System of Physical Verification of Fixed Assets**	
	The physical verification of assets was was not conducted during the year 2017-18.	Attempt has been made to update the physical verification of sssets. But conducting physical verification of all the assets pertaining to 120 outstation offices manually is practically not possible with very limitted manpower and budget. Again to do this online the board has developed an online Asset management System which also could not completed due to the non availability of the asset details since inception. However, all the purchase entries are reflected in the Asset schedule in the balance sheet.
d)	**System of Physical Verification of Inventories**	
	The physical verification of inventories was not conducted during the year 2017-18.	The stock of cardamom, pepper and coffee from ICRI Myladumpara is verified by the concerned office and certified to us, and

	only after their certification, the same is shown as the stock of items which is valued at ₹ 13.04 Lakhs as on 31st March 2018. Similarly, the value of chemicals at all our QELs amounting to ₹ 55.69 Lakhs has also been taken into accounts based on certificates received from the labs after physical verification of the stock of chemicals.
e) **Regularity in payment of Statutory Dues**	
The payment of GST was made by the Board belatedly and late fee amounting to Rs.2.00 lakh was paid.	As the concept of GST was new the Board had to take the GST registration for 21 states. At the time of registration the Board faced many difficulties in getting the GST numbers timely, even after completing all the formalities. Accordingly the Board could get all the GST numbers around November 2017 only. Hence the Board could start the GST filing during January 2018 only. Moreover, the filing has to be done separately for 21 states every month, by collecting the remittance details from all the field units. As mentioned in previous replies the timely collection of remittance details from all the field units manually was very difficult and hence the Board had to remit the late fees initially. But as of now all the filing is up to date and there is no ground for late fees.

flavourit™

EXOTIC INDIAN SPICES

Promoting Heritage, Hygiene & Health

Spices India

FLAVOURFULLY YOURS

Spices India
Lulu Mall, Edapally, Kochi-682 024, Kerala Tel: 0484-4073489
E-mail: flavouritspices@gmail.com
Web: www.flavourit.com